



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66

अंक : 6

पृष्ठ : 52

अप्रैल 2020

मूल्य : ₹ 22



ग्रामीण
रोज़गार

कोविड-19 के दौर में जीवन: प्रधानमंत्री के विचार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अप्रैल, 2020 को लिंकडइन पर कुछ विचार साझा किए हैं, जो युवाओं और व्यवसायियों को दिलचस्प लगेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत उलझनों से भरी रही है। कोविड-19 के कारण कई तरह की अड़चनें उत्पन्न हो गई हैं। कोरोना वायरस ने व्यवसायी जीवन की रूपरेखा की कायापलट कर डाली है। इन दिनों घर, नए कार्यालय का रूप ले चुका है। इंटरनेट नया मीटिंग रूम है। सहकर्मियों के साथ होने वाले ऑफिस ब्रेक्स कुछ समय के लिए इतिहास बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं को भी इन बदलावों के अनुकूल ढाल रहे हैं। ज्यादातर बैठकें, चाहें वे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, अधिकारियों और विश्व नेताओं के साथ ही क्यों न हों, अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही हैं। विविध हितधारकों से ज़मीनी-स्तर का फीडबैक लेने के लिए समाज के अनेक वर्गों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठकें की गईं। सबसे पहले कार्यस्थल डिजिटल होता जा रहा है। और हो भी क्यों न? आखिरकार, प्रौद्योगिकी का सबसे आमूलचूल परिवर्तन सामान्यतः गरीबों के जीवन में ही हुआ है। यह प्रौद्योगिकी ही है, जिसने नौकरशाही हाइराकी को ध्वस्त कर दिया है, बिचौलियों का सफाया कर दिया है और कल्याणकारी उपायों में तेजी लाई है। आज, विश्व नए बिज़नेस मॉडल्स की तलाश में है। भारत अपने नवोन्मेषी उत्साह के लिए विख्यात एक युवा राष्ट्र है, जो नई कार्य संस्कृति प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने परिकल्पना की कि नए बिज़नेस और कार्य संस्कृति को निम्नलिखित वाउअल्स (स्वरों) के आधार पर नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। श्री मोदी ने उन्हें —वाउअल्स ऑफ न्यू नॉर्मल— करार देते हुए कहा कि क्योंकि अंग्रेजी भाषा के वाउअल्स की ही भांति ये सभी कोविड-पश्चात विश्व में किसी भी बिज़नेस मॉडल के लिए अनिवार्य घटक बन जाएंगे।

अनुकूलनशीलता (अडैप्टेबिलिटी)

श्री मोदी ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे कारोबार और जीवनशैली के मॉडल्स के बारे में सोचा जाए, जो आसानी से सुलभ हों। ऐसा करने का आशय यह होगा कि संकटकाल में भी हमारे कार्यालय, कारोबार, व्यापार किसी प्रकार के जानी नुकसान के बिना त्वरित गति से बढ़ सकेंगे। डिजिटल भुगतान को अपनाना इस अनुकूलनशीलता का प्रमुख उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण टेलीमेडिसिन है। हम पहले से ही क्लिनिक या अस्पताल गए बिना अनेक परामर्श होते देख रहे हैं। यह भी एक सकारात्मक संकेत है। क्या हम ऐसे बिज़नेस मॉडल्स के बारे में विचार कर सकते हैं, जो दुनिया भर में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने में मदद करें?

कुशलता (एफिशेंसी)

प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद अब समय आ गया है, जब हम इस बारे में फिर से सोच-विचार करें कि कुशल होने से हमारा आशय क्या है। कुशलता केवल कार्यालय में बिताने वाला समय नहीं हो सकती। हमें शायद ऐसे मॉडल्स के बारे में सोचना होगा, जहां उत्पादकता और कुशलता उपस्थिति के प्रयास से ज्यादा महत्व रखती है। कार्य को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर बल दिया जाना चाहिए।

समावेशिता (इन्क्लूसिविटी)

प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए, हम ऐसे बिज़नेस मॉडल्स विकसित करें, जो गरीबों, सबसे कमजोर लोगों और साथ ही साथ हमारे ग्रह की देखरेख को प्रमुखता देते हों। हमने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रकृति मां ने यह दर्शाते हुए हमारे समक्ष अपनी भव्यता प्रदर्शित की है कि जब मानवीय गतिविधि की रफ्तार धीमी हो, तो वह कितनी तेजी से फल-फूल सकती है। भविष्य में हमारे ग्रह पर कम प्रभाव छोड़ने वाली प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। थोड़े साधनों के साथ ज्यादा कार्य कीजिए।

कोविड-19 ने हमें यह अहसास कराया है कि स्वास्थ्य समाधानों पर कम लागत पर और बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। हम मानव के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं।

अवसर (आपच्युनिटी)

श्री मोदी ने कहा कि हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। कोविड-19 भी अपवाद नहीं है। आइए, हम इस बात का आकलन करें कि अब किस तरह के नए अवसर/विकास के क्षेत्र उभर सकते हैं।

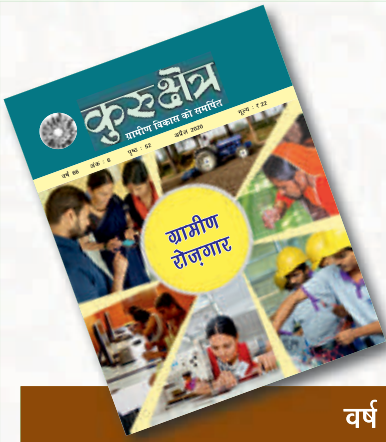
सार्वभौमवाद (यूनिवर्सलिज्म)

कोविड-19 वार करने से पहले जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय, भाषा या सीमा को नहीं देखता। इस संकट के बाद हमारी प्रतिक्रिया और आचरण एकता और भाईचारे को प्रमुखता देने वाला होना चाहिए। इस घड़ी में हम सब एक हैं।

इतिहास की पिछली घटनाओं के विपरीत, जब देश या समाज ने एक-दूसरे से टकराव किया, आज हम सभी एक समान चुनौती का सामना कर रहे हैं। भविष्य मैत्री और लचीलेपन से संबंधित होगा।

भारत के अगले प्रमुख विचारों की विश्व में प्रासंगिकता और उनका इस्तेमाल होना चाहिए। उनमें केवल भारत में नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की योग्यता होनी चाहिए।

मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस बारे में सोच-विचार करें और इस संवाद में योगदान दें।



कुरुक्षेत्र

इस अंक में



वर्ष : 66 ★ मासिक अंक : 6 ★ पृष्ठ : 52 ★ चैत्र-वैशाख 1942 ★ अप्रैल 2020

प्रधान संपादक: राजेंद्र चौधरी

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : विनोद कुमार मीना

आवरण : राजेंद्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें

एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,

द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : helpdesk1.dpd@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,

कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,

सीजीओ परिसर, लोधी रोड,

नयी दिल्ली-110003



बेहतर हुआ है ग्रामीण रोजगार का परिदृश्य

नरेन्द्र सिंह तोमर 5

एमएसएमई : नए युग की उद्यमिता

उर्वशी प्रसाद 10

सतत विकास के लिए कलस्टरों को प्रोत्साहन

डॉ. श्रीपर्णा बी बरुआ 15

कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की असीम संभावनाएं

भुवन भास्कर 19

ग्रामीण भारत में अवसररचना विकास से रोजगार

अरविंद कुमार सिंह 23

गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास

गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन' 28

कृषि संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 35

बदलती ग्रामीण संरचना का रोजगार और विकास पर प्रभाव

डॉ. तनु कथूरिया 40

ग्रामीण भारत में परंपरागत कला-कौशल से रोजगार

हेना नकवी 45

स्वच्छ भारत मिशन ने खोले गांवों में रोजगार के द्वार

आशुतोष कुमार सिंह 49

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुडा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	C/O (द्वारा) पीआईबी, अखंडानंद होल, द्वितीय तल, मदन टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079-26588669

रोजगार किसी भी देश और समाज के आर्थिक विकास की कुंजी है। जिस गति से रोजगार पाने वालों की संख्या और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है उसी गति से देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है। यह सच्चाई स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही गांधीजी ने पहचान ली थी और उन्होंने ग्रामीण स्वराज का नारा दिया था जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास सार्थक काम और अपने-आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में गांव की कल्पना की गई थी। आजादी के बाद से ही गांवों में विकास और वहां के लोगों के लिए कृषि के साथ-साथ रोजगार के दूसरे अवसर जुटाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई गईं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए रोजगार पैदा करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। सरकार अपनी कई पहलों के माध्यम से लगातार काम कर रही है ताकि ग्रामीण जनता के लिए अधिक और बेहतर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। विशेष रूप से युवा सरकार के लिए प्राथमिकता है। भारत तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है और दुनिया का कौशल-केंद्र बन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश होने का गौरव आज भारत को प्राप्त है। इस दृष्टि से भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी रहती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का पैटर्न ज्यादातर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली नौकरियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि भारत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आधुनिक कृषि तकनीकों के स्वचालन ने किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है। देश-विदेश में भारतीय जैविक उत्पादों की मांग ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। सरकार विदेशी बाजार के साथ संबंध विकसित करने के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र का ज़ोरदार समर्थन कर रही है। साथ ही, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबद्ध क्षेत्रों पर भी ज़ोर दे रही है।

सरकार की मनरेगा सहित अन्य कई योजनाओं ने ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। यह योजना न केवल सामाजिक समावेशन की दिशा में बेहतर सिद्ध हुई है बल्कि इसने ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के रूप में विख्यात मनरेगा ने जहां ग्रामीण भारत को न्यूनतम रोजगार की कानूनी गारंटी दी है वहीं इसकी मदद से कई इलाकों में स्थायी परिसंपत्तियां बन रही हैं। मज़दूरों का शहरों की ओर पलायन भी रुका है। इसने सूखा, बाढ़ और फसल बर्बादी से पैदा होने वाले संकटों में ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा दी है। ई-भुगतान और मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रभावी निगरानी भी इसमें उल्लेखनीय पहल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों में भी रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। इसके अलावा, संरचना निर्माण के बाद इसके उपयोग से भी ग्रामीणों की आय बढ़ी है। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार क्षेत्रों में कार्यों के बढ़ने से रोजगार व आय में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मज़बूत करने और सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत कारगर साबित हुई है। तमाम सर्वेक्षणों में सड़कों के बनने के बाद हो रहे सकारात्मक बदलाव सामने आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, बालिकाओं की शिक्षा के साथ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी बढ़ी है। साथ ही, बाजारों तक किसानों की पहुंच और बहुत-सी आर्थिक गतिविधियों में भी मदद मिली है। निःसंदेह सड़कों की मदद से ग्रामीण भारत का कायाकल्प हो रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कवरेज, जो 2014 तक 38.7 फीसदी थी, वह अब 100 फीसदी हो गई है। ग्रामीण विकास की इन तमाम योजनाओं के साथ जहां आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है, वहीं रोजगार के नए मौकों के साथ नए भारत के निर्माण की भूमिका भी तैयार हो रही है।

औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव गांवों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना पर देखा जा सकता है। देश में ग्रामीण पर्यटन की असीम संभावना को देखते हुए सरकार देश में हस्तशिल्प, ज्ञान, संस्कृति आदि को भी बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज सेवा क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। इस हेतु सरकार विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर रही है। संक्षेप में, गांवों का भविष्य रोजगार की असीम संभावनाओं से युक्त है। आज जरूरत है बेहतर नियमन और संचालित प्रबंधन के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण भागीदारी का स्तर बढ़ाया जाए।

हम अपने पाठकों को सूचित करना चाहते हैं कि इस अंक में प्रकाशित लेखों में लेखकों ने ग्रामीण रोजगार परिदृश्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, वह कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले के हैं।

बेहतर हुआ है ग्रामीण रोज़गार का परिदृश्य

—नरेन्द्र सिंह तोमर

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि श्रमिकों के काम करने की स्थितियों और उनकी जीवन-दशा सुधारने की भी अनेक ऐतिहासिक पहलें की गई हैं, जिनके परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाने, कामगारों की कार्यदशाएं सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण भारत को ज्यादा-से-ज्यादा सशक्त बनाकर ही, देश के समावेशी विकास का संकल्प पूरा किया जा सकता है।

रोज़गार सृजन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख आधार है। देश में उपलब्ध जन-शक्ति को उसकी योग्यताओं और दक्षताओं के आधार पर उचित काम मिले और उसके प्रतिफलस्वरूप उसे संतोषजनक पारिश्रमिक या मज़दूरी प्राप्त हो, तो देश के विकास का ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर उठता है।

भारत गांवों का देश है और ग्रामीण भारत की अधिकांश आबादी अब भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती या कृषि कार्य पर निर्भर है। हालांकि कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से व्यापक बदलाव हुआ है, लेकिन अब भी कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा खेती के पुराने और परंपरागत तरीकों पर ही निर्भर है और इस वजह से वार्षिक उत्पादन अक्सर इतना नहीं हो पाता कि वह परिवार की सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पहलों को समेकित करने का प्रयास किया गया है ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों को संतोषजनक रोज़गार या काम मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सही अर्थों में बदलाव लाकर खुशहाली लाई जा सके। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, आवास, यातायात सुविधाओं, सड़कों और संपर्क मार्गों के विकास के साथ जन-उपयोगी सुविधाएं स्थापित करने पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे ग्रामीण जनता को स्थानीय-स्तर पर उपयुक्त रोज़गार मिलने में आसानी हुई है। गांव-स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का स्तर घट रहा है। सरकार रोज़गार क्षमता में सुधार के साथ रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने को उच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इस उद्देश्य से निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, व्यापक निवेश वाली तेज गति की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने, स्वरोज़गार को बढ़ावा देने, श्रम कानूनों में सुधार करने और श्रमिक कल्याण से जुड़े विभिन्न उपायों को गति

दी गई है। इन नीतियों और उपायों के परिणामस्वरूप रोज़गार की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका क्षेत्र में विविधता लाने, गरीबी उपशमन के उपाय तेज़ करने और स्थानीय-स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन पर बल देने और ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधनों का पूरी तरह अंतरण होने से इस धनराशि का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और परिवारों की आमदनी बढ़ाने पर खर्च हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस दौरान गरीब और वंचित परिवारों



केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 24 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुबन मिशन की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए।

हम अपने पाठकों को सूचित करना चाहते हैं कि लेखक ने इस लेख में ग्रामीण रोज़गार परिदृश्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, वह कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले के हैं।

की आजीविका सुदृढ़ करने और उनमें विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के एक अनुमान के अनुसार, नियमित मजदूरी/वेतन के हिस्से में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2011-12 के 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 23 प्रतिशत हो गया। वास्तविक तौर पर इस दौरान नए रोजगारों में लगभग 2.62 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें 1.21 करोड़ की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.39 करोड़ की बढ़ोतरी शहरी क्षेत्रों में हुई। यह भी संतोष का विषय है कि नियमित मजदूरी/वेतन-आधारित रोजगार की श्रेणी में महिलाकर्मियों के अनुपात में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान यह 13 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई। इस श्रेणी में महिलाओं को 0.71 करोड़ नए रोजगार मिले। सरकार ने माल और सेवाकर (जीएसटी) की शुरुआत, भुगतान के डिजिटलीकरण, मजदूरी और वेतन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जन-धन खाते और ज्यादा-से-ज्यादा कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार कर अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया है। इन सभी पहलों के फलस्वरूप, औपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई है। अगर हम उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देखें, तो संगठित विनिर्माण क्षेत्र में भी रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 से 2017-18 के बीच इस क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या में 14.69 लाख की वृद्धि हुई। यदि विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों (कर्मचारियों/नियोक्ताओं) को शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 17.33 लाख हो जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नवंबर, 2019 में 14.59 लाख और दिसंबर, 2019 में करीब 12.67 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कुल 1.49 करोड़ नए कर्मचारियों/श्रमिकों के नामांकन कराए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर, 2017 से दिसंबर, 2019 के दौरान, लगभग साढ़े तीन करोड़ नए व्यक्ति ईएसआईसी की योजना में शामिल हुए। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की रिपोर्ट कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बनाए गए नए सदस्यों के पे-रोल डाटा पर आधारित है। अप्रैल 2018 से इन तीनों संगठनों के नए सदस्यों के आंकड़ों के आधार पर नौकरियों के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि योजना में करीब 3.12 करोड़ नए सदस्य शामिल हुए।

यह उत्साहवर्धक है कि आज भारत विश्व की कौशल राजधानी बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी के साथ भारत अपने कार्यबल का अधिकाधिक लाभ उठाने

की स्थिति में है क्योंकि "डेमोग्राफिक डिविडेंड" अर्थात "जनांकिकीय लाभान्श" भारत के अनुकूल है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के "कौशल भारत— कुशल भारत" कार्यक्रम के माध्यम से हर साल एक करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बेहतर एवं आकर्षक रोजगार से जुड़ सकें। सेवा क्षेत्र का विस्तार करने, शिक्षता के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने और इसे प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शिक्षता अधिनियम में दिसंबर 2014 में संशोधन किए गए। ज्यादा-से-ज्यादा शिक्षाओं को शामिल करने के लिए नियोजकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में "राष्ट्रीय शिक्षता संवर्धन योजना (एनएपीएस)" शुरू की गई। इसके फलस्वरूप, पिछले पांच वर्षों के दौरान शिक्षाओं के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह भी सच है कि केवल कौशल विकास से उस समय तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इसे रोजगार-सृजन का पूरक नहीं बनाया जाता। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए ऐसे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिनमें पूंजी और प्रौद्योगिकी को प्रमुखता देने की बजाय श्रम की प्रधानता को ज्यादा महत्व दिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से देश के 24 लाख युवाओं को शामिल करने के लक्ष्य के साथ "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है। इसकी शुरुआत बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त करने हेतु उद्योग के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण देकर संतोषजनक रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए की गई है। जिन व्यक्तियों के पास पूर्व-शिक्षण अथवा कौशल से जुड़ा अनुभव है, उन्हें भी पूर्व-शिक्षण मान्यता (आरपीएल) श्रेणी के तहत, आकलन के बाद प्रमाणपत्र दिया जा रहा है। 17 जनवरी, 2020 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नौकरियां मिल चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत जनवरी 2020 तक 73 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना में युवाओं को 371 पाठ्यक्रमों में कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है और पात्र उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में नौकरियां मिली हैं।

देश की श्रमशक्ति के कल्याण और उत्थान के लिए भारत सरकार ने विभिन्न सुधारों और श्रम कानूनों के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के विभिन्न उपाय किए हैं। इनका उद्देश्य प्रत्येक कामगार के लिए सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा संबंधी पहलुओं को मजबूत बनाना है। इसके अलावा, कारोबार शुरू करने में उद्यमियों को राहत देने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को उदार और सरल बनाया गया है ताकि उनके माध्यम से भी स्थानीय-स्तर पर रोजगार के अवसर जुटाए जा सकें। इसके लिए मौजूदा सभी श्रम कानूनों को केवल 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है और उन्हें वर्तमान समय

की आवश्यकता के अनुरूप सरल एवं तर्कसंगत बनाया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने और वृद्धावस्था के दौरान संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए दो बड़ी पेंशन योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसकी शुरुआत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए फरवरी 2019 में की गई। केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को दिया जा रहा है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है और जिनके पास आधार संख्या के साथ किसी बैंक में बचत खाता या जन-धन खाता है। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं और इसमें 60 वर्ष की उम्र होने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना में नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर यानी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। पूरे देश में लगभग साढ़े तीन लाख ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना की वेबसाइट पर जाकर स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है। 10 दिसंबर 2019 तक इस योजना में लाभार्थियों की संख्या 39 लाख से ऊपर हो गई।

कारोबारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए भी स्वैच्छिक और अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत 12 सितंबर, 2019 को की गई है। इस योजना के लिए भी नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए या स्वयं इस योजना के पोर्टल पर जाकर कराया जा सकता है। 18 से 40 वर्ष उम्र के ऐसे कारोबारी, जिनका वार्षिक कारोबार डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन योजना/प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ऐसे व्यक्ति न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं। 10 दिसंबर, 2019 तक इस पेंशन योजना में कुल 20,000 लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों, कारोबारियों एवं दुकानदारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने से इन क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय आजीविका परामर्श (करियर काउंसलिंग), व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी, अप्रेंटिसशिप और इंटरनशिप जैसी रोजगार से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड परियोजना के तौर पर राष्ट्रीय आजीविका सेवा (नेशनल करियर सर्विस) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। आजीविका केंद्रों, जन-सेवा केंद्रों, डाकघरों, मोबाइल या साइबर कैफे इत्यादि के माध्यम से इन सेवाओं से सीधे जुड़ा

जा सकता है। नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म से जुड़े विभिन्न हितधारकों में नौकरी ढूंढ रहे व्यक्ति, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार केंद्र, प्रशिक्षण-प्रदाता, शैक्षणिक संस्थान और प्लेसमेंट एजेंसी शामिल हैं। 31 अक्टूबर, 2019 तक नेशनल करियर सर्विस में एक करोड़ से अधिक नौकरी के इच्छुक और 25 हजार से अधिक सक्रिय नियोक्ता पंजीकरण करा चुके हैं। इस सेवा के माध्यम से साढ़े 58 लाख खाली पद तलाशे गए हैं। रोजगार महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दिव्यांगजनों के लिए भी 21 राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इनमें दिव्यांग जनों की क्षमताओं का आकलन कर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। इन केंद्रों के माध्यम से 31 दिसंबर, 2019 तक 6,600 से अधिक दिव्यांग जनों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इससे दिव्यांग जनों के पुनर्वास में बहुत मदद मिली है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए 25 राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 31 अक्टूबर, 2019 तक इन केंद्रों के जरिए 67 हजार 761 उम्मीदवारों को रोजगार परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। 5,621 विद्यार्थियों को टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण और 1,050 उम्मीदवारों को कम्प्यूटर कौशल में प्रशिक्षण दिया गया।

देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए नियोक्ताओं को कारोबार शुरू करने से 3 साल तक की अवधि के लिए विशेष सहायता प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में नियोक्ता के पूरे अंशदान का भुगतान स्वयं भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का दोहरा लाभ हुआ है। एक ओर, नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में कामगारों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, दूसरी तरफ, इन संगठनों में बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार मिल रहा है। इससे इन कामगारों को असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं। इस योजना के सभी लाभार्थियों को आधार से जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25 नवंबर, 2019 तक 1 लाख 52 हजार 778 संगठनों और 1 करोड़ 21 लाख 65 हजार से अधिक लाभार्थियों को फायदा पहुंचा है।

वर्तमान समय में ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी कई योजनाओं के माध्यम से गांवों के समावेशी विकास के हर संभव उपाय कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत गांव के गरीबों और युवाओं के लिए विभिन्न पहलों के जरिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और उन्हें लाभपूर्ण रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना— 'मनरेगा' सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा के अपने मूलभूत उद्देश्यों के अनुरूप ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को मांग-आधारित कम-से-कम

100 दिन का मानव-श्रम से जुड़ा गारंटीशुदा अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों का आजीविका आधार मजबूत बनाने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक इस योजना के अंतर्गत 1,348.43 करोड़ मानव-दिवसों का सृजन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा में किए जा रहे निवेश से बड़े पैमाने पर उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है। इससे उत्पादकता में सुधार के साथ आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस योजना में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल-संरक्षण, सिंचाई तथा कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को मजबूत बनाने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत 3 लाख 6 हजार 45 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि राज्यों के लिए जारी की गई है। इस निवेश से मानव दिवसों के रूप में प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन तो हुआ ही है, साथ ही बहु-फसलों और उत्पादकता में सुधार सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों के बढ़ने से रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसरों में भी वृद्धि हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आमदनी बढ़ी है और उनकी आजीविका पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक आवासीय कार्यक्रम है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से रोजगार-सृजन हो रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सृजित हुए मानव दिवसों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यदि इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वित्त वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक कुल 25.20 करोड़ अकुशल मानव दिवसों का सृजन हुआ जबकि वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान कुल 277.52 करोड़ अकुशल मानव दिवसों का सृजन किया गया।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विविधतापूर्ण और लाभपूर्ण स्वरोजगार तथा कुशल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी में कमी लाना और स्थायी आधार पर उनकी आमदनी में संतोषजनक बढ़ोतरी करना है। इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत बनाने पर बल दिया जा रहा है ताकि उनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में गरीबी घटाने से संबंधित गतिविधियों को योजनाबद्ध ढंग से संचालित किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दो घटक हैं। आजीविका से जुड़ा कार्यक्रम महिला स्वयंसहायता समूहों पर केंद्रित है। मौजूदा समय में देश में 60 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूह हैं और इन्हें शुरू में रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। स्थिरता प्राप्त हो जाने पर इन स्वयंसहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई जाती है। तीसरे स्तर पर इन समूहों को उत्पादकता या व्यापार से जुड़े ऋणों के लिए बैंकों से जोड़ा जाता है। यह अच्छा संकेत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के

स्वयंसहायता समूहों के लिए, बैंक ऋणों में पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में स्वयंसहायता समूहों को 23 हजार 316 करोड़ रु. के बैंक ऋण प्राप्त हुए थे जबकि वर्ष 2017-18 में 44 हजार 292 करोड़, वित्त वर्ष 2018-19 में 61 हजार 448 करोड़ और वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक 52 हजार 519 करोड़ रु. के बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का दूसरा घटक है—**दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना**। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रमाणन-आधारित और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग 43,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और लगभग 21 हजार 400 उम्मीदवारों को विभिन्न रोजगारों से जोड़ा गया। इसके बाद इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में 2 लाख 41 हजार 411 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया और 1 लाख 38 हजार 198 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भी 2 लाख 7 हजार से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया और लगभग 1 लाख 36 हजार उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अलावा, मनरेगा के अंतर्गत पूर्ण रोजगार आजीविका परियोजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम और सड़क निर्माण गतिविधियों से जुड़े कौशल प्रशिक्षण के जरिए भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की तीन योजनाओं—मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक कुल 1,779.73 करोड़ मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह बात साफ है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि श्रमिकों के काम करने की स्थितियों और उनकी जीवन-दशा सुधारने की भी अनेक ऐतिहासिक पहलें की गई हैं, जिनके परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाने, कामगारों की कार्यदशाएं सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार इस दिशा में कोई कसर इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसका विश्वास है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ग्रामीण भारत को ज्यादा-से-ज्यादा सशक्त बनाकर ही, देश के समावेशी विकास का संकल्प पूरा किया जा सकता है।

(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं।)

ई-मेल : ns.tomar@sansad.nic.in
mord.kb@gmail.com

वर्ष 2022 तक देश में 75 लाख एसएचजी का लक्ष्य



केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 8 मार्च, 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीडी किसान पर एक लाइव टीवी प्रोग्राम में शामिल हुए।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना भारत राष्ट्रों की समिति (कमेटी ऑफ नेशंस) में विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सकेगा। 8 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीडी किसान पर महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित एक लाइव टीवी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नए भारत का मिशन केवल महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही साकार हो सकता है, जो हमारी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का आधा भाग हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब न केवल अकादमिक बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में अबल स्थान पा रही हैं, बल्कि उद्योग जगत से लेकर वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु कार्यक्रमों, पुलिस तथा सशस्त्र बलों और नौकरशाही तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद भी संभाल रही हैं।

श्री तोमर ने कहा कि महिला स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की रीढ़ हैं और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों का पूरा ध्यान महिलाओं की मुक्ति की दिशा में ही अभिविन्यस्त है। उन्होंने कहा, “समुदाय व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, ऐसे में समूचे ग्रामीण परिदृश्य में विकास की प्रक्रिया में परिवर्तनकारियों के रूप में एसएचजी की भूमिका महत्वपूर्ण है।”

श्री तोमर ने कहा कि देशभर में 60.8 लाख एसएचजी छह करोड़ 73 लाख से ज्यादा महिलाओं को संगठित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “और ज्यादा महिलाओं को आजीविका पाने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2022 तक कुल 75 लाख एसएचजी का सृजन करने की योजना है।”

श्री तोमर ने कहा कि सरकार सरल ऋण प्रवाह के लिए बैंकों को जोड़ने के द्वारा निधि उपलब्ध करा रही है और स्वयंसहायता समूहों को आजीविका मिशन हेतु प्रशिक्षण दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वयंसहायता समूहों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कारों का गठन किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए

पिछले 6 वर्षों के दौरान स्वयंसहायता समूहों को 2.75 लाख करोड़ से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वार्षिक रूप से 5 करोड़ से अधिक लोगों को नियुक्त किया जाता है और मनरेगा के तहत कार्यबल में महिलाओं की 55 प्रतिशत की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत भी 4.66 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस योजना के तहत और अधिक महिलाओं की भागीदारी हो रही है।

श्री तोमर ने कहा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का पुनर्गठन किया गया और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (डीएवाई)- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में शामिल कर दिया गया। इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य लगभग 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ने महिलाओं को गौरव प्रदान किया है और देशभर में 9.5 करोड़ शौचालयों के निर्माण के साथ उनकी सुरक्षा बढ़ाई है।

श्री तोमर ने कहा कि सरकार न केवल महिलाओं और ग्रामीण आबादी की सहायता कर रही है बल्कि उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य दिलाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) प्लेस जैसे मंच भी उन्हें उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यालयों के लिए अनिवार्य बना दिया है कि पहले वह जीईएम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अगर वहां उपलब्ध न हो तो ही अन्य स्रोतों से खरीद करें।

कार्यक्रम के दौरान, दिल्ली के अतिरिक्त, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर, पटना एवं रांची के दूरदर्शन स्टूडियो से ग्रामीण महिला प्रतिभागियों ने मंत्री के साथ परस्पर बातचीत की। उन्होंने अपनी सफलता गाथाओं को साझा किया और बताया कि किस प्रकार स्वयंसहायता समूहों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान देने में सहायता की है। महिला प्रतिभागियों में पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी और पोषण सखी सहित कई सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (सीआरपी) शामिल थे।

एमएसएमई : नए युग की उद्यमिता

—उर्वशी प्रसाद

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह दस करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और विनिर्माण उत्पादन के 45 प्रतिशत के साथ-साथ देश के निर्यात का 40 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र में होता है। वर्तमान में देश की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 29 प्रतिशत है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ा रोज़गार उत्पादक रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और विनिर्माण उत्पादन के 45 प्रतिशत के साथ-साथ देश के निर्यात का 40 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र में होता है। वर्तमान में देश की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 29 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 73वें दौर के अनुसार, भारत में अनिगमित गैर-कृषि एमएसएमई में श्रमिकों की अनुमानित संख्या 11.10 करोड़ थी।

प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने के लिए दृढ़ प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने से भारत निम्न मध्यम आय वाले देश से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और हमारी प्रति व्यक्ति आय असल में दोगुनी हो जाएगी। यह निश्चित रूप से तभी होगा जब भारत विभिन्न संस्थानों के लिए व्यापार करने और हमारे नागरिकों के लिए रोज़गार पैदा करने और उनके विकास का एक पसंदीदा स्थान बना रहेगा। सरकार व्यवसायों के विकास और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। उनको होने वाले लाभ का भारत के भविष्य में पुनः निवेश किया जाता है। इसलिए सरकार की योजनाओं को सभी क्षेत्रों में व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्टअप, में विकास के अनुरूप तैयार किया गया है। व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं जिसमें औद्योगिक गलियारों का निर्माण करना, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना और साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण और कौशल को बढ़ावा देने वाली विभिन्न क्षेत्र विशेष नीतियों का ध्यान रखना शामिल है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों में उत्पन्न

अनुमानित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या) क्रमशः 3.58 लाख, 3.23 लाख, 4.08 लाख, 3.87 लाख और 5.87 लाख थी।

2019 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ा रोज़गार उत्पादक रहा है, विशेष रूप से आतिथ्य और पर्यटन, वस्त्र और परिधान, धातु उत्पाद, मशीन कलपुर्जों और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में। सर्वेक्षण में 28 राज्यों के 350 से अधिक औद्योगिक केंद्रों में 105,347 फर्म शामिल हैं जिनमें से अधिकांश एमएसएमई क्षेत्र में थी।

आर्थिक सुधारों का एमएसएमई पर सकारात्मक प्रभाव

केवल एक या दो वर्षों के लिए मजबूत आर्थिक विकास हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं है। जैसाकि प्रधानमंत्री द्वारा ज़ोर दिया गया है, भारत के लिए सरकार की परिकल्पना अगले तीन दशकों के लिए है। इसलिए सरकार ने तेज़ी से आर्थिक परिवर्तन



खादी के ज़रिए हम लोगों को एक साथ बेहतर दुनिया में जीने की कला सिखाते हैं।

—महात्मा गांधी

लाने की नींव रखने और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक उच्च विकास पथ पर ले जाने के लिए कई प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को लागू किया है। इनमें से कई सुधार औपचारिक अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम व्यवसायों को शामिल करके एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सबसे पहले, सरकार मानती है कि विफलता हर उद्यमी के जीवनचक्र में महत्वपूर्ण है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि अगर उद्यमी विफल हों तो उससे भी तेजी से सफल होने के लिए वापस आएंगे। इनसॉल्वेंसी और दिवालिया होने से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली पहले बहुत खंडित थी और इस प्रक्रिया में औसतन 4 साल का समय लगता था। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू करके, सरकार ने भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के समकक्ष ला दिया है। अब अवधि बेहद घट कर एक वर्ष से भी कम रह गई है।

दूसरे, 2014 से पहले, भारत में लागू कराधान प्रणाली निवेशकों के लिए प्रतिकूल, अप्रत्याशित और गैर-पारदर्शी मानी जाती थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने भारत की अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बना दिया है। इसने भारत को एक एकल आर्थिक बाजार में एकीकृत कर दिया है। 99 प्रतिशत से अधिक कंपनी निकायों की कॉरपोरेट कर की दर को भी 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। कर छूट के लिए कई जटिल और विवेकाधीन नियमों को समाप्त कर दिया गया है ताकि सभी कंपनियों के साथ समान व्यवहार हो।

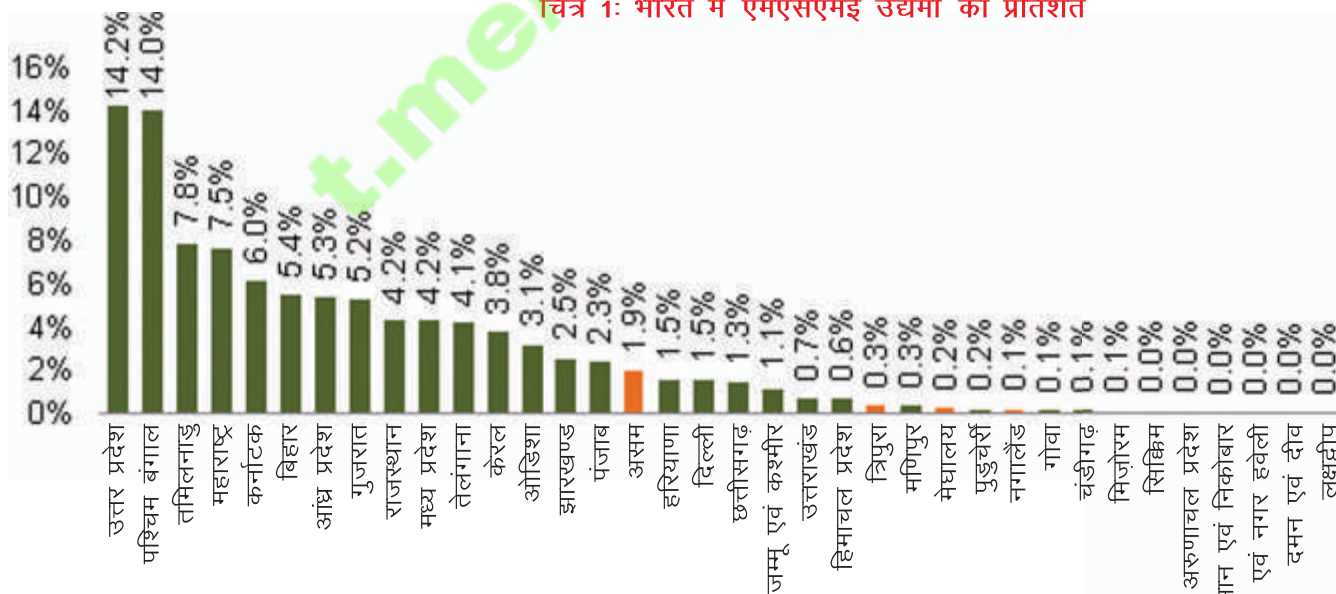
तीसरा, भारत वैश्विक-स्तर पर उन शीर्ष 2 देशों के वर्ग में

शामिल हो गया है जिन्होंने डिजिटल के कई आयामों को अपनाया है। दुनिया के सबसे बड़े अनूटे डिजिटल पहचान कार्यक्रम 'आधार' के तहत लगभग 1.2 बिलियन भारतीय पंजीकृत हैं। स्मार्टफोन की पहुंच और कनेक्टिविटी में वृद्धि— वर्तमान में 53 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता— इस संख्या के 2024 तक 1 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक बढ़ने की उम्मीद है; वर्तमान में 50 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के 2024 तक 1.2 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत के मोबाइल उद्योग की अपार वृद्धि से डिजिटल कनेक्टिविटी सक्षम हो रही है।

हालिया पहलों जैसे कि भारत इंटरफेस फॉर मनी (बीएचआईएम) एप्लिकेशन डिजिटल धनराशि के लेनदेन को बहुत बढ़ावा दे रहा है। एक नया डिजिटल इकोसिस्टम इंडिया स्टैक भी विकसित किया गया है। इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का अवसर देता है जो भारत की जटिल समस्याओं का समाधान प्रेजेंसलेस, पेपरलेस और कैशलेस सेवा प्रदान करने के द्वारा करता है। सरकारी खरीद को सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीइएम) के माध्यम से भी डिजिटल किया गया है जो खरीद प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।

चौथा, नीति आयोग ने जून, 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति पर एक चर्चा-पत्र जारी किया। बड़े पैमाने पर एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी जल्द ही आरम्भ किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएसएमई के लिए व्यावसायिक प्रदर्शन को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

चित्र 1: भारत में एमएसएमई उद्यमों का प्रतिशत



स्रोत: एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



सकता है, खासकर दक्षता, नवाचार और विकास के क्षेत्रों में।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप, भारत 2019 में विश्व बैंक की ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में 77 वें स्थान पर पहुंच गया। 2014 के बाद से यह 65 स्थानों की छलांग है। भारत की रैंकिंग में यह अभूतपूर्व सुधार लाइसेंस और अनुमतियां देने के लिए प्रक्रियाओं और प्रणालियों को तर्कसंगत बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने का परिणाम था।

सरकार उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वर्ष 2018-19 में भारत का एफडीआई प्रवाह 64.375 बिलियन डॉलर पर मज़बूत रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि है। सरकार ने कई क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है, जिसमें एकल ब्रांड खुदरा व्यापार और निर्माण विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस अंतर्वाह का एमएसएमई क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल

औपचारिक ऋण तक पहुंच, चाहे वह कार्यशील पूंजी या पूंजी निवेश वित्त के लिए हो, एमएसएमई के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवरोधों में से एक था। अनौपचारिक और असंगठित तौर पर काम करने वाले कई एमएसएमई के पास लेखा परीक्षा के लिए पहले से तैयार लेखा बहियां नहीं थे, जिनका उपयोग बैंक ऋण के लिए पात्रता की जांच करने के लिए करते हैं। इसी तरह, जब उनके खरीदार (आमतौर पर बड़े कॉरपोरेट) समय पर भुगतान करने में विफल रहते थे, या पुनर्भुगतान के लिए लंबी समयावधि की मांग करते थे, तो उनके पास कार्यशील पूंजी की कमी की विवशता होती थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक पोर्टल लांच किया गया जो एमएसएमई के लिए एक करोड़ रुपये तक की राशि के ऋण को स्वीकृत करने में महज 59 मिनट का समय लेता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि बैंकों के

चक्कर लगाना अब आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, एमएसएमई को सरकार द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया गया। इन उपायों को एमएसएमई को बैंकों से सुगमता से ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया गया था, और इसका उद्देश्य एमएसएमई को अनौपचारिक मुद्रा बाजारों से दूर रखना था जहां ब्याज लागत बेहद अधिक हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) लांच किया और विलंबित भुगतानों की समस्या से निपटने के लिए समाधान पोर्टल आरम्भ किया।

इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं को लागू करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर पैदा कर रही है। पिछले साल तक, 65,312 नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए थे और इस कार्यक्रम के तहत 5,22,496 रोज़गार के अवसर उत्पन्न हुए थे।

24 से अधिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर और 25 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज— कलस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के भाग के रूप में मंजूरी दी गई, जबकि 5,46,127 क्रेडिट सुविधाओं को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत 33,381 करोड़ रुपये की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई।

एमएसएमई मंत्रालय देश में मौजूदा 18 प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों (टीसीएस) को अपग्रेड करने के साथ-साथ 15 नए टूल रूम और टीसीएस स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है। टीसीएस और अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 3,59,361 से अधिक युवा जन प्रशिक्षित हुए हैं।

2019 तक सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीइएम) पर कम से कम

62,085 एमएसएमई पंजीकृत किए गए थे। अब सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयों के लिए एमएसएमई से कम से कम 25 प्रतिशत खरीद अनिवार्य कर दी है जो पहले 20 प्रतिशत थी। पिछले साल तक 71,199 एमएसएमई से 20,139.91 करोड़ रुपये का सामान और सेवाएं प्राप्त की गई थी जो सीपीएसयू की कुल खरीद का 28.49 प्रतिशत थी।

खादी को लोकप्रिय बनाने और ग्रामोद्योग को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। नवंबर, 2019 में, केंद्र सरकार ने खादी के लिए एक विशिष्ट एचएस कोड जारी किया, जिससे यह कपड़ा उत्पादों की सामान्य श्रेणी से अलग एक विशेष श्रेणी बन गई। इस कदम से खादी निर्यात पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

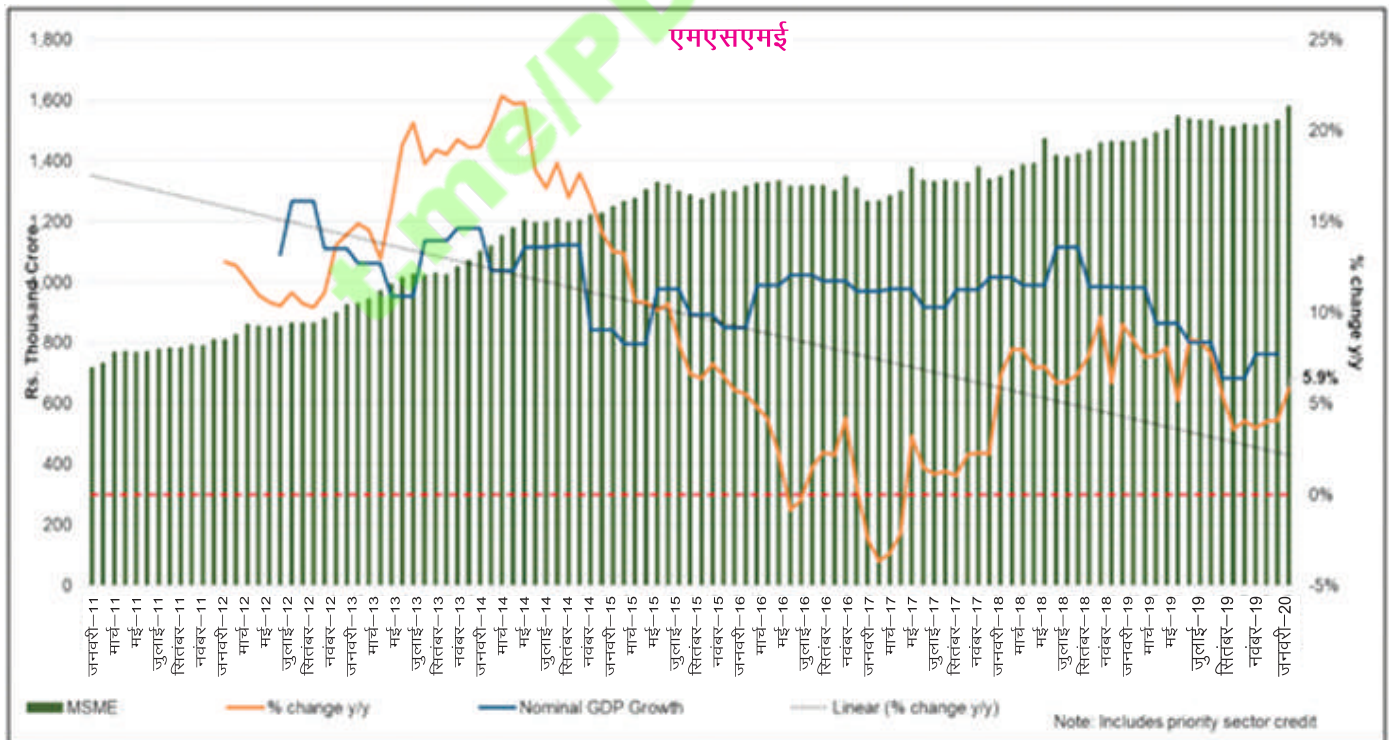
नवंबर, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के लिए शुरू की गई ब्याज छूट योजना (इंटररेस्ट सबवेंशन स्कीम) में हाल में कुछ अनुकूल संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन विभिन्न हितधारकों द्वारा ध्यान दिलाई गई परिचालन चुनौतियों के जवाब में किए गए हैं। यह उम्मीद की जाती है कि योजना के दिशानिर्देशों में इन बदलावों के बाद कम लागत पर ऋण प्राप्ति के परिणामस्वरूप एमएसएमई की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

निर्यात को बढ़ावा देना एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिस पर बल दिया जा रहा है। 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए, भारत में विभिन्न राज्यों की निर्यात क्षमता को

समझना और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वस्तुओं और सेवाओं, दोनों के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, हमें अपने निर्यात प्रयास को मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए अमल में लाई जाने वाली नीतियां बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने, ऋण उपलब्धता बढ़ाने, लागत और गुणवत्ता के मामले में हमारे उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के साथ-साथ निर्यात के लिए विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को लक्षित करने पर केंद्रित हैं।

एमएसएमई के संबंध में, सरकार ने भारत के निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए विभिन्न पहलें क्रियान्वित की जा रही हैं जिनसे कुशल मानव बल तैयार होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं के बारे में एमएसएमई में बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे अपने उत्पादों को उनके अनुरूप बना सकें। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के लिए ऋण प्राप्ति को सुगम बनाने के साथ-साथ पूंजी, रसद और बिजली की लागत सहित उत्पादन की लागत को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से, एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण पर, सरकार का लक्ष्य 2025 तक 5 बिलियन डॉलर के वार्षिक निर्यात लक्ष्य के साथ भारत को शीर्ष पांच वैश्विक उत्पादकों में से एक बनाना है।

चित्र 2: एमएसएमई को तेजी से बढ़ता बैंक ऋण



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक



प्रमुख बजट घोषणाएं और आवंटन

2020-21 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए 7,572.20 करोड़ रुपये की सर्वकालिक उच्च राशि को अलग रखा। मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना, **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** को 2,500 करोड़ रुपये की सर्वकालिक उच्च राशि भी आवंटित की गई है। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपये की एक योजना की घोषणा की गई जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट और अन्य में एमएसएमई को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें व्यवसाय कार्यनीति, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल हैं, ताकि उन्हें निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण आवंटन में खादी-आधारित उद्यमों का एक स्थायी मॉडल विकसित करने के लिए खादी विकास योजना और ग्रामोदय विकास योजना के लिए 472 करोड़ रुपये के साथ-साथ गांवों में सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम के लिए 391 करोड़ रुपये शामिल हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

परंपरागत उद्योगों में पुनर्योजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) को भी 465 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष के 125 करोड़ रुपये की तुलना में कहीं अधिक हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक, लाभदायक और बड़े पैमाने पर कारीगरों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, एमएसएमई को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, क्रेडिट-लिक्विड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के तहत आवंटन बढ़ाकर 805 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब को 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2020-21 में एमएसएमई से संबंधित कई प्रमुख नीति और कार्यक्रम संबंधी घोषणाएं की गईं। सबसे पहले, एमएसएमई क्षेत्र में किसी व्यवसाय के ऑडिट के लिए उसकी टर्नओवर सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे अनुपालन का बोझ घटने की उम्मीद है, खासकर छोटे व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों पर। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में नए व्यवसायों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है, जबकि मौजूदा कंपनियों के लिए दर को घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। व्यवसायों जिनमें ताजा निवेशों से आरम्भ किए गए व्यवसाय शामिल हैं, के विस्तार को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। तीसरा, निवेशकों पर कर के बोझ को कम करने के लिए लाभांश वितरण कर को हटा दिया गया है। टीआरडीएस के माध्यम से एमएसएमई को इनवॉयस फाइनेंसिंग प्रदान करने के लिए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सक्षम करने के लिए फ़ैक्टर रेगुलेशन एक्ट, 2011 में चौथा संशोधन प्रस्तावित किया गया है। पांचवां, एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि अर्ध-इक्विटी के रूप में छोटे ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी।

अन्य प्रमुख बजटीय घोषणाओं में एक ऐप-आधारित इनवॉयस फाइनेंसिंग लोन प्रोडक्ट, जीइएम के माध्यम से एकीकृत खरीद प्रणाली की रचना और जीएसटी रिफंड और करदाताओं के आधार-आधारित सत्यापन के ऑटोमेशन सहित अनुपालन में सुधार के लिए अप्रत्यक्ष कर सुधार शामिल हैं। पिछले साल, जीएसटी परिषद की 32 वीं बैठक के बाद, एमएसएमई क्षेत्र में व्यवसायों के लिए जीएसटी छूट की सीमा 40 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई थी जो पहले 20 लाख रुपये थी।

अंत में, यह गौरतलब है कि मोटे तौर पर भारत अब तीव्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। यह मध्यम अवधि में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की संभावना रखता है। हमारा ध्यान 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जिसमें एमएसएमई क्षेत्र का कम से कम 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान हो, बनने की दिशा में विकास को निरंतर गति देने पर होना चाहिए।

इसलिए हमें एमएसएमई के लिए मज़बूत ऋण सहायता जैसे सुधारों पर जोर देने की जरूरत है। नीति आयोग के स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया@75 दस्तावेज़ में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं जिनमें विनिर्माण क्षमता का आत्मनिर्भर कलस्टर बनाने पर जोर देना, एमएसएमई को ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना और गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करना शामिल हैं।

(लेखिका नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं। इस लेख में उत्कर्ष कात्यायन, नीति आयोग ने भी सहयोग किया है।)

ई-मेल : urvashi.prasad@nic.in

सतत विकास के लिए कलस्टरों को प्रोत्साहन

—डॉ. श्रीपर्णा बी बरुआ

एमएसएमई क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), निर्यात एवं रोज़गार सृजन के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर रहे हैं। देखा गया है कि कलस्टर या समूह बनाने से एमएसएमई को वैश्वीकरण से पनपी चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली है। कलस्टर की नीतियां विभिन्न फर्मों के बीच गठजोड़ और कारोबारी नेटवर्किंग मज़बूत करती हैं तथा संगठनों को तकनीक हस्तांतरण के लिए तैयार करती हैं या मज़बूत बनाती हैं।

परिचय

पिछले कुछ वर्षों में एक खास चलन बढ़ रहा है, जिसमें फर्म आपस में सहयोग भी करती हैं और प्रतिस्पर्धा भी। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के मामले में सहयोग की अहमियत और भी ज्यादा लगती है। तकनीकी लड़ाई बढ़ गई है और तकनीक पहले से ज्यादा जटिल हो गई है, इसलिए एमएसएमई कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे अनुसंधान एवं विकास पर बढ़ता खर्च, तकनीकी विकास में बड़े जोखिम और अनिश्चितता तथा बड़े स्तर पर नवाचार की परियोजनाएं चलाने के लिए संसाधनों की कमी। किसी भी उद्योग में एमएसएमई को प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलाना पड़ता है ताकि कम खर्च में बड़े-स्तर पर उत्पादन हो सके, जोखिम कम हो सके और संसाधनों का साथ-साथ फायदा उठाया जा सके। एमएसएमई क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), निर्यात एवं रोज़गार सृजन के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा उत्पादन कर रहे हैं।

देखा गया है कि कलस्टर या समूह बनाने से एमएसएमई को वैश्वीकरण से पनपी चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली है—

कलस्टर की नीतियां विभिन्न फर्मों के बीच गठजोड़ और कारोबारी नेटवर्किंग मज़बूत करती हैं तथा संगठनों को तकनीक हस्तांतरण के लिए तैयार करती हैं या मज़बूत बनाती हैं। वास्तव में, दुनिया भर के देश पिछले कुछ समय से कलस्टर के तरीके पर विश्वास कर रहे हैं, जो संस्थाओं एवं नीतिगत ढांचे की मदद से छोटी फर्मों के बीच एवं बाहरी वातावरण में नेटवर्क सुनिश्चित करने पर जोर देता है। साथ ही, वैश्वीकरण के कारण एमएसएमई को वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों की विशेष एमएसएमई बैंक शाखाओं अथवा काउंटरों के जरिए ऋण, ऋण गारंटी से वित्तीय सहायता देने और वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहन देने की नीतियां आरंभ हुई हैं। इस तरह वैश्वीकरण के युग में एमएसएमई को मदद मिल रही है। दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में एमएसएमई वृद्धि तथा विकास के लिहाज़ से उपलब्धियों के रास्ते पर चल रहे हैं।

कलस्टर प्रतिस्पर्धात्मकता में इज़ाफा ही नहीं करते बल्कि ये गरीबी उन्मूलन, सतत रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने, तकनीक शामिल करने, ऋण का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने और



पर्यावरण की समस्याओं को अधिक प्रभावी तथा टिकाऊ तरीके से निपटाने का साधन भी बनते हैं।

दुनिया के 50 से अधिक देशों में कलस्टर विकास किया गया है और भारत में ही कम से कम 20 अलग-अलग और स्वतंत्र पहल की जा रही हैं या उनकी योजना बनाई जा रही है। शायद दुनिया में किसी भी अन्य देश में दशकों और सदियों से 6,000 से अधिक कलस्टर काम नहीं कर रहे होंगे। इस विषय में जबर्दस्त दिलचस्पी जगी है, लेकिन कलस्टरों और कलस्टर विकास के बारे में समझ से भ्रम और विरोधाभास ही उत्पन्न हुए हैं।

सूक्ष्म क्षेत्र मज़बूरी में हाइड्रा की तरह अपने आप ही पनपते हैं। उनके सामने पारंपरिक विनिर्माण उद्योगों में आजीविका और आय सृजन की तथा हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी तथा ग्रामोद्योग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त आजीविका एवं आय प्राप्त करने की मज़बूरी है। कुल मिलाकर एमएसएमई क्षेत्र (सूचना प्रौद्योगिकी, बड़ी इकाइयों की सहायक इकाइयों, हाल में शुरू हुई कुछ विशेष सेवाओं को छोड़कर) पुरानी तकनीक, उत्पादन लागत में दक्षता की कमी, सीमित बाज़ार और तमाम दूसरी समस्याओं से ग्रस्त है। इसके कारण ऐसा दौर आया है, जिसमें स्थापित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से तगड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक उद्योग खुद ही बंद हो रहे हैं।

देश भर में फैले ढेरों एमएसएमई को यह सब उपलब्ध कराना आसान नहीं है और न ही उनके पास खुद यह सब खरीदने की क्षमता है। इस बाधा से निपटने का इकलौता तरीका कलस्टर बनाना और उनका विकास करना है, जिससे एमएसएमई को नया जीवन मिलेगा। भारत में कम विकसित क्षेत्रों, जहां सीमित

औद्योगीकरण है, में एमएसएमई ज्यादातर हथकरघा, शिल्प और कृषि क्षेत्र पर ही ज़ोर देते हैं और अधिकतर कलस्टर पारंपरिक तथा आजीविका वाले कलस्टर हैं। देखा गया है कि इन कलस्टरों से कुटीर इकाइयां सूक्ष्म उद्यम बन जाती हैं। कलस्टरों के जरिए असंगठित क्षेत्र अधिक व्यवस्थित होने लगा है।

उद्यम कच्चे माल, कलपुर्जों, मशीनरी, कौशल एवं प्रौद्योगिकी तथा सहायक सेवाओं के खास आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति के कारण अपनी प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ा सकते हैं। कलस्टरों पर अनुसंधान से साफ पता चलता है कि हितधारकों के बीच सकारात्मक संबंधों के साथ कलस्टरों पर ज़ोर देने के कितने फायदे होते हैं। कलस्टर विकास उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का रास्ता ही नहीं है बल्कि यह गरीबी उन्मूलन, सतत रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और बेहतर, प्रभावी तथा सतत ऋण प्रवाह लाने का जरिया भी है।

भारत में कलस्टर विकास कार्यक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ इसके करीबी मेलजोल के कारण एमएसएमई क्षेत्र के सामने आई कड़ी चुनौतियों ने भारत के भीतर एमएसएमई विकास के नए तरीकों के बारे में बड़ी दिलचस्पी पैदा कर दी है। नतीजा यह हुआ कि केंद्र तथा राज्य-स्तर पर निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं कलस्टर विकास के अधिक से अधिक कार्यक्रम चला रही हैं। एमएसएमई मंत्रालय के साथ दूसरे मंत्रालय भी कलस्टर विकास की अपनी-अपनी योजनाएं लेकर आए हैं। नीचे दी गई तालिका से विभिन्न कलस्टर विकास योजनाओं तथा उन योजनाओं के लिए मिल रही सहायता का पता चलता है।

क्र. सं.	योजना का नाम	मंत्रालय
1.	परंपरागत उद्योगों के पुनर्निर्माण के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) कलस्टरों का चुनाव उनकी भौगोलिक सघनता पर आधारित होगा, जिसमें किसी जिले (या एक दूसरे से जुड़े जिलों) की एक या दो तहसीलों में शिल्पियों के लगभग 500 परिवार या सूक्ष्म उद्यम, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, सेवाप्रदाता आदि होने चाहिए। कलस्टर खादी, जूट एवं ग्रामोद्योगों से होंगे, जिनमें चमड़ा और कुम्हारी शामिल हैं। स्फूर्ति के लिए कलस्टरों के चुनाव के समय उत्पादन तथा रोज़गार के अवसरों के सृजन में इज़ाफ़े की क्षमता भी देखी जाएगी। कलस्टर चयन के समय देशभर में कलस्टरों के भौगोलिक वितरण को भी ध्यान में रखा जाएगा और कम से कम 10 प्रतिशत कलस्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र में होंगे।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय
2.	सोलर चरखा कलस्टर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 जून, 2018 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सोलर चरखा मिशन आरंभ किया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान योजना संचालन समिति ने सोलर चरखा कलस्टरों की 11 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी दी है।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय
3.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – कलस्टर विकास कार्यक्रम भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा उनके समूहों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने एवं क्षमता निर्माण के लिए कलस्टर विकास को ही प्रमुख रणनीति के तौर पर अपनाया है। किसी पहचानने योग्य एवं व्यावहारिक तथा सटे हुए क्षेत्र अथवा भौगोलिक क्षेत्र से परे जाने वाली मूल्य शृंखला में स्थित ऐसे उद्यमों के समूह को कलस्टर कहते हैं, जो एक जैसे उत्पाद अथवा एक-दूसरे के पूरक उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं और	विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय

	जिन्हें उनकी साझी चुनौतियों से निपटने वाले साझे भौतिक बुनियादी ढांचे की मदद से एक साथ जोड़ा जा सकता है। कलस्टर में उद्यमों की विशेषता है— (अ) उत्पादन के तरीकों, गुणवत्ता नियंत्रण एवं जांच, ऊर्जा खपत, प्रदूषण नियंत्रण आदि के मामले में समानता अथवा पूरकता; (आ) तकनीक एवं मार्केटिंग रणनीति या पद्धतियों का समान स्तर; (इ) कलस्टर के सदस्यों के बीच संचार के समान मार्ग; (ई) बाज़ार एवं कौशल की साझी जरूरतें और/अथवा (उ) कलस्टर के सामने साझी चुनौतियां एवं अवसर	
4.	कृषि प्रसंस्करण कलस्टर योजना योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे एवं साझा सुविधाओं का विकास करना है ताकि उद्यमियों के समूह को कलस्टर पद्धति पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उद्यमियों का समूह आधुनिक बुनियादी ढांचे वाली सुगठित आपूर्ति शृंखला के जरिए उत्पादों/किसानों तथा प्रसंस्करणकर्ताओं एवं बाजारों को जोड़कर ये कलस्टर स्थापित करेगा। इकाइयों की स्थापना और साझा बुनियादी ढांचे का सृजन साथ-साथ चलेगा। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी/संगठन जैसे सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/साझा उपक्रमों/गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी संस्थाओं/स्वयंसहायता समूहों/किसान उत्पादक संगठनों/निजी क्षेत्र/व्यक्तियों आदि के द्वारा स्थापित कृषि प्रसंस्करण कलस्टर योजना के दिशानिर्देशों के तहत दिए गए नियम और शर्तें पूरी करने पर वित्तीय सहायता के हकदार होंगे।	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5.	समग्र हथकरघा कलस्टर विकास योजना इसका उद्देश्य मेगा हैंडलूम कलस्टर तैयार करना है, जो स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य भौगोलिक क्षेत्रों में होंगे। इन्हें कुछ खास उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल होगी, बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के जरिए संपर्क बेहतर होगा और कलस्टर के मुख्य उद्योग एक-दूसरे पर निर्भर होंगे, भंडारण की बेहतर सुविधाएं होंगी, प्री-लूम/ऑन-लूम/पोस्ट-लूम परिचालन में तकनीकी उन्नयन होगा, बुनकर शेड होगा, कौशल उन्नयन होगा, डिज़ाइन इनपुट होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी। ये कलस्टर अंत में देसी और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की बदलती जरूरतें पूरी करने में सक्षम होंगे और इनसे हथकरघा उद्योग में लगे लाखों बुनकरों का जीवन-स्तर बेहतर होगा।	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
6.	औषधि क्षेत्र के लिए कलस्टर विकास योजना • 'औषधि क्षेत्र के लिए कलस्टर विकास योजना' कहलाने वाली इस योजना का प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना के बचे वर्षों के लिए केंद्रीय योजना के रूप में किया गया है, जिसे अगली पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहना है। • 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना का कुल 125 करोड़ रुपये का आकार प्रस्तावित किया गया। • योजना को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत क्रियान्वित किया जाएगा और चिह्नित बुनियादी ढांचे एवं साझा सुविधाओं के सृजन हेतु एक विशेष उद्देश्य वाली कंपनी (एसपीवी) को विभिन्न चरणों में अनुदान सहायता जारी की जाएगी। एसपीवी का गठन इसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। • योजना नए कलस्टरों की स्थापना तथा पहले से स्थापित कलस्टरों के उन्नयन के लिए है। लेकिन अनुदान साझा सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए है। योजना आरंभ होने के तीन वर्ष बाद इसके विभिन्न पहलुओं तथा परिणामों की समीक्षा की जाएगी।	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
7.	मेगा लेदर कलस्टर कलस्टर के लिए कम से कम 40 एकड़ का क्षेत्रफल होगा। मेगा लेदर कलस्टर में मुख्य बुनियादी ढांचा, सामाजिक बुनियादी ढांचा, उत्पादन बुनियादी ढांचा (मशीनों/उपकरणों के लिए प्लग इन सुविधा वाले इस्तेमाल के लिए तैयार फैक्टरी शेड), मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण आदि होंगे। प्रत्येक मेगा लेदर कलस्टर को एक विशेष उद्देश्य वाली कंपनी के जरिए चलाया जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत होगी। इसकी स्थापना चमड़े की टैनिंग, चमड़े के सामान आदि के विनिर्माण में एवं चमड़ा उद्योग से जुड़ी अन्य गतिविधियों में लगे उन हितधारकों, खासतौर पर इच्छुक उद्यमियों के समूह (कानूनी रूप से स्वतंत्र कम से कम सात कंपनियों) द्वारा की जाएगी, जो प्रस्तावित मेगा कलस्टर में विनिर्माण इकाई स्थापित करने की इच्छा रखते हों। विशेष उद्देश्य वाली कंपनी परियोजना की परिकल्पना करेगी, खाका तैयार करेगी, वित्त का इंतजाम करेगी, परियोजना लागू करेगी और बुनियादी ढांचे को संभालेगी। यह ज़मीन का अधिग्रहण करेगी और बुनियादी ढांचा विकसित करने के बाद उद्योग को इकाइयां लगाने के लिए स्थान या वर्क शेड आवंटित करेगी। यह परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी अनुदानों के अलावा भी धन जुटाएगी।	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
8.	आम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में हस्तशिल्प विकास आयुक्त की यह पहल भारत भर के कलस्टर शिल्पियों द्वारा	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

	तैयार विभिन्न उत्पादों की झांकी दिखाने के लिए है। शिल्पियों को उन क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा तकनीक/मार्केटिंग के गुर सिखाए जाते हैं, जिनसे हस्तशिल्प विकास आयुक्त इन शिल्पियों के उन्नयन के लिए हाथ मिलाते हैं। पोर्टल में 32 अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत 35,312 उत्पाद दिखाए गए हैं। खरीदार क्राफ्ट/सब-क्राफ्ट, प्रोडक्ट/सब-प्रोडक्ट एवं रीजन श्रेणियों से होकर उत्पाद तक पहुंच सकता है। उत्पाद तक पहुंचने के बाद उसका ब्यौरा और उसे बनाने वाले कलस्टर का ब्यौरा देखा जा सकता है। यह शिल्पियों/कलस्टरों को बाज़ार से जोड़ने का प्रयास है ताकि खरीदार/निर्यातक उत्पाद के बारे में पूछताछ के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकें।	
9.	औद्योगिक ढांचा उन्नयन योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने वर्ष 2003 में 'औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना' आरंभ की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान कर तथा परियोजना लागत की 75 प्रतिशत (प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 60 करोड़ रुपये) वित्तीय सहायता प्रदान कर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष उद्देश्य वाली कंपनी बनाई जानी है, जिसकी कमान निजी क्षेत्र के किसी उद्यमी के हाथ में होगी।	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
10.	आयुष कलस्टर परीक्षण, प्रमाणन, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और क्षमता निर्माण के अन्य उपायों हेतु साझा सुविधाएं स्थापित करने जैसी प्रमुख योजनाएं; और मार्केटिंग/ब्रांडिंग, उत्पादन इकाइयों को सामान्य ढांचागत मदद की व्यवस्था से संबंधित अतिरिक्त योजनाएं।	स्वास्थ्य मंत्रालय
11.	शिल्प कलस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) में क्राफ्ट कलस्टर योजना इसलिए बनाई गई है ताकि निफ्ट के छात्र शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं से परिचित हो सकें और उन्हें क्षेत्रीय संवेदनाओं एवं विविधता, संसाधनों तथा पर्यावरण का भान हो सके। इस योजना के जरिए 'निफ्ट' शिल्प का फैशन और फैशन का शिल्प में संगम कराने के लिए व्यापक जागरूकता तथा संवेदनशीलता जगाने में कामयाब रहा है। क्राफ्ट कलस्टर इनीशिएटिव योजना की परिकल्पना इसलिए की गई ताकि 'निफ्ट' के छात्रों का भारत के विविधता भरे एवं अनूठे हथकरघों तथा हस्तशिल्प से हर वर्ष व्यवस्थित, लगातार एवं नियमित संपर्क होता रहे। इस गतिमान योजना के अंतर्गत 'निफ्ट' के छात्र भारत के कलस्टरों में शिल्पियों तथा बुनकरों के साथ मिलकर काम करते हैं और निदान अध्ययन, डिज़ाइन हस्तक्षेप एवं नमूना विकास जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। शिल्पियों और बुनकरों को भी कार्यशालाओं, प्रदर्शन कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और शिल्प बाज़ारों के लिए 'निफ्ट' परिसरों में न्यौता दिया जाता है, जहां उन्हें शिल्प विशेषज्ञों से बात करने, उत्पाद तथा डिज़ाइन के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाने और शहरी बाज़ारों में उपभोक्ताओं को समझने में मदद मिलती है।	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन मिशन का लक्ष्य स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाकर और सुनियोजित रबन कलस्टर तैयार कर इन ग्रामीण-शहरी (रबन) कलस्टरों का कार्याकल्प करना है। इससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और एकीकृत तथा समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।	केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय

देश भर में बनाए जा रहे विभिन्न कलस्टरों से कुछ साझा लाभ हासिल हुए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- नए कारोबार का निर्माण;
- सहायक संस्थाओं के जरिए नेटवर्क निर्माण;
- महिला सशक्तीकरण;
- बाज़ार विकास;
- उत्पाद विकास;
- धन की आसान उपलब्धता;
- बिक्री में बढ़ोतरी, कामगारों का कौशल उन्नयन एवं रोज़गार के अवसर।

निष्कर्ष

टिकाऊ और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वांगीण कलस्टर विकास पद्धति कई गुना फायदा पहुंचाएगी। यह उद्यम विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी और कलस्टरों को फलने-फूलने के

लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। इसमें भी अच्छे क्षेत्रों और भौगोलिक इलाकों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में काम की बहुत संभावना है क्योंकि सब्जियों और फलों का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। खेत के स्तर पर ही उन्हें इकट्ठा करने, छांटने, भंडारण करने और मूल्यवर्धन करने से किसानों की आय में लाखों रुपये जुड़ सकते हैं तथा कई किसान गरीबी के चंगुल से बाहर आ सकते हैं। कलस्टरों का कई गुना प्रभाव होगा और उसमें स्थानीय तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कार्यापलट करने की क्षमता होगी।

(लेखक सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनप्रैन्यरशिप के प्रमुख हैं।)

ई-मेल : sriparnabbaruah@gmail.com

कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की असीम संभावनाएं

—भुवन भास्कर

पिछले कुछ वर्षों में स्वरोजगार और कारोबार के लिए कृषि क्षेत्र एक ऐसे सेक्टर के तौर पर उभरा है जिसमें न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है, बल्कि जो लॉजिस्टिक्स, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि जैसे अन्य सेक्टरों में भी वृद्धि को गति देने की क्षमता रखती है। केंद्र सरकार ने पिछले करीब 5 सालों में किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनके कारण भी कारोबार और रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं।

हरियाणा के जींद में रहने वाले नीरज ढांडा ने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई समाप्त की, तो एक बात उनके मन में बहुत साफ थी कि उन्हें किसी कंपनी के दरवाजे पर अपनी उम्मीदवारी लेकर लाइन में खड़े नहीं होना है। उन्होंने अपनी आजीविका के लिए कुछ और ही सपने पाल रखे थे और उन सपनों को साकार करने के लिए नीरज ने अपनी 6 एकड़ की पुश्तैनी ज़मीन का रुख किया। आज खेती की शुरुआत के करीब 7-8 साल बाद नीरज ढांडा 35 एकड़ अतिरिक्त जमीन लीज़ पर लेकर काम कर रहे हैं और उनकी महीने की कमाई छह नहीं, बल्कि सात अंकों में पहुंच रही है। इतना ही नहीं, नीरज ने अपने साथ चार और लोगों को सीधे तौर पर रोजगार दिया है, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर दर्जनों लोग उनके इस कृषि कारोबार से रोजगार पा रहे हैं।

आमतौर पर कृषि और रोजगार को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग माना जाता है और सामान्य समझ यही है कि इनमें से एक को पकड़ने के लिए दूसरे को छोड़ना एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन

धीरे-धीरे बदलते समय के साथ जैसे-जैसे किसानों में जागरूकता और खेती में तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल की रुचि बढ़ रही है, यह समझ भी बदलने लगी है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में स्वरोजगार और कारोबार के लिए कृषि क्षेत्र एक ऐसे सेक्टर के तौर पर उभरा है जिसमें न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है, बल्कि जो लॉजिस्टिक्स, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि जैसे अन्य सेक्टरों में भी ग्रोथ को गति देने की क्षमता रखती है।

नीरज ढांडा अकेले नहीं हैं। ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो उच्च पेशेवर शिक्षा ग्रहण करने या वर्षों तक कॉरपोरेट माहौल में काम करने के बाद आखिरकार कृषि क्षेत्र को रोजगार और आजीविका के विकल्प के तौर पर अपना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया के बढ़ते प्रभाव, शिक्षा के बढ़ते प्रसार और अनुकूल सरकारी नीतियों के कारण इस तरह की प्रयोगधर्मी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। मोटे तौर पर ऐसे सामाजिक-आर्थिक बदलावों को निम्नांकित श्रेणियों



हम अपने पाठकों को सूचित करना चाहते हैं कि इस अंक में प्रकाशित लेखों में लेखकों ने ग्रामीण रोजगार परिदृश्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, वह कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले के हैं।

में बांटा जा सकता है, जिनके कारण युवाओं में खेती से जुड़ने के सफल उदाहरण दिनोंदिन बढ़ रहे हैं:

उपभोक्ताओं में जागरूकता

समाज के विभिन्न वर्गों में आय के लगातार सुधरते स्तर के साथ ही लोगों में खाने-पीने की चीजों पर ज्यादा खर्च करने का रुझान बढ़ रहा है। इसके कारण दो तरह के कृषि उत्पादों का बाज़ार तैयार हुआ है— पहला, जैविक कृषि उत्पाद सब्जियों तथा फलों का और दूसरा, खास तरह के (एग्नोटिक) कृषि उत्पादों जैसे, थाई ग्वावा, ड्रैगन फ्रूट, एलोवेरा, काला चावल, ब्रोकली, लेट्युस इत्यादि का बाज़ार। इन दोनों तरह के बाज़ारों ने किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए रोज़गार और आजीविका के अनेक अवसर पैदा किए हैं।

नीरज ढांडा ने दूसरी तरह के बाज़ार को लक्ष्य कर करीब 7 वर्ष पहले थाई अमरुद की खेती शुरू की। उस समय इस फल का कोई खास बाज़ार नहीं था, जहां उन्हें इसके लिए सही कीमत हासिल हो सके। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग करने का फैसला किया। पहले साल तो उन्होंने लोगों को थाई ग्वावा से परिचित कराने के उद्देश्य से अपने तमाम मित्रों, संबंधियों और जानने वालों को बिना मोल के ही अमरुद बांटे, लेकिन उनके अमरुद की गुणवत्ता और स्वाद के कारण दूसरे साल से उनके पास ऑर्डर की भरमार हो गई। नीरज ने 350 रुपये किलो के हिसाब से अपने ग्राहकों को सीधे ऑनलाइन अमरुद भेजना शुरू कर दिया। अगले 6 सालों में खेती के लगातार बेहतर होते तौर-तरीकों और मांग के मुताबिक आकार और वज़न का (पर्सनलाइज्ड) उत्पाद तैयार करने की अपनी क्षमता के कारण नीरज ने इन थाई अमरुदों की कीमत 1000 रुपये प्रति किलो तक कर दी। इसी बीच, उनके कुछ ग्राहकों ने उनसे सब्जियों और किचन के दूसरे सामानों की सप्लाई करने का अनुरोध किया और धीरे-धीरे नीरज ढांडा ने कुछ सब्जियों और सरसों की खेती भी शुरू कर दी। धीरे-धीरे उनके इस प्रयोग की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि जींद और पानीपत के 500 ग्राहकों के साथ उन्होंने सब्जियों, फलों और कुछ अन्य चीजों की आपूर्ति का एक अनुबंध कर लिया, जिसमें उन्हें एक दिन छोड़ कर सप्लाई करनी है और महीने के 5500 रुपये उन्हें अग्रिम तौर पर मिल जाते हैं। यह समूचा बास्केट न्यूनतम रेजिड्यु-स्तर वाले खाद्य उत्पादों का होता है। न्यूनतम रेजिड्यु-स्तर के उत्पाद वे होते हैं, जिनमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उनके प्रयोग का समय और मात्रा इस तरह नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे उत्पादों में रासायनिक अंश स्वास्थ्यप्रद खाद्य-पदार्थों के लिए तय मानकों से कम होता है। बढ़ती मांग के लिहाज़ से माल की आपूर्ति करने के लिए नीरज ने 35 एकड़ अतिरिक्त जमीन लीज़ पर ली है, जिसमें वह संरक्षित खेती (पॉलीहाउस और नेटहाउस) और सामान्य खेती के जरिए मौसमी और एग्नोटिक सब्जियां पैदा करने वाले हैं।

एक निजी बैंक के पूर्व ज़ोनल प्रमुख और अब प्रगतिशील

किसान भोपाल के प्रतीक शर्मा की कहानी पहली श्रेणी के यानी जैविक खाद्य पदार्थों के बढ़ते बाज़ार को पकड़ने की बानगी है। हालांकि जब प्रतीक ने खेती में उतरने का फैसला किया, उस समय उनकी योजना केवल इस सेक्टर द्वारा सृजित असीम अवसरों का फायदा उठाने की थी, जिसके लिए उन्होंने पॉलीहाउस जैसे उच्च निवेश के माध्यमों का इस्तेमाल कर पारंपरिक तरीके की खेती का सहारा लिया। लेकिन जल्दी ही उन्हें अनुभव हो गया कि कृषि उत्पादों के बाज़ार में एक नए दौर का उदय हो चुका है, जिसे जैविक या ऑर्गेनिक कहा जाता है। इस प्रीमियम बाज़ार का फायदा उठाने के लिए प्रतीक ने 52 ऐसे किसानों का एक समूह तैयार किया, जो एक ओर तो जैविक खेती में किस्मत आजमाने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर, सब्जियों, दालों, तिलहनों इत्यादि जैसे अलग-अलग फसलों की खेती कर रहे थे। इसके बाद प्रतीक ने वाट्स ऐप और मोबाइल मेसेजिंग के जरिए अपना एक ग्राहक वर्ग तैयार किया, हर कृषि उत्पाद के मूल खेत को पता करने की व्यवस्था (ट्रेसिबिलिटी) बनाई और ग्राहकों में भरोसा पैदा करने के लिए सप्ताहांत में उनके फार्म विज़िट के कार्यक्रम भी बनाए। आज बढ़ते कारोबार के साथ प्रतीक शर्मा की कंपनी भोपाल और आसपास के इलाकों में एक जाना-माना नाम है।

किसानों में जागरूकता

किसानों की नई पीढ़ी में हाईटेक फार्मिंग यानी तकनीक—आधारित खेती को लेकर काफी उत्सुकता है। यहां तक कि छोटे रकबे के मालिक किसान भी पॉलीहाउस, नेटहाउस, ड्रिप इरिगेशन, मल्टिचग इत्यादि का प्रयोग कर अधिकतम उत्पादन हासिल करने के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इस कारण युवा उद्यमियों के लिए रोज़गार एवं आजीविका के कई शानदार अवसर पैदा हो रहे हैं। बंगलुरु के राजीव रॉय और लखनऊ के शशांक भट्ट नई पीढ़ी के दो ऐसे ही उद्यमी हैं। दोनों ऐसी कंपनियां चलाते हैं, जो किसानों को उच्च तकनीक वाले इन साधनों का इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। हालांकि दोनों का बिज़नेस मॉडल एक-दूसरे से बिलकुल अलग है। जहां रॉय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और एनबीएफसी को किसानों से संपर्क करा कर उनके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करते हैं, वहीं भट्ट किसानों को विभिन्न सरकारी विभागों से जोड़कर सब्सिडी के माध्यम से ये काम करवाते हैं।

इस तरह की उच्च तकनीकी खेती के अलावा पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों में भी पिछले कुछ वर्षों में किसानों में आई जागरूकता के कारण बुनियादी फर्क आया है। किसान जहां पहले केवल दुकानदार की सलाह पर फसलों के बीज इस्तेमाल कर लिया करते थे, वहीं अब वे बीजों की गुणवत्ता पर विचार करने लगे हैं। जहां पहले लौकी और टमाटर जैसी सब्जियां ज़मीन पर फैली लताओं के रूप में उगाई जाती थीं, वहीं अब इन्हें टेलीफोन विधि से यानी ऊपर बांधे गए तार पर फैला कर उगाया जा रहा है। छोटे खेतों पर तीन, चार और पांच—स्तरीय खेती कर अधिकतम उत्पादन

के तरीके इजाद किए जा रहे हैं। मिट्टी में कार्बन तत्व की बढ़ोतरी के लिए वर्मी कम्पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में कृषि और उससे संबंधित कारोबारों में युवा उद्यमियों के लिए अवसरों की बाढ़ है। कुरुक्षेत्र के करण सीकरी और मेरठ की सना खान ने साबित किया है कि इन अवसरों का लाभ उठाकर अविश्वसनीय आमदनी हासिल की जा सकती है।

सरकारी नीतियां

केंद्र सरकार ने पिछले करीब 5 सालों में किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनके कारण भी कारोबार और रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। राष्ट्रीय अरोमा मिशन ऐसा ही एक कार्यक्रम है जो 2016 में शुरू हुआ था और जिसका पहला चरण 31 मार्च, 2020 तक है। इस कार्यक्रम के तहत खस, लेमन ग्रास, जर्मेनियम, पामारोजा, मेंथा इत्यादि सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। ये पौधे एसेंशियल ऑयल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें दवाइयों, साबुन, परफ्यूम, मच्छर भगाने की दवाओं इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्षों पूर्व तक देश की जरूरत का लगभग सारा एसेंशियल ऑयल आयात होता था। लेकिन राष्ट्रीय अरोमा मिशन के जरिए सरकार ने किसी भी ऐसे उत्सुक किसान को प्रशिक्षण, बाज़ार और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जो सगंध पौधों की खेती और उससे तेल निकालने में रुचि रखता हो।

लखनऊ से समीर चड्ढा और तमिलनाडु में कडलूर से पी. धनराज राष्ट्रीय अरोमा मिशन के बूते खेती और कारोबार में शानदार सफलता हासिल करने के लिहाज से बेहतरीन उदाहरण हैं। लखनऊ के एक संपन्न कारोबारी परिवार से आने वाले चड्ढा ने अपने पिता द्वारा खेती के शौक को आगे बढ़ाने के लिए खरीदी गई तीन एकड़ ज़मीन पर कुछ वर्षों पहले सगंध पौधों की खेती शुरू की। खस, लेमन ग्रास, मेंथा सहित कई और पौधों की खेती के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) से ट्रेनिंग लेने के बाद चड्ढा ने इनकी खेती शुरू की। सीमैप की मदद से उन्हें खरीदार भी मिल गए और वहीं करीब 4 लाख रुपये के निवेश से सीमैप के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार आसवन इकाई के जरिए उन्होंने तेल निकालने की व्यवस्था भी तैयार कर ली। अब खेती का रकबा बढ़ा कर 33 एकड़ कर चुके चड्ढा न केवल अपने खेतों से लाख रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों की फसल का तेल भी निकालते हैं और इस तरह उनकी आसवन इकाई उनके लिए आमदनी का एक जरिया भी बन गई है।

पी. धनराज की कहानी दरअसल एक अकेले किसान की नहीं, बल्कि एक पूरे ज़िले की कहानी है। पुडुचेरी की सीमा से सटे कडलूर ज़िले की ज़मीन बालू से भरी है और बमुश्किल ही एकाध फसलें पैदा कर पाती है। किसान इन फसलों से सालाना 20-30 हजार रुपये प्रति एकड़ कमाई कर ले, तो अपने को खुशानसीब

मानता है। ऐसे में दशकों से यहां का किसान मजदूर बन कर आसपास के ज़िलों और विदेशों में जाने को मजबूर रहा है। धनराज भी ऐसे ही एक किसान थे, जो 7000 रुपये महीने पर कतर में नौकरी करते थे। लेकिन करीब दो दशक पहले जब केरल से आए एक व्यक्ति ने कडलूर में वेट्टिवर (खस) की सफल खेती की, तो धीरे-धीरे दूसरे किसानों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी। धनराज ने भी कतर से लौटकर अपनी पुश्तैनी खेतों में वेट्टिवर उगाना शुरू किया। धनराज और दूसरे किसान हार्वेस्टिंग के बाद वेट्टिवर की जड़ें कारोबारियों को बेच देते थे, जिससे उन्हें एकड़ से 60-70 हजार रुपये तक की कमाई होने लगी। राष्ट्रीय अरोमा मिशन के आने पर भारत सरकार ने कडलूर को वेट्टिवर ज़िला के तौर पर चुना और वहां इसके लिए किसान समूह तैयार किए गए। सीमैप ने रिसर्च से बेहतर प्रजाति के वेट्टिवर पौधे विकसित किए जिनका तेल यील्ड पहले के 1 प्रतिशत के मुकाबले 1.2-1.3 प्रतिशत है। नचिकेडु वेट्टिवर कल्टीवेशन कोऑपरेटिव को सीमैप की तरफ से तेल निकालने की इकाई भी दी गई। नतीजा ये हुआ है कि प्रति एकड़ किसानों की आमदनी में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़त हुई है और 6 एकड़ ज़मीन पर वेट्टिवर की खेती कर रहे धनराज ने पिछले साल इसे बढ़ाकर 20 एकड़ और इस साल 50 एकड़ कर दी है। राष्ट्रीय अरोमा मिशन के शुरू होने से चार साल के भीतर हालत यह है कि न केवल बाहर गए किसान लौट कर खेती कर रहे हैं, बल्कि आसपास के ज़िलों के लिए भी कडलूर रोजगार का एक नया केंद्र बन गया है।

2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने जो सबसे बड़े और ऐतिहासिक कार्यक्रम लागू किए, उनमें इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) एक है। इसके तहत देश भर की 585 मंडियों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और दूसरे चरण में 400 से ज्यादा मंडियों को जोड़ने की तैयारी है। ई-नाम पर कारोबार के लिए आने वाली कमोडिटी के गुणवत्ता मानकों का निश्चित होना आवश्यक है, लेकिन देश भर की इन बड़ी मंडियों में आने वाली लाखों टन कमोडिटी की गुणवत्ता जांच के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रयोगशालाओं की फिलहाल भारी कमी है। इसी में उद्यमियों के लिए बड़े अवसर पैदा होते हैं, जहां क्लीनिंग ग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना कर किसानों को शुल्क के बदले सेवा दी जा सकती है। वेयरहाउसिंग एक अन्य क्षेत्र है जहां देश की जरूरत और वास्तविक क्षमता में बहुत बड़ा अंतर है। आम बजट 2020-21 में सरकार ने तहसील-स्तर पर वेयरहाउस लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें भी उद्यमियों के लिए बड़े मौके तैयार होंगे।

निजी तौर पर किसानों और उद्यमियों के लिए रोजगार और उद्यमिता के इन मौकों के अलावा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के लिए भी कृषि के बदलते परिदृश्य ने कई दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अगले 5 वर्ष में 10,000 एफपीओ तैयार करने की पिछले साल बजट में की गई घोषणा का औपचारिक

उद्घाटन किया। वहीं इस साल के बजट में एसएचजी को गांव-स्तर पर गोदाम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके लिए मुद्रा लोन और नैब किसान से उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। इन समूहों के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर निम्नांकित बिंदुओं में गिने जा सकते हैं:

1. मूल्यवर्धन : किसान अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचते हैं। लेकिन, एक सामान्य बाजार सर्वे से यह बात जाहिर हो जाती है कि यदि कुछ कृषि उत्पादों को सामान्य तरीके की मशीनों का इस्तेमाल कर प्रोसेस कर लिया जाए और उन्हें अंतिम उत्पाद के तौर पर बेचा जाए, तो किसानों की आमदनी में बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। राजस्थान के बूंदी ज़िले में समृद्धि महिला प्रोड्यूसर कंपनी लि. (एसएमपीसीएल) नाम का एक स्वयंसहायता समूह है, जिसके कामकाज को इस बाबत एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है। समूह की महिलाएं अपने ही खेतों में पैदा होने वाले सोयाबीन को मंडियों में न बेचकर उन्हें प्रोसेस करती हैं और सोया मिल्क, टोफू, केक, हलवा, कई तरह की मिठाइयां और सोया आटा जैसे उत्पाद तैयार करती हैं। इन उत्पादों को स्थानीय कैटर, रेस्टोरेंट और परिवारों को बेचा जाता है और किसानों को इससे मंडी में सोयाबीन बेचने के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमत हासिल होती है।

2. सेवा प्रदाता : हर खेतिहर परिवार को खेती में सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण-स्तर पर कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें इनपुट (बीज, खाद इत्यादि) की आपूर्ति, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ड्रायर और सिंचाई सेवाओं, घास-पात नियंत्रण, परिवहन, भंडारण इत्यादि जैसी तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इसी तरह पशुपालन में भी ब्रीडिंग, टीकाकरण, बीमारी पहचान और इलाज सेवाएं, पशुचारे की आपूर्ति इत्यादि ऐसे अवसर हैं, जहां रोजगार और उद्यमिता विकसित की जा सकती है। खासतौर पर एफपीओ इन अवसरों का फायदा उठाने के लिहाज से सबसे बेहतरीन स्थिति में हैं। दरअसल लगभग सारे एफपीओ, जो सक्रिय हैं और अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, वे 2 तरह के काम अवश्य कर रहे हैं। पहला, सदस्य किसानों से उपज की खरीद और दूसरा, खरीदी गई उपज की मिलों, प्रोसेसर और थोक व्यापारियों को सीधी बिक्री। इससे एक ओर तो किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है, वहीं दूसरी ओर वे बेहतर मोलभाव कर पा रहे हैं, जिससे किसानों को मिलने वाला अंतिम मूल्य पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। इसके अलावा, एफपीओ किसानों को अपनी उपज साफ करने और ग्रेड करने की सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। अध्ययनों के मुताबिक इसका उनके बिक्री भाव पर 30-40 प्रतिशत तक असर पड़ता है।

3. निर्यात अवसर: कृषि उत्पादों का निर्यात एफपीओ के लिए बड़े कारोबारी मौके तैयार करता है। नासिक का एफपीओ सह्याद्री देश का सबसे बड़ा अंगूर निर्यातक है। इसी तरह फेयर ट्रेड अलायंस ऑफ केरला (एफटीएके) एक अन्य किसान समूह है,

जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित समूचे काजू और कॉफी को यूरोप को निर्यात करते हैं।

कृषि के अलावा उसकी सहायक गतिविधियां भी रोजगार और उद्यमिता के लिहाज से कई मौके उपलब्ध कराती हैं। मुर्गी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन इनमें सबसे ऊपर हैं। भारत सरकार द्वारा जारी '2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अंडे एवं मुर्गीपालन में राष्ट्रीय कार्ययोजना-2022' के मुताबिक देश में अंडों का उत्पादन 2015-16 के 8300 करोड़ से 6 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 8800 करोड़ हो गया। इसके बावजूद देश में प्रति व्यक्ति अंडों की खपत 2016-17 में 69 थी, जबकि अमेरिका में 2019 में यह आंकड़ा 290 था। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में 7 प्रतिशत और निर्यात में 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढ़त का अनुमान जताते हुए 2022-23 तक प्रति व्यक्ति अंडों की खपत 136 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह इस सेक्टर में बढ़त की असाधारण क्षमता दिखाता है। इसी तरह, अमेरिकी मुख्यालय वाले शोध संस्थान आईएमएआरसी ग्रुप ने 'भारत में डेयरी उद्योग 2020 एडिशन: बाजार का आकार, ग्रोथ, मूल्य, सेगमेंट, सहकारिता, निजी डेयरी, खरीद और वितरण' शीर्षक से जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि 2019 तक देश का डेयरी बाजार 10527 अरब रुपये तक पहुंच चुका है जिसके 2025 तक 25491 अरब रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह 5 वर्षों में करीब ढाई गुने का उछाल है। मत्स्य पालन भी एक उभरता सेक्टर है जिसमें रोजगार और उद्यमिता के काफी अवसर मौजूद हैं। मुर्गीपालन और डेयरी के मुकाबले यह सेक्टर इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो गया है कि वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आम बजट 2020-21 में देश का मछली उत्पादन 2022-23 तक बढ़ाकर 200 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। वित्तमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (मत्स्य एफपीओ) के जरिए युवाओं को शामिल करेगी। हम मत्स्य निर्यात को 2024-25 तक बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये करने की उम्मीद कर रहे हैं।"

ऊपर पेश किए गए तमाम आंकड़ों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई भी इन सेक्टरों में रोजगार या कारोबार के अवसर तलाश रहा हो, तो उसके लिए संभावनाएं असीम हैं। साथ ही, ऑर्गेनिक अंडे या ए-2 दूध जैसे विशेष उत्पाद संपन्न वर्गों के लिए आकर्षण का खास केंद्र बन रहे हैं, जिनमें उपभोक्ता इनकी सामान्य कीमतों के मुकाबले दोगुना से चार गुना तक ज्यादा कीमतें देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ये तमाम कृषि उत्पाद शानदार कारोबारी अवसर लेकर आ रहे हैं बशर्ते कि इनकी मार्केटिंग के लिए पुख्ता रणनीति तैयार की जाए और एक प्रभावी आपूर्ति शृंखला तैयार की जा सके।

(लेखक कॉरपोरेट सेक्टर से संबद्ध हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई-मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

ग्रामीण भारत में अवसंरचना विकास से रोज़गार

—अरविंद कुमार सिंह

ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोज़गार के अतिरिक्त मौके भी सुलभ कराता है और उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद करता है। आज भी तमाम बदलाव के बावजूद राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र अहम योगदान दे रहा है। भारत सरकार ने 2020–21 के आम बजट में तीन प्रमुख विषयों पर खास फोकस किया है। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास इसमें सबसे अहम हैं। इसके लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

“मैं जानता हूँ कि आदर्श ग्राम निर्माण का काम उतना ही कठिन है जितना कि सारे हिंदुस्तान को आदर्श बनाना। स्वतंत्र भारत के सामने सबसे मुख्य समस्या उसके नवनिर्माण की है। चूँकि भारत गांवों में बसता है इसलिए बिना गांवों को उन्नत किए देश का उठना कठिन है।”

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कई दशकों पहले का यह कथन उनकी 150वीं जयंती के साल में भी प्रासंगिक है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में गांधीजी ने अनूठा चिंतन—मनन और प्रयोग किया था। वे मानते थे कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। नील किसानों के लिए संघर्ष के दौरान बिहार के चंपारण इलाके में 1917 में उन्होंने ग्रामोद्धार की तमाम योजनाओं का खाका तैयार करने के साथ स्वदेशी, पंचायत राज, तालीम, खेती, पशुपालन, ग्रामोद्योग और स्वच्छता समेत गांव से जुड़े सभी पक्षों पर मौलिक विचार किया। उनकी मान्यता थी कि हमें ग्रामीण सभ्यता विरासत में मिली हुई है और यह देश की विशालता, विराट जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के अनुकूल है।

दुनिया भर में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। फिर भी हमारी दो तिहाई आबादी और 70 फीसदी श्रम शक्ति गांवों में ही रह रही है लिहाज़ा ग्रामीण विकास योजनाओं में इसका अलग और विशिष्ट महत्व है। खेतीबाड़ी ग्रामीण भारत का आधार है और इस क्षेत्र में भारत को कई सुयोग हासिल हैं। जैसे हमारी कुल भूमि का 52 फीसदी खेती लायक है, जबकि ऐसा विश्व औसत 11 फीसदी बनता है। दुनिया में मिट्टी की 60 किस्में हैं, जिसमें से भारत के हिस्से में 46 किस्में आती हैं। कई फसलों में हमारी औसत उत्पादकता कम होने पर भी खेतीबाड़ी में पूरी दुनिया में अलग धाक है। हमने न केवल खाद्य सुरक्षा हासिल की है, बल्कि बहुत—सी फसलों में जरूरत से अधिक पैदा कर निर्यात भी कर रहे हैं।

दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी कई राज्यों में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। आज देश के दस बड़े नगरों में भारत की आठ फीसदी आबादी रह रही है, जबकि दूसरे 51 नगरों में 13 फीसदी आबादी का वास है। लेकिन सबसे अधिक 68.74 फीसदी लोग ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं। हमारे सबसे अधिक



श्रमिक खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। ग्रामीण अंचलों में कृषि जोतें छोटी और संकुचित होने से छोटे किसानों की टिकाऊ आजीविका पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।

इन सारे तथ्यों के आलोक में भारत सरकार ने 2020-21 के आम बजट में तीन प्रमुख विषयों पर खास फोकस किया है। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास इसमें सबसे अहम हैं। इसके लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।

ग्रामीण आधारभूत ढांचे में ग्रामीण सड़कें और पुल, सिंचाई परियोजनाएं, जलापूर्ति, स्वच्छता, ग्रामीण ऊर्जा, ग्रामीण बाज़ार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे तत्व शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोज़गार के अतिरिक्त मौके भी सुलभ कराता है और उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद करता है। आज भी तमाम बदलाव के बावजूद राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र अहम योगदान दे रहा है।

ग्रामीण भारत में बदलाव का ज़िम्मा ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है। यह ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, आजीविका से जुड़े मुद्दों, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों के साथ आधारभूत ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरन मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना इसकी प्रमुख योजनाएं हैं। वर्ष 2020-21 के आम बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के हिस्से में जो प्रावधान किया गया है, उसमें सबसे अधिक मनरेगा के लिए 61,500 करोड़, ग्रामीण आवास के लिए 17,550 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 17,720 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने पर है। वर्ष 2014 से 2019 तक के पांच सालों में कृषि क्षेत्र के बजट में भारी वृद्धि के साथ खेती के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की कई पहल की गई हैं। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ के भारी-भरकम निवेश की योजना के साथ आगे बढ़ रही है। कृषि मंडी सुधारों की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम उठाया है और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की स्थापना के साथ 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाज़ार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें धन देने के साथ मनरेगा और दूसरी सरकारी योजनाओं का उपयोग भी बुनियादी ढांचे के विकास में होगा। जैविक खेती और ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के साथ पांच सालों में सरकार 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन की स्थापना भी करने जा रही है, जिससे काफी नया निवेश होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी।

मनरेगा— ग्रामीण भारत के बदलाव की प्रेरक

दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी योजना के रूप में विख्यात मनरेगा ने जहां ग्रामीण भारत को न्यूनतम रोज़गार की कानूनी गारंटी दी है वहीं इसकी मदद से कई इलाकों में स्थाई परिसंपत्तियां बन रही हैं। मज़दूरों का शहरों की ओर पलायन भी रुका है। विश्व बैंक तक ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति लाने वाला कार्यक्रम माना है। इसने सूखा, बाढ़ और फसल बर्बादी से पैदा होने वाले संकटों में ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा दी है। मांग-आधारित कार्यक्रम मनरेगा ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और खासतौर पर जल संरक्षण के काम में ऐतिहासिक मदद की है। हाल में संसद की ग्रामीण विकास संबंधी समिति ने इसके तहत आवारा और जंगली पशुओं से किसानों की फसलों को बचाने के लिए फेंसिंग परियोजना को भी मंजूरी देने का सुझाव दिया है।

किस गांव में कौन-सी टिकाऊ परिसंपत्तियां बनानी हैं, यह काम ग्राम सभा तय करती है और क्रियान्वयन का ज़िम्मा भी उसी पर होता है। हालांकि किसी परिसंपत्ति का टिकाऊ होना तकनीकी डिज़ाइन पर भी निर्भर करता है। पंचायतें इस मामले में कमज़ोर हैं लिहाज़ा कई जगहों पर घटिया और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की शिकायतें भी आती रही हैं। इसको दूर करने की दिशा में पहल हुई है। मनरेगा में प्राथमिकता के आधार पर जिन कामों को सूचीबद्ध किया गया है उसमें जल-संरक्षण, सूखारोधी उपाय और वृक्षारोपण, लघु सिंचाई, बागवानी, भूमि सुधार, बाढ़ नियंत्रण, बारहमासी सड़कें, गांव पंचायत भवन, खेल मैदान, स्वच्छता सुविधा शामिल हैं। कई राज्यों में स्थाई परिसंपत्तियों को बनाने की दिशा में बेहतर काम हो रहे हैं।

सरकार ने मनरेगा के तहत 260 कामों की अनुमति दी है जिसमें से 164 काम सीधे कृषि कार्यकलापों से जुड़े हैं। ई-भुगतान के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में मज़दूरी का भुगतान होने से मज़दूरी में देरी की शिकायतें रुकी हैं। बैंकों और डाकघरों में मनरेगा के 10.84 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। जियो मनरेगा के तहत मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रभावी निगरानी भी इसमें उल्लेखनीय पहल है। मनरेगा के तहत जल संरक्षण मद में शानदार काम हुए हैं। उन इलाकों को खास प्राथमिकता दी गई है, जहां जल संकट है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण भारत को कनेक्टिविटी देने और सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत कारगर हथियार साबित हुई है। इसके तहत 2016-17 में जहां 11,970 बसावटों को जोड़ने के लिए 47,457 किमी. ग्रामीण सड़कें बनीं, वहीं 2017-18 में 48,715 किमी. सड़कों से 11,545 बसावटों को और 2018-19 में 49,040 किमी. सड़कों के साथ 10,468 बसावटें जोड़ी गईं। योजना के पहले चरण के तहत 6.46 लाख किमी. सड़क और 7238 पुलों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 5.79 लाख किमी. सड़क और

3690 पुल के काम पूरे हो गए। बाकी 52,396 किमी. सड़क और पुल जल्दी पूरा करने की योजना है। योजना के दूसरे चरण में 50 हजार किमी. सड़क और 662 पुल बनाने की मंजूरियां भी दी जा चुकी हैं। इसके तहत पांच सालों में नक्सल-प्रभावित इलाकों में भी 10 हजार किमी. सड़क बनानी है।

इस योजना के तीसरे चरण में 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किमी. ग्रामीण सड़कों की मदद से कृषि मंडियों, बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है। अब तक इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काम के साथ ग्रामीण इलाकों का कार्याकल्प हुआ है। इस योजना की कई खूबियां हैं। इसमें इकाई बसावट है न कि एक राजस्व ग्राम। ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं लेकिन भारत सरकार की इस पहल ने उनको मदद कर संपर्कविहीन बसावटों में एक नई क्रांति की है। कई इलाकों में मनरेगा के तहत भी आंतरिक सड़कों के साथ सीमेंट-कंक्रीट की सड़कें बन रही हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2010 से 2014 के दौरान 1.33 लाख किमी. ग्रामीण सड़कों की तुलना में 2014 से 2018 के दौरान 1.69 लाख किमी. से अधिक सड़कें बनीं। योजना के मापदंडों में समय-समय पर सुधार करते हुए 'मेरी सड़क' नाम से नया ऐप भी लांच किया गया जिससे तमाम इलाकों की खराब सड़कों के बारे में प्रशासन को जानने और निदान निकालने में मदद मिली है। इसमें हरित प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक और शीत-मिश्रित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से तीस हजार किमी. से अधिक सड़कें बनाई गई हैं।

जब यह योजना सन 2000 में आरंभ की गई, उस दौरान अधिकांश बसावटों में बारहमासी सड़क संपर्क नहीं था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। तमाम सर्वेक्षणों में सड़कों के बनने के बाद हो रहे सकारात्मक बदलाव सामने आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और बालिकाओं की शिक्षा के साथ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी। परिवहन सुविधाएं बढ़ने के कारण सामाजिक-राजनीतिक सभाओं में महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला। साथ ही, बाजारों तक किसानों की पहुंच और बहुत-सी आर्थिक गतिविधियों में भी मदद मिली है। बेशक सड़कों की मदद से ग्रामीण भारत का कार्याकल्प हो रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। कई ग्रामीण आवासीय योजनाएं काफी पहले से चल रही थीं लेकिन इनमें बहुत-सी कमियां थीं, जिनको दूर करते हुए मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी और कठिन इलाकों में आवासीय लागत की सीमा 1.30 लाख रुपये करते हुए इसे 1 अप्रैल, 2016 से लांच किया गया। इसमें मनरेगा से 90 से 95 दिन तक अकुशल श्रमिकों की मदद लेने के साथ

शौचालय के लिए 12,000 रुपये का प्रावधान भी शामिल है। योजना के पहले चरण में एक करोड़ मकानों को बनाने का लक्ष्य 2016-17 से 2019-20 के दौरान रखा गया था लेकिन कई तरह की बाधाओं के कारण जनवरी 2020 तक 87.01 लाख मकान बन सके। लेकिन इस बीच में मकानों के डिजाइन और गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

इस योजना के तहत 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने हैं। मार्च 2020 तक राज्यों ने 242.63 लाख परिवारों का चयन इसके लिए कर लिया है। पिछले पांच सालों में योजना के तहत कुल 1.54 करोड़ मकान बने हैं। आगे 2020-21 के दौरान 70 लाख और 2021-22 के दौरान 65 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से तालमेल बना कर एलपीजी कनेक्शन और सौभाग्य योजना से तालमेल कर बिजली कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था भी है। अच्छे ग्रामीण आवास बनाने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 49534 अभ्यर्थियों को भी नामांकित किया गया, जिसका गुणवत्ता के लिहाज से काफी असर दिख रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

हर खेत को पानी देने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में आरंभ की गई थी। इसमें सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के साथ भूजल स्कीम भी शामिल है। लेकिन इसका सबसे अहम काम 99 चालू बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं को मदद कर 76.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है, जिस पर करीब 77,595 करोड़ रुपये लागत आ रही है। योजना के एक घटक प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्राप मोर क्राप) का क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है जिसके लिए 2020-21 में चार हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट में जल क्षेत्र हेतु कुल 36,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका काफी हिस्सा ग्रामीण इलाकों पर व्यय हो रहा है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई का अत्यंत महत्व है। इसी के बूते हरित क्रांति आई। फिर भी अभी देश के निवल बोए गए क्षेत्र में से 48 फीसदी सिंचित और 52 फीसदी वर्षा-सिंचित हैं। वर्षा-सिंचित बड़े राज्यों कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल में सूखा या सूखे जैसी परिस्थितियां आती रहती हैं। 99 बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत 18 राज्यों को फायदा होगा और सिंचाई सुविधाओं का व्यापक विकास होगा।

इन योजनाओं के साथ सरकार किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान

यानी कुसुम के तहत 2022 तक देश के तीन करोड़ डीज़ल या बिजली पंप सेटों को सौर ऊर्जा से उर्जित करने की दिशा में भी आगे बढ़ी है और जल संचय के तहत ड्रिप सिंचाई से लेकर कई क्षेत्रों में काम हो रहा है। सिंचाई के लिए 60 फीसदी पानी भूजल से उपयोग में लाया जा रहा है। लिहाजा जल के समझदारी से उपयोग पर भी सरकार का जोर है।

भारत सरकार ने मई 2019 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय का गठन दो मंत्रालयों जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके किया। सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन आरंभ किया है, जिसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराना है। इस पर पांच साल की अवधि में 3.60 लाख करोड़ रुपये का व्यय होना है, जिसमें केंद्रीय अंश 2.08 लाख रुपये है। देश में 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.60 करोड़ ग्रामीण परिवार यानी 81.67 फीसदी के पास घरेलू जल नल कनेक्शन नहीं हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण भी ग्रामीण भारत के कायाकल्प और रोज़गार में अहम भूमिका निभा रहा है। 28 अप्रैल, 2018 तक देश की सभी आबादी वाले गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। फिलहाल सरकार का फोकस सभी ग्रामीण आवासों तक बिजली पहुंचाने का है जिसके लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से ऐतिहासिक काम हुआ है। अक्टूबर 2017 में आरंभ की गई इस योजना से मार्च 2019 तक 2.62 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया। इसके बाद छह राज्यों में फरवरी 2020 तक 11.54 लाख उन घरों को विद्युतीकृत किया गया जो पहले अनिच्छुक थे। सरकार 2022 तक गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने सभी गांवों में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी और खेती के लिए बिजली उपलब्धता से लागत कम हुई है और ग्रामोद्योगों को नई ताकत मिली है। जो बिजली पहले शहरी इलाकों की जरूरत मानी जाती थी, वह ग्रामीण अर्थतंत्र को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सिंचाई, मड़ाई, ओसाई, चारा काटने, पशुपालन, मुर्गी पालन और कई दूसरे क्षेत्रों में बिजली बेहद कारगर साबित हो रही है। खेती पर आधारित तेलघानी, चावल मिल, दाल मिल और आटा चक्की भी बिजली पर निर्भर हैं। पंपसेट तो हर गांव की जरूरत बने हुए हैं और सिंचाई के सबसे अहम काम में आ रहे हैं।

संचार और सूचना क्रांति

ग्रामीण भारत में आज सूचना और संचार क्रांति भी नया इतिहास रच रही है। देश की सभी ढाई लाख गांव पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 22,389 करोड़ के व्यय के साथ 4 लाख 8926 किमी. ओएफसी

लाइनें बिछाते हुए 14,67,17 पंचायतों को कनेक्टिविटी दी गई है और 45,789 ग्राम पंचायतों में वाई फाई हॉटस्पॉट स्थापित हुए हैं। डिजिटल संचार को सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का केंद्रीय हिस्सा बना दिया है, जिसका तमाम सकारात्मक असर ग्रामीण भारत पर भी दिख रहा है।

ग्रामीण भारत में इंटरनेट तक पहुंच मुख्यतया मोबाइल बेतार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रही है। देश के 5.69 लाख से अधिक गांव मोबाइल सेवाओं से जुड़ चुके हैं। बाकी बचे 27,721 गांव बेहद कठिन और दुर्गम भूभाग वाले हैं, वे भी जल्दी ही संचार क्रांति से जुड़ने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी एक नया अध्याय लिख रहा है। ग्रामीण भारत में 14 से 60 आयु वर्ग के छह करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल उपकरणों के विषय में सूचना, ज्ञान और कौशल तक पहुंच बना कर ग्रामीणों को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। इसमें कैशलेस लेनदेन पर जोर देने के साथ पाठ्यक्रम सामग्री में डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस समेत कई बातें शामिल हैं।

इस समय भारत के कुल 687.62 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 247.63 मिलियन ग्रामीण इलाकों से संबंधित हैं। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 2018-19 से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्गठित योजना के तहत कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। सभी ढाई लाख पंचायतों में ब्राडबैंड होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गतिशील होगी। खेतीबाड़ी से जुड़ी सूचना हासिल करना, मंडी में उत्पाद भेजना और बेहतर तकनीक हासिल करना इससे और आसान होगा। साथ ही, ई-कामर्स और ई-शिक्षा को भी गति मिलेगी।

भारत सरकार संचार और सूचना क्रांति के साथ डाकघरों को भी ग्रामीण इलाकों में नई शक्ल दे रही है। भारत के 1.55 लाख डाकघरों में से 1.29 लाख ग्रामीण डाकघर हैं जो बचत से लेकर मनीट्रांसफर और आधार अपग्रेडेशन से लेकर ई-कामर्स तक में कई सेवाएं दे रहे हैं। देश के 4,05,754 गांवों में लेटरबॉक्स के साथ डाक विभाग की मौजूदगी है। ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के साथ डाकघर कोर बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ तमाम आधुनिक साजो-सामान से लैस होकर ये ग्रामीणों के लिए काफी मददगार बन रहे हैं। किसानों और खेतिहर श्रमिकों की पहली पसंद बने ग्रामीण डाकघर आरटीएस मशीनों से लैस हैं और वित्तीय समावेशन में बड़ी ताकत बन कर उभरे हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन

भारत सरकार ने 16 सितम्बर, 2015 को 5142.08 करोड़ रुपये की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन को स्वीकृति दी जिसके तहत विकास की संभावनाएं समेटे तीन सौ सघन ग्रामीण बसावटों में तीन सालों के दौरान आधारभूत, सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना का विकास कर उनकी आर्थिक स्थिति



बेहतर बनाने की परिकल्पना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2016 को इसका शुभारंभ किया था। इस मिशन का लक्ष्य ऐसे ग्राम समूह को विकसित करना है जो ग्रामीण सामुदायिक जीवन की मौलिकता का संरक्षण और पोषण कर सकें। अनिवार्य रूप से शहरी प्रकृति की मानी गई सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना मान्यता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

इस मिशन के लिए 2020-21 में 600 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। इसके तहत एक कलस्टर में 8 से 10 ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। 300 रबन कलस्टर के तहत 14 वांछनीय घटकों में आर्थिक कार्यकलाप और कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवाएं, संग्रहण और भंडारण जैसे कामों के साथ पूरी तरह सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, स्कूल, स्वच्छता, पाइप द्वारा जलापूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गलियां और नालियां, स्ट्रीट लाइट, सड़क से जुड़ाव और सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता और नागरिक सेवा केंद्र शामिल हैं। धीरे-धीरे यह योजना गति पकड़ रही है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना हालांकि अभी सीमित प्रभाव वाली है और इसके क्रियान्वयन में कई अवरोध हैं लेकिन आने वाले सालों में यह ग्रामीण विकास का प्रेरक मॉडल बन सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2014 को इस योजना का उद्घाटन किया था। इसके तहत अब तक चल रही 70,299 परियोजनाओं में से 43,678 अब तक पूरी हो चुकी हैं और 6610 प्रगति पर हैं। सांसदों ने 2016 से 2019 के दौरान 1493 गांव पंचायतों का चयन किया है। सांसदों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास योजनाएं

तैयार हो रही हैं और बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों की 26 योजनाओं में संशोधन किया गया है। इसमें सफाई और हरीतिमा पर जोर देने के साथ स्कूलों में 100 फीसदी नामांकन, सबको स्वास्थ्य सुविधा और अपना आर्थिक एजेंडा तय करने की आजादी है। योजना में मानव विकास से लेकर सामाजिक-आर्थिक विकास तो शामिल ही हैं, पाइप के जरिए स्वच्छ पेयजल, मुख्य सड़क तक सड़क संपर्क और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, ब्राडबैंड कनेक्शन और एटीएम वाले मिनी बैंक भी शामिल हैं। इस योजना के लिए हालांकि समर्पित निधियों का प्रावधान नहीं है; फिर भी कई सांसदों ने अपने प्रयासों से कई गांवों का कार्याकल्प किया है।

कई योजनाओं से ग्रामीण भारत बदल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना की तो वैश्विक तारीफ हुई है जिसे 2014-15 में आरंभ किया गया। इस योजना से 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति मिल गई। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कवरेज, जो 2014 तक 38.7 फीसदी थी, वह अब 100 फीसदी हो गई है। ग्रामीण विकास की इन तमाम योजनाओं के साथ खाद्य, जहां आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है, वहीं रोजगार के नए मौकों के साथ नए भारत के निर्माण की भूमिका भी तैयार हो रही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में राज्यसभा टीवी में संसदीय मामलों के संपादक हैं। इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चौधरी चरण सिंह कृषि पत्रकारिता पुरस्कार और भारतीय प्रेस परिषद के ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।)

ई-मेल : arvindksingh.rstv@gmail.com

गांवों में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के प्रयास

—गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

संगठित क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने की कोशिश के स्थान पर सरकार को इस बाज़ार के विस्तार के लिए बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए। इन सबके साथ क्षेत्रीय आधार पर कई क्षेत्रों में रणनीतिक पहलें की जा सकती हैं, जैसे सरकार ने वर्ष 2022 तक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में 10 लाख रोज़गार अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, उद्यमशीलता शोध और विकास की प्रगति पर निर्भर करती है जिसे सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है।

यदि देश की ग्रामीण-शहरी संरचना पर गौर करें तो भविष्य में भारत को समग्र सामाजिक-आर्थिक तरक्की के नए सोपानों तक पहुंचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे निर्णायक भूमिका होगी क्योंकि आगामी कुछ दशकों में कार्यशील युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा जिसकी संख्या वर्ष 2050 तक लगातार बढ़नी है।

कुल ग्रामीण आबादी में जहां 51.73 प्रतिशत आबादी 24 साल से कम है, वहीं शहरी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 45.9 प्रतिशत है। यदि गांवों में उचित उद्यमीय शिक्षण-प्रशिक्षण एवं रोज़गार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को रोका जाए तो अगले तीन-चार दशकों में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में होगा।

अभी देश की कुल आबादी में 49.91 प्रतिशत हिस्सेदारी 24 साल से कम आयु वर्ग वालों की है और 47.2 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं। ऐसे में भविष्य में भारत की प्रगति का इंजन तथा दुनिया की श्रमशक्ति का 'पॉवरहाउस' भारत की युवा आबादी

ही होगी जो देश की दिशा व दशा तय करेगी और जिसे विभिन्न कौशलों से परिपूर्ण करना और रोज़गार उपलब्ध कराना अपरिहार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार रोज़गार सृजन हेतु चार स्तरों पर काम कर रही है— पहला कौशल विकास; दूसरा मेक इन इंडिया, तीसरा स्टार्टअप एवं उद्यमिता और चौथा सीधे आजीविका से रोज़गार सृजन शामिल हैं।

कौशल विकास और रोज़गार

यह सर्वविदित है कि ज्ञान और कौशल किसी भी देश की आर्थिक प्रगति की प्रेरक शक्ति होते हैं। उच्च कौशल वाले देश घरेलू व वैश्विक जॉब मार्केट में अवसरों और चुनौतियों का प्रभावी समायोजन करने में सक्षम होते हैं। इसकी तुलना में भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति काफी शिथिल रही है। एनएसएसओ के 68वें चक्र की रिपोर्ट बताती है कि देश में 15-59 आयु वर्ग के व्यक्तियों में केवल 2.2 प्रतिशत के पास औपचारिक और 8.6 प्रतिशत के पास अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो देश के बढ़ते जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन हेतु नाकाफी



है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार कौशल विकास के बहुमुखी प्रयास कर रही है। यथा—

- कौशल विकास के देशव्यापी और बहुआयामी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 9 नवंबर, 2014 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) स्थापित किया है।
- भारत सरकार कौशल विकास को गहनता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को पृथक कौशल विकास विभाग खोलने को प्रोत्साहित कर रही है और अभी तक 21 राज्यों ने राज्य कौशल विकास विभाग तथा 11 राज्यों ने कौशल विकास कार्यान्वयन विभाग स्थापित किए हैं।
- वैश्विक-स्तर के कौशल विकास के लिए एमएसडीई ने 9 देशों के साथ जबकि एनएसडीसी ने 5 देशों के साथ एमओयू/समझौते हस्ताक्षरित किए हैं।
- भारत सरकार के 20 मंत्रालय और विभाग कौशल विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। जैसे संचार मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास योजना, पर्यावरण मंत्रालय ने हरित कौशल विकास कार्यक्रम, विदेश मंत्रालय ने प्रवासी कौशल विकास योजना, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कौशल विकास को समर्पित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी की स्थापना के अलावा सीखो और कमाओ, नई रोशनी, नई मंजिल योजनाएं शुरू की हैं।
- भारत सरकार आईआईटी की तर्ज पर विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कौशल निखारने हेतु पीपीपी आधार पर कानपुर, मुंबई और अहमदाबाद में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित कर रही है।
- देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और ट्रेडों की संख्या व प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है। इस समय देश में 15,697 आईटीआई दीर्घावधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 2016 से 2018 के तीन वर्षों में 38.78 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जिसमें 34.47 लाख पुरुष और 4.27 लाख महिलाएं हैं।
- उद्यमिता मंत्रालय एनजीओ और एजेंसियों के जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) द्वारा भी देश के 28 राज्यों व 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कौशल विकास के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इस समय 233 एजेंसियों के 248 जेएसएस आजीविका संबद्धता के अनौपचारिक क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में 4.08 लाख जिसमें 2018-19 में 1.67 लाख और वर्ष 2019-20 में जनवरी 2020 तक 2.40 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। मंत्रालय संचालक जेएसएस एजेंसियों को 50 लाख रुपये दो आवर्ती किशतों में वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करता है।
- कृषि के विभिन्न व्यवसायों में आजीविका के सृजन हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिए 20 मार्च, 2018 को एमएसडीई और कृषि एवं

किसान कल्याण मंत्रालय ने एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है जिसके तहत भारतीय कृषि क्षेत्र कौशल परिषद कृषि संबद्ध 173 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देगी। परिषद के अनुसार 2 मार्च, 2020 तक मधुमक्खी पालन में 4 हजार, बागवानी में 38.4 हजार और पशुपालन में 48.5 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए 'भारतीय उद्यम विकास सेवा' का गठन किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा और पोर्टल को जुलाई 2015 में शुरू किया है, जिसमें अभी तक 1 करोड़ 5 लाख बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
- उद्यमिता मंत्रालय ने अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और संवर्धित प्रशिक्षुओं की संख्या वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 50 लाख करने हेतु अगस्त 2016 से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना शुरू की है। इसके तहत वर्ष 2016-17 में 2.22 लाख, 2017-18 में 3.83 लाख, 2018-19 में 5.83 लाख और 2019-20 में 8.05 लाख प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने काम पर रखा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): वैसे तो यह योजना 15 जुलाई, 2015 को देश के 24 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी जिसके तहत 2015-16 में 19.85 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। बाद में इसको बहुआयामी बनाते हुए इसका दूसरा चरण (2016-20) 2 अक्टूबर 2016 को पीएमकेवीवाई 2.0 नाम से शुरू किया गया। यह देश में 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण और पूर्व-शिक्षण मान्यता प्रदान करने हेतु मांग-संचालित और अनुदान-आधारित योजना है जिसके तहत एक तो स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा, देश में प्रशिक्षण अवसरचर्चा की गुणवत्ता में सुधार और योजना के कार्यावयन में राज्यों को जोड़कर उनकी क्षमता का विकास किया जा रहा है। इसके तहत देशभर में 37 क्षेत्रों के 371 पाठ्यक्रमों में सूचीबद्ध 13209 प्रशिक्षण केंद्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्र अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन, परामर्श के साथ बैंक लिंकेज की सुविधा देकर उद्यमशीलता के विकास में भी सहायता करते हैं। चूंकि इस योजना में कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के 50 प्रतिशत को प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् 3 माह के भीतर रोजगार दिलाने का प्रावधान है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार हेतु जिला रोजगार मेलों के अलावा क्षेत्र कौशल परिषदें, औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिला रोजगार केंद्र, मॉडल कैरियर सेवा, राष्ट्रीय कैरियर सेवा तथा प्रशिक्षण केंद्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षुओं को 12 माह का रोजगार प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों को 3000 रुपये

प्रति प्रशिक्षु प्रोत्साहन तथा 1500 रु. प्रति माह प्रति प्रशिक्षु तैनाती बाद सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षित प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को 500 रुपये नकद डीबीटी मोड से उसके आधार लिंकेज बैंक खाते में दिया जाता है। इस योजना (2016-20) के तहत 2 मार्च, 2020 तक 73.47 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें 42.18 लाख पुरुष और 31.29 लाख महिला हैं। इनमें से 16.62 लाख को रोजगार उपलब्ध कराया जबकि 33.20 लाख को उद्यम उन्मुखीकरण किया गया है।

विकास के लिए पारंपरिक कलाओं में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) योजना: अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 14 मई, 2015 से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण करना, पारंपरिक कौशलों का अद्यतीकरण, प्रलेखन, मानकीकरण, पारंपरिक शिल्पों में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना है। यह योजना कौशल विकास से लेकर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने तक शिल्पकारों की बहुमुखी आवश्यकताएं पूरा करती है। इसमें प्रशिक्षण कार्य वर्ष 2016-17 से शुरू हुआ और जनवरी 2020 तक 16.2 हजार अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए जबकि 7560 प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसमें 14-45 आयु वर्ग के पांचवीं पास व्यक्ति 3 से 8 माह के प्रशिक्षण अवधि वाले 33 पारंपरिक कौशल सीख सकते हैं— जिसमें 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। यह योजना पीआईए के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। शिल्पकारों के प्रशिक्षण और कारीगरों के अभिमुखीकरण हेतु मंत्रालय द्वारा पीआईए को विभिन्न श्रेणियों में तीन किशतों (30:50:20) में सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 3000 रुपये प्रति अभ्यर्थी मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से कारीगरों की पहुंच बाजारों तक कायम करने हेतु वर्ष 2016-17 से हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। हुनर हाट ऐसा प्रभावी मंच है, जहां देशभर से आए शिल्पकार और विशेषज्ञ स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। 2 मार्च, 2020 तक 20 हुनर हाटों के आयोजन से 2451 शिल्पकार सीधे लाभान्वित हुए जिनसे 2.65 लाख से अधिक शिल्पकारों के लिए रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। इस योजना के निर्देश ustad.minorityaffairs.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई): 25 सितंबर, 2014 को पुनर्गठित यह राष्ट्रव्यापी रोजगार से जुड़ा मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसका उद्भव ग्रामीण गरीबों की विभिन्न स्रोतों से आयर्जक आवश्यकताओं और ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ है। इसका उद्देश्य रोजगार से जुड़ी आबादी में वैश्विक कमी के कारण उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का लाभ पाने के लिए गरीब ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाना है। इसमें 18-35 आयु के ग्रामीण

युवकों के लिए पीपीपी मोड में बाजारोन्मुख रोजगार से जुड़े 3, 6, 9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसका वित्त पोषण पूर्वोक्त व हिमालयी राज्यों में 90:10 तथा शेष राज्यों में 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 75 प्रतिशत को रोजगार दिलाएं। इसके अलावा, पाठ्यक्रम के अनुसार नियोजन का न्यूनतम मासिक मानदेय भी निर्धारित किया गया है।

योजना के तहत अभ्यर्थियों को मुफ्त कौशल देने हेतु पीआईए को विभिन्न श्रेणियों जैसे आवासीय और गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य लागत, यूनिफार्म, रहने और खाने की लागत, नियोजन हेतु प्रोत्साहन और नियोजन पश्चात् सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें प्रति वर्ष चार किशतों में निर्गत किया जाता है। चूंकि योजना के तहत प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थी गांव के गरीब युवा होते हैं। इसलिए नियोजन के दौरान भी कुछ समय के लिए इनके मौलिक खर्चों को वहन करने का प्रयास किया गया है। नियोजन के पश्चात् यह सहायता अभ्यर्थियों को पीआईए के माध्यम से राज्य के भीतर 3 माह तक और बाहर नियोजन पर 6 माह तक 1000 रुपये प्रति माह प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय इस योजना के तहत इंडस्ट्री इंटरनशिप कार्यक्रम भी चलाता है जिसके तहत प्रत्येक पीआईए को यात्रा भत्ता, भोजन एवं आवास भत्ता और प्रशिक्षुता अवधि के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को 3000 रुपये प्रति माह वजीफा प्रदान करने हेतु मंत्रालय द्वारा 1 वर्ष के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।

यह योजना 27 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों में संचालित है इस योजना के साथ कई विशेषीकृत योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर के गरीब परिवारों में एक लाख युवाओं को 5 वर्षों की अवधि में प्रशिक्षित करके रोजगार दिलाने के लिए 'हिमायत' कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी तरह, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 9 राज्यों के 27 जिलों में ग्रामीण युवाओं को इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 'रोशनी' कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी): ये सरकार के सहयोग से स्थापित गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण और व्यवसाय जमाने में मदद कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का सृजन करना है। ये 18-45 आयु के युवाओं को व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में समग्र, गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता-आधारित प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। ये संस्थान मुख्यतः 4 क्षेत्रों—कृषि, प्रसंस्करण, उत्पादन विनिर्माण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत 334 से अधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देते हैं। अभी देश में 583 आरसेटी कार्यरत हैं जिनके द्वारा पिछले 8 वर्षों (अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2019) में 33.18 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया है जिनमें से 22.63 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

उद्यमिता विकास और रोज़गार

उद्यमिता अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति का प्राथमिक आधार, विनिर्माण की बुनियाद और समाज की कार्यात्मक दक्षता व नवाचारी प्रवृत्ति का पर्याय होती है जिसके प्रोत्साहन से न सिर्फ आय और रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं बल्कि इससे अर्थव्यवस्था का बहुआयामी संवर्धन भी होता है। इसलिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रेरित कर रही है। जैसे उद्यमिता मंत्रालय उद्यमिता, शिक्षा, प्रशिक्षण, एडवोकेसी और उद्यमिता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से देश में उद्यमिता के पारितंत्र के विकास हेतु प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान कार्यान्वित कर रहा है जिसे अभी 10 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कौशलिकरण पारितंत्र से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं और पूर्व छात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें 600 नए और 1000 स्केलअप उद्यम सृजित करने की परिकल्पना है। एमएसएमई ने जर्मनी के सहयोग से भारत में आकांक्षी महिला उद्यमियों की सहायता के लिए 'महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तीकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्टअप' परियोजना शुरू की है। यह अभी प्रायोगिक परियोजना असम, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 147 महिलाओं को संपोषण और त्वरित सहायता प्रदान की गई है। एमएसएमई मंत्रालय देशभर में उद्यमिता विकास हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान चला रहा है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम: यह एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित परंपरागत कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं की सहायता का क्रेडिट संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी युवा ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में गैर-कृषि, कृषि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्यम, खादी या ग्रामोद्योग (तंबाकू, मांस, नशीले पदार्थ, पॉलीथीन बैग छोड़कर) आदि में उद्यमों की स्थापना करके स्वरोज़गार सृजित कर सकता है। यह गांवों और कस्बों में हुनरमंद युवाओं के लिए उद्यमवृत्ति का सबसे सुगम माध्यम है क्योंकि यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है जिसके सभी राज्यों में राज्य बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र स्थापित हैं, जहां पर उद्यम के लिए मार्गदर्शन, बैंक लिंकेज और सरकारी सहायता आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के लिए चयनित निजी बैंकों के साथ सभी सार्वजनिक और सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। केवीआईसी के माध्यम से मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को क्रमशः 35 और 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक मिलती है।

नवोन्मेष ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता संवर्धन हेतु योजना (एस्पायर): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 18 मार्च, 2015 को एस्पायर योजना शुरू की है जिसके तहत 80 आजीविका व्यवसाय केंद्र (एलबीआई) और 30 तकनीकी व्यवसाय केंद्र (टीबीआई) स्थापित करके 1 लाख 4 हजार लाभार्थियों को प्रशिक्षित करके उद्यमी बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीणों के जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय और व्यापार की योजनाएं बनाई जाती हैं। एलबीआई ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व मध्यम उद्योगों को स्थापित करने में आने वाली समस्याओं का समाधान कर रोज़गार और उद्योग संस्कृति को बढ़ावा देती है। जबकि टीबीआई एक प्रकार का इनक्यूबेटर है, जो व्यावसायीकरण के लिए बाज़ार में भेजने योग्य उत्पादन के लिए नवप्रवर्तकों को अपने नवाचारी विचारों के विकास और पोषण का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए निधि प्रबंधक के रूप में सिडबी के साथ एस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत 310 करोड़ रुपये का निधियों का कोष स्थापित किया गया है जिससे कृषि या ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित किए जाते हैं।

पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति): एमएसएमई मंत्रालय की इस योजना का लक्ष्य कुटीर उद्योगों को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाना है ताकि ये रोज़गार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित कर सकें। इसमें ग्रामीण उद्यमिता आधारित जैसे बांस उद्योग, शहद उद्योग, खादी उद्योग आदि को प्राथमिकता दी जाती है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत उद्योग कलस्टर, खादी कॉयर, ग्रामोद्योग कलस्टर स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे पांच वर्षों से अधिक अवधि के परंपरागत उद्योग कलस्टरों का विकास, उन्हें प्रतिस्पर्धी, बाज़ार, उत्पादक और लाभकारी बनाने के अलावा नवाचारी तकनीकों, उन्नत प्रक्रियाओं, पीपीपी से नए माडलों के निर्माण द्वारा नए उद्यमों का विकास भी किया जा सकता है। केवीआईसी के माध्यम से संचालित इस योजना में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, क्षमता निर्माण आदि के लिए आवश्यकता-आधारित सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत वर्ष 2019-20 में 100 नए कलस्टर स्थापित करने का लक्ष्य है जिससे 50 हजार उद्यमियों को रोज़गार मिलाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): 8 अप्रैल, 2015 से शुरू यह योजना सूक्ष्म वित्तीयन और पुनर्वित्तीयन के माध्यम से देशभर में उद्यमिता, स्वरोज़गार और रोज़गार का सृजन करती है। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त पहुंचाने वाली इस योजना में छोटे उद्यमियों को शिशु, किशोर और तरुण के तहत कम ब्याज दर पर 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया

जाता है। कोई भी व्यक्ति, जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्र में व्यवसाय, विनिर्माण, प्रसंस्करण आदि में उद्यम की योजना और ऋण की आवश्यकता है, वह शिशु के तहत 50 हजार, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रु तक के ऋण ले सकता है। इस योजना के लिए ऋणदाता संस्थाओं में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें सरकार द्वारा ऋण वितरण के वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। जैसे वित्त वर्ष 2019-20 में 3.25 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित करना है जिसमें से 1.28 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य सार्वजनिक बैंकों को दिया गया है। सरकार ने पीएमएमवाई ऋणों की संवितरण प्रक्रिया को सरल और कागजी कार्यवाई कम करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं जैसे <https://udyamimitra.in> और www.psbloansin59minutes.com पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान, ऋणदात्री संस्थाओं को उधारकर्ताओं के साथ निरंतरता और सघन संपर्क आदि। इस योजना के आरंभ से अक्टूबर 2019 (2015-16 से 2019-20) तक 20 करोड़ 65 लाख से अधिक खातों या व्यक्तियों को ऋण वितरित किए गए हैं जिसमें शिशु वर्ग में ऋण स्वीकृत खातों की संख्या 18.39 करोड़ थी, जबकि किशोर और तरुण वर्ग के खातों की संख्या क्रमशः 1.85 करोड़ और 41.45 लाख थी, जिससे देश में करोड़ों उद्यमों की स्थापना हुई है। इससे लाभार्थी स्वयं उद्यमी बनने के अलावा दूसरों के लिए भी रोजगार सृजित कर रहे हैं। केवल 3 वर्ष की अवधि (2015-2018) में ही इसकी सहायता से 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित हुए हैं।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी): ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम द्वारा एसएचजी और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाता है। यह ग्राम उद्यमिता संवर्धन के लिए वित्तीय संपर्क, क्षमता निर्माण हेतु टिकाऊ मॉडल विकसित करके ग्रामीण गरीबों को अपने उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाता है और ग्रामीण युवा उद्यमियों के स्टार्टअप की तीन समस्याओं ज्ञान, उद्भवन और वित्तीयन की कमी का समाधान करता है। यह उद्यमियों को उद्यम शुरू करने के लिए वित्त हेतु डीएवाई-एनआरएलएम के एसएचजी संघों एवं बैंकिंग तंत्र तक पहुंच के अलावा व्यवसायों के निर्धारण, ऋण प्रदान करने, उत्पादों के विपणन, खातों के रखरखाव में भी सहायता करता है। अक्टूबर 2019 तक एसवीईपी परियोजनाओं के अंतर्गत 35154 लाख रुपये के केंद्रीय अंश सहित कुल 57226 लाख रुपये स्वीकृत किए गए जिसमें 24076 लाख रुपये केंद्रीय अंश से निर्गत किए जा चुके हैं। इसके कार्यक्रमों द्वारा वर्ष 2017-18 से उद्यम निर्माण की शुरुआत हुई है और 4 वर्षों की अवधि में 2.14 लाख उद्यम बनाए जाने हैं जबकि अभी तक 18 राज्यों में 70 हजार से अधिक उद्यमों का गठन किया गया है जिनमें 75 प्रतिशत उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन महिलाओं

द्वारा किया जा रहा है।

स्टैंडअप इंडिया योजना (सीयूपीआई): 5 अप्रैल, 2016 को शुरू इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच उद्यमीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें सरकार विनिर्माण, सेवा या व्यापार किसी भी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसका नोडल अभिकरण है, जिसने इस योजना की बहुमुखी सुविधाओं के लिए स्टैंडअप मित्र पोर्टल www.standupmitra.in संचालित किया है। इसके तहत बैंक न्यूनतम प्रयोज्य ब्याज दर पर 18 माह की ऋण स्थगन अवधि सहित 7 वर्षों तक के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना के आरम्भ से फरवरी 2020 तक 89 हजार से अधिक खातों के तहत 20051.4 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं जिससे हजारों उद्यम और रोजगार सृजित हुए हैं।

आजीविका सृजन और रोजगार

देश में आजीविका सृजन के विकल्प बढ़ाने हेतु सरकार सूक्ष्म वित्तीयन से संस्थानीकरण और निजी प्रयासों के प्रोत्साहन से लेकर सहकारी समितियों के विकास तक परियोजनागत, संस्थागत, क्षेत्रीय और व्यक्तिगत-स्तर तक बहु-उद्देशीय प्रयास कर रही है। जैसे कृषि मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के लिए स्वरोजगार और दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव के स्तर पर करने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु डेयरी उद्यमिता विकास योजना चला रहा है। इसका वित्तीयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नाबार्ड एक ओर, जहां गांवों में किसानों की बहुमुखी आजीविका के संवर्धन हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का पोषण करता है। तो वहीं कृषेत्तर उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) द्वारा ग्रामीण दस्तकारों का समूहन कर उनकी क्षमता, नियोजन, विपणन और बैंक लिंकेज के माध्यम से व्यवसायी गतिविधियों को संबल प्रदान कर रहा है। इस समय नाबार्ड समर्थित 4317 एफपीओ के 10.32 लाख हितधारक हैं जिसमें 3.33 लाख महिला हैं, इसके अलावा, नाबार्ड किसानों के अनौपचारिक मंच के रूप में किसान क्लब कार्यक्रम का संचालन करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व सीमांत किसानों की क्षमता निर्माण और कृषक समुदाय के सशक्तीकरण को समर्पित हैं। इसके हितधारकों में बैंकों की ग्रामीण शाखाएं, एनजीओ, केवीके, कृषि विश्वविद्यालय, राज्य सरकारों के व्यवसाय विभाग शामिल हैं। बैंक से ऋण के अलावा क्लब के रखरखाव खर्चों, जागरूकता, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्ष की अवधि हेतु नाबार्ड प्रति क्लब 12000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। 10 मार्च, 2020 तक देश में कुल 24379 किसान क्लबों के 2.16 लाख किसान सदस्य हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी www.krishaksarathi.com पर उपलब्ध है।

संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) कार्यक्रम: यह नाबार्ड की अवधारणा है जिसे प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2004-05 में 8 राज्यों में शुरू किया गया था, बाद में भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2006-07 से आरबीआई और नाबार्ड दोनों द्वारा इसे परिचालित किया गया। इसमें बैंक उन वंचित समूहों का वित्तीयन करते हैं जो ऋण हेतु कोई संपार्श्विक गारंटी देने में सक्षम नहीं होते हैं। जेएलजी 4 से 10 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें पट्टेदार, काश्तकार, बटाईदार, सीमांत किसान या भूमिहीन श्रमिक कोई भी अकेले या सामूहिक व्यवस्था के माध्यम से आपसी गारंटी द्वारा बैंक से ऋण लेकर जेएलजी बना सकते हैं। इसमें प्रतिभूति गारंटी के बिना ऋण बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है जिसे उद्देश्य के अनुरूप अल्पावधि या सावधि ऋण किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह ऋण प्राथमिकता प्राप्त उधारी की श्रेणी में आता है और इसके लिए निर्धारित ब्याज दर 7 प्रतिशत देय होती है। इसमें समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम ऋण 50 हजार रुपये तक दिया जा सकता है। यह कृषि पर निर्भर आबादी, जो अल्प-रोज़गार या मौसमी बेरोज़गारी का शिकार रहती है, के लिए पूरक आजीविका का बेहतर विकल्प है। चूंकि समूह की पात्रता में कृषि के अलावा गैर-कृषि गतिविधियों को भी शामिल किया गया है इसलिए यह बेरोज़गार ग्रामीणों के लिए भी सूक्ष्म वित्तीयन द्वारा आजीविका सृजन का उम्दा विकल्प है।

इस कार्यक्रम की व्यापकता और गहनता को बढ़ाने हेतु केंद्रीय बजट 2014-15 में घोषित किया गया कि ऋण के वित्तीयन से वंचित समूहों जैसे भूमिहीन श्रमिकों, किसानों, पट्टेदारों, बटाईदारों को कृषि से संबद्ध या गैर-कृषि गतिविधियों से आजीविका विस्तार हेतु 5 लाख जेएलजी का वित्तीयन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेएलजी के संख्या 39.75 लाख रही जिन्हें 56328 करोड़ रुपये ऋण वितरित किए गए।

आर्य परियोजना: कृषि मंत्रालय वर्ष 2015 से अट्रेक्टिंग एंड रिटेनिंग युथ इन एग्रीकल्चर (आर्य) परियोजना कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चला रहा है। इसके तहत कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन जैसी संसाधन एवं पूंजी गहन गतिविधियों को अपनाने हेतु नेटवर्क समूहों को स्थापित करने योग्य बनाया जाता है। इसके तहत हर जिले में 200-300 ग्रामीण युवाओं का उद्यमशील गतिविधियों हेतु कौशल विकास करके संबंधित क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है।

स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) कार्यक्रम: देश में एसएचजी के बैंक संपर्क मॉडल को अपनाया गया है। यह कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का अनौपचारिक समूह है जो स्वयंसहायता, एकजुटता और आपसी हित के सिद्धांत पर कार्य करता है और इससे समूह उत्पादन, उपभोग, विपणन व उद्यमिता के उद्देश्यों को पूरा करता है। कृषि, गैर-कृषि, ग्रामीण उद्यम, गरीबी

उन्मूलन या आजीविका सृजन आदि किसी भी क्षेत्र में इसका गठन किया जा सकता है। यह गांवों की बहुमुखी समस्याओं और गरीबी उन्मूलन को संबोधित है, जिनके पास खेती के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है या भूमिहीन जो अल्परोज़गार या बेरोज़गार हैं, आपस में समूहीकृत होकर एक एसएचजी बना सकते हैं। यह सामूहिक बचतों के प्रोत्साहन और आजीविका सृजन का लचीला, सुग्राही व अनुक्रियाशील समूह है।

यह बैंक संपर्क कार्यक्रम है जिसमें एसएचजी के गठन और बैंकों से इनके संपर्क को शर्तबद्ध किया गया है। इसमें सदस्य समूह गठन के बाद वाणिज्यिक, सहकारी या ग्रामीण किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में बचत खाता खोलकर अपनी गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। इसमें समूह को देय ऋण की अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच हो सकती है जिसे नियमित किश्तों पर चुकाया जाता है। हालांकि बैंक संबद्धता के अनुरूप देय कर्ज की राशि में अंतर कर सकता है। जैसे यदि एसएचजी शुरू में सीधे बैंक से जुड़ते हैं तो बैंक समूह को बचत के अनुपात में कर्ज देता है जिसे अदायगी प्रवाह और विश्वास में वृद्धि के बाद बैंक चार गुना तक बढ़ा सकता है। जबकि गैर-सरकारी या स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़ने पर समूह को शुरू से उसके बचत का चार गुना तक ऋण मिल सकता है। इसके अलावा, समूह के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी ऋण ले सकते हैं। एसएचजी की सदस्यता या समूहता में छोटे दुकानदार, कामगार, शिल्पी, कारीगर, बेरोज़गार आदि कोई भी इसमें कम से कम 5 और अधिकतम 20 सदस्य समूहीकृत हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रवर्तन से ग्रामीणों की रोज़गार क्षमता, उत्पादकता, संपत्ति निर्माण, सौदा शक्ति, सहभागिता और निर्णयाधिकारों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 1994-95 में बैंकों से जुड़े एसएचजी की संख्या 2212 थी, जो बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 100.14 लाख एसएचजी हो गई जिसमें 85.31 लाख एसएचजी महिलाओं द्वारा संचालित और प्रबंधित हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस मिशन को अब दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) नाम दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2022-23 तक देश के सभी ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह मिशन निम्न चार स्तरों-सामाजिक एकजुटता और गरीब परिवारों की स्थायी सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन करना, स्थायी आजीविका का सृजन करना, सहभागिता और हकदारी में निवेश करना, पर कार्य कर रहा है। इनमें से एक प्रयास ग्रामीण गरीबों की आजीविका को संस्थागत आधार प्रदान करना है। इसके तहत सामूहिक आजीविका, सामुदायिक उत्पादन, उत्पादक कंपनी, सहकारी समिति जैसी संस्थाओं का प्राथमिक आधार पर गठन किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक को 30-30 गांवों के चार कलस्टर्स में बांटा जाता है। फिर

गरीबों को समूहों, ग्राम कलस्टर्स, ब्लॉक-स्तरीय संघों में एकजुट करके उनके संगठनों का विकास किया जाता है। शुरुआती 4-5 वर्षों के दौरान इनको नियमित अंतराल पर निधियां प्रदान की जाती हैं। इन संस्थाओं के आत्मनिर्भर व स्वावलंबी होने तक या सामुदायिक संघों द्वारा क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेने तक या 10 वर्षों तक इन्हें डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा चलाया जाता है।

दूसरे प्रयास के तहत देशभर के गांवों में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्धन परिवार की कम से कम एक महिला का चयन कर उन्हें स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) में संघबद्ध करके स्थायी या वैकल्पिक आजीविका के लिए संस्थागत मदद और वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है। इनकी मदद के लिए जिलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी में देश के 250 जिले जिनके सभी महिला एसएचजी 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर प्रति एसएचजी 3 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ऋणों का ससमय पुनर्भुगतान करने पर इन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट मिलती है जिससे इन्हें अंततः 4 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता है। दूसरी श्रेणी के जिलों में प्रत्येक महिला एसएचजी को 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है। इन समूहों को ऋण की उपलब्धता और अदायगी की निगरानी हेतु मंत्रालय के सहयोग से बैंक शाखाओं में 20,336 से अधिक बैंक सखियों की नियुक्ति और 26,929 से अधिक बैंक शाखाओं में सामुदायिक ऋण अदायगी प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अलावा, मंत्रालय प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला बैंक मित्र (बीसी) भी नियुक्त कर रहा है।

इस मिशन के तहत मंत्रालय अपने समग्र प्रयासों से अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत के 67.91 लाख परिवारों को व्यक्तिगत या सामूहिक आजीविका हेतु संस्थागत मदद और वित्तीय समर्थन प्रदान कर चुका है।

कुल मिलाकर नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने की लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और अनेक फ्लैगशिप कार्यक्रमों से उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु इनके सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार स्वरोजगार को सुकर बनाने के लिए अनेक नियामकीय सुधारों के अलावा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने या विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए लगातार संस्थागत और व्यवस्थागत समर्थन प्रदान कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि रोजगार सृजन का भविष्य बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तो आज देश श्रमाधिक्य और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है और दूसरा, बढ़ता मशीनीकरण अर्थव्यवस्था में मानवश्रम की आवश्यकता को लगातार घटा रहा है, पहले 10 व्यक्ति जिस कार्य को एक माह में करते थे, उसे मशीन एक दिन में पूरा कर देती है। ऐसे में हर व्यक्ति को रोजगार

उपलब्ध करा पाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि अपनी आजीविका चलाने हेतु व्यक्ति के लिए रोजगार आवश्यक है। इसलिए लोगों की आजीविका और रोजगार की सततीयता बनाए रखने के लिए लोगों को सामयिक कौशल से परिपूर्ण करने के अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षा में निवेश, लघु एवं मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ और कई प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे कौशल विकास के लिए हमें स्थानीय व्यवसायियों को जर्मन मॉडल की तरह काम करने को तैयार करना होगा।

जर्मनी में विश्व का सफलतम व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें जर्मनी के व्यवसायी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए काफी धन खर्च करते हैं। इससे उन्हें प्रशिक्षु के रूप में ही बहुत अच्छे कर्मचारी मिल जाते हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के युग में इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी कंपनियों द्वारा रोजगार कम सृजित होंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर एवं एप आदि के बाजार विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि भविष्य में इंटरनेट-जनित सेवाओं के बाजार का विस्तार होगा। इसलिए सरकार को ई-सेवाओं के बाजार विस्तार की बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए। तीसरा, कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक एवं रोजगारोन्मुख बनाना होगा जैसे अनाज की फसल से अधिक लाभ और रोजगार फल, सब्जी एवं पशुपालन में है तो इसे आजीविका के बजाय उद्यम में तब्दील किया जाए और कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटेड परिवहन की सुविधा को बढ़ाया जाए। इससे विपणन एवं वितरण की सुविधा बढ़ेगी और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकेगा। चौथा, विनिर्माण में रोजगार का आधार अधिकतर छोटे उद्योग ही होते हैं। इसलिए छोटे उद्योगों को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। पांचवां, भविष्य में कंपनियों में स्थायी नौकरियों में कमी के साथ सेवाओं के व्यक्तिगत-स्तर पर उत्पादन एवं खपत में भारी वृद्धि होगी।

संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश के स्थान पर सरकार को इस बाजार के विस्तार के लिए बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए। इन सबके साथ क्षेत्रीय आधार पर कई क्षेत्रों में रणनीतिक पहलें की जा सकती हैं, जैसे सरकार ने वर्ष 2022 तक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में 10 लाख रोजगार अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, उद्यमशीलता शोध और विकास की प्रगति पर निर्भर करती है जिसे सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में यह अभी जीडीपी का 0.8 प्रतिशत है, जोकि इसके सहयोगी ब्रिक्स देशों की तुलना में बहुत कम है। इन तमाम प्रयासों के साथ यदि देश का नेतृत्व भारत को प्राप्त जनांकिकीय लाभान्श की स्थिति को भुनाने में सफल हो पाता है तो देश के समक्ष विश्व की महान आर्थिक शक्ति बनने की अपार संभावनाएं हैं।

(लेखक कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं।)

ई-मेल : gajendra.singh88@gov.in

कृषि संबद्ध क्षेत्रों में रोज़गार

—डॉ. वीरेन्द्र कुमार

देश की उन्नति और खुशहाली का रास्ता गांवों से होकर जाता है। देश में आज भी लगभग 65 प्रतिशत रोज़गार कृषि के माध्यम से उपलब्ध होता है। आज सरकार ग्रामीण युवाओं, खेतीहर मजदूरों और किसानों के कल्याण पर ज्यादा ज़ोर दे रही है। सरकार द्वारा एक फसल प्रणाली के स्थान पर विविधीकृत खेती में प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर ज़ोर दिया जा रहा है जिससे एक तरफ, पैदावार बढ़ेगी। साथ ही, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन से अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी।

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए परम्परागत तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीकों पर ज़ोर दिया जा रहा है। आज कृषि पर सबसे अधिक दबाव बढ़ती जनसंख्या का है। देश में तेज़ी से बढ़ रहे औद्योगिकीकरण, विकास कार्यों और शहरीकरण ने खेती योग्य भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को कम कर दिया है। दूसरी तरफ, खेती में लगातार एक ही प्रकार की फसलें उगाने व एक ही तरह के आदानों का प्रयोग करने से न केवल फसलों की पैदावार में स्थिरता या कमी आई, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज की गई। एक फसल प्रणाली न तो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, और न ही परिस्थितिकी की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। अतः फार्म पर धान्य फसलों के साथ दलहन फसलें, बागवानी फसलें, पशुपालन, मछली पालन व मधुमक्खी पालन को भी अपनाना चाहिए। जिससे यदि किसी वर्ष मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो अन्य कृषि व्यवसाय किसानों की आमदनी का स्रोत बन जाते हैं। साथ ही, विविधीकृत खेती में प्राकृतिक संसाधनों का भी उचित उपयोग होता है। इसके अलावा, किसान मांग और आपूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मूल्यों में उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। भारत ज्यादातर अनाज के

मामले में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद, यहां कुपोषण, एनीमिया, अविकसित बच्चे और बौनेपन की समस्या बड़े पैमाने पर है। इन समस्याओं से निपटने के लिए पोषण सुरक्षा पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ावा देने व पौष्टिक सुरक्षा के लिए विविधीकृत खेती पर ज़ोर देने की जरूरत है। इसके तहत दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां, मशरूम, मीट, अंडा, मछली और चिकन जैसे प्रोटीन-युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। पिछले तीन दशकों में गांवों की लाखों हेक्टेयर ज़मीन शहरों की चपेट में आ गई है जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीणों के जीवन, आजीविका और रोज़गार पर पड़ रहा है। खेती योग्य ज़मीन का क्षेत्रफल सीमित है। भविष्य में इसके बढ़ने की सम्भावना नगण्य है। साथ ही, खेती में बढ़ती उत्पादन लागत, खेती की तमाम दिक्कतों व घटते मुनाफे के कारण युवाओं का झुकाव भी कम हुआ है। प्रायः देखा गया है कि जिन फसलों का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, उन्हें छोड़कर बाकी फसलों के दाम बिल्कुल अनिश्चित रहते हैं। जिस साल फसल ज्यादा होती है, उस साल कीमतें गिर जाती हैं। जब कीमतें गिरती हैं, तब किसान अगले साल उस फसल को कम उगाते हैं, और फिर बाज़ार में उत्पाद कम होने से दाम बढ़ जाते हैं। हर दो-चार वर्षों में यह चक्र पूरा



घूम जाता है। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसे में किसान कल्याण, ग्रामीण रोजगार, संसाधन संरक्षण और आजीविका सुरक्षा हेतु विविधीकृत खेती की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जिसका प्रमुख लक्ष्य कृषि लागत को न्यूनतम करना और किसानों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है।

सरकारी प्रोत्साहन व पहल

सरकार ने किसानों, पशुपालकों व डेयरी उद्योग में लगे लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। किसानों को अब खेतीबाड़ी से जुड़ी मशीनरी और उपकरणों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। महज एक ऐप की मदद से वह हर तरह की मशीनरी को किराए पर हासिल कर सकेंगे। इसकी मदद से किसान अपने आसपास के केंद्र से किसी भी तरह के कृषि उपकरण वाजिब किराए पर ले सकेंगे। इससे उन किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो पैसे की तंगी के कारण खेती से जुड़े बहुत से उपकरण खरीद नहीं पाते। इसके अलावा, संसाधनों और सेवाओं की कमी का सामना करने वाले छोटे, सीमांत और असंगठित किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए व उनकी आय बढ़ाने के लिए नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) खोले जा रहे हैं। इसके जरिए किसानों को न केवल अपेक्षाकृत कम कीमत पर कृषि आदान उपलब्ध होते हैं, बल्कि अपने फसल उत्पादों की बेहतर कीमत मिलने में भी मदद मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या बढ़ाने पर फोकस और मछली पालन पर भी जोर दिया जा रहा है। दूध की खरीद के लिए मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए पूरे देश में केंद्र खोले जाएंगे।

हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालकों को 'किसान' का दर्जा दिया है। अब वे क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा, जैविक खेती में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। उत्तर-पूर्व के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पहले से ही जैविक राज्यों के रूप में ब्रांडेड हैं। ई-मंडी देश के किसानों को पसंद आ रही है। नतीजा यह है कि इससे जुड़ने वाले किसानों की संख्या तो बढ़ ही रही है, बिजनेस भी 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गया है। सरकार प्रयास कर रही है कि देश के सभी राज्य इस मंडी से जुड़े, ताकि किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके। सरकार द्वारा 'पीएम किसान संपदा योजना' शुरू की गई है जिसका लक्ष्य भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत देश में फूड पार्क, शीतगृह और अन्य खाद्य प्रसंस्करण संबंधित आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से निम्नलिखित व्यवसायों द्वारा किसानों, पशुपालकों व ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।

बागवानी से रोजगार

बागवानी फसलों की खेती से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बागवानी फसलों मुख्यतः सब्जियों की खेती में ग्रीनहाउस खेती का तेजी से विकास हुआ है। इस तकनीक से सस्ते पॉलीथीन हाउस में कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च तथा कद्दूवर्गीय फसलों जैसे खीरा, ककड़ी, तौरी, लौकी, टिंडा, तरबूज व खरबूजा आदि की बेमौसम अर्थात् जाड़ों में नर्सरी तैयार करके एक से दो महीने अगेती खेती कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। कुछ सब्जियों से निर्मित कई महंगे खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी, पेस्ट, पाउडर, मिठाइयां बनाकर आय बढ़ाई जा सकती है। सब्जियों का प्रसंस्करण कर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गाजर, पेठा, लौकी व परवल से कई मिठाइयां बनाई जाती हैं। आज देश के अनेक भागों में इस पर अनेक छोटे-छोटे उद्योग चल रहे हैं। टमाटर से कैचप, सॉस, चटनी, प्यूरी, पेस्ट आदि कई प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। फूलगोभी, करेला, परवल, मिर्च व कुन्दरु आदि से अचार बनाया जाता है। लहसुन, प्याज, अदरक, करेला, पुदीना और चौलाई जैसी सब्जियों से कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। प्याज व मेथी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर व सूखाकर मसाले की तरह बेचा जा सकता है। खरबूजे व खीरे के बीजों को कई मिठाइयां बनाने के अलावा ठंडे शर्बतों में प्रयोग किया जाता है। तरबूज व खरबूजे के रस को पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कई सब्जियों जैसे करेला, कद्दू, तरबूज व चप्पन कद्दू के बीजों से खाद्य तेल भी निकाला जाता है।

उन्नत बीज व नर्सरी उत्पादन से रोजगार

देश में उन्नत किस्म के बीजों की बड़ी मांग है। विभिन्न फसलों के उन्नत बीज उत्पादन का काम कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों की देखरेख में शुरू कर स्वयं का रोजगार शुरू किया जा सकता है। इसे इलाके के किसानों को बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इसी प्रकार सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में उन्नत संकर किस्मों व उत्तम गुणों के बीजों का बड़ा योगदान है। स्वयं परागण वाली सब्जियों जैसे मटर, सेम, बांकला, टमाटर, मिर्च, बैंगन, लोबिया या ग्वार की उन्नत किस्मों के बीज थोड़ी-सी जानकारी के साथ किसान भाई स्वयं बना सकते हैं। परपरागण वाली सब्जियों जैसे- लौकी, तोरई, करेला, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टिण्डा, फूलगोभी, पत्तागोभी, गांठगोभी, मूली, शलजम, गाजर, प्याज, पालक, ब्रोकोली इत्यादि व संकर किस्मों के बीज किसान थोड़ी-सी जानकारी व ट्रेनिंग के साथ सफलतापूर्वक पैदा कर सकते हैं। ऐसा करने से खेती में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। साथ ही पढ़े-लिखे युवा सब्जी बीज उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। इससे वह अपने क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के राज्यों के किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति भी कर सकते हैं, और इससे एक अच्छी-खासी आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। साथ

ही, अन्य किसानों को भी बीज उत्पादन की खेती के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बागवानी फसलों की नर्सरी तैयार करके भी किसान अपने परिवार के लिए कमाई का एक अच्छा व्यवसाय विकसित कर सकते हैं।

मशरूम उत्पादन से रोज़गार

हमारे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन में प्रोटीन का विशेष महत्व है। मशरूम इसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है। मशरूम की खेती के लिए न तो ज्यादा ज़मीन की और न ही अधिक पूंजी की जरूरत होती है। मात्र छप्पर के शेड में भी मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। पौष्टिकता की दृष्टि से मशरूम की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस कारण मशरूम की खेती से रोज़गार प्राप्त करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। हालांकि इस व्यवसाय के लिए तकनीकी ज्ञान का होना अति आवश्यक है जिससे कि खाद्य मशरूमों की पहचान के साथ-साथ उन्हें अवांछनीय मशरूमों व अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से बचाया जा सके।

फूलों से रोज़गार

आजकल पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक समारोहों में फूलों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। शहरों में फूलों के प्रयोग का प्रचलन बहुत बढ़ गया है जिससे विभिन्न प्रकार के फूलों की वर्ष भर मांग बनी रहती है। फूलों की व्यावसायिक रूप से खेती करके ग्रामीण युवा आसानी से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। खेती करते समय फूलों का चयन इस तरह किया जाना चाहिए जिससे वर्षभर नियमित आय मिलती रहे। हमारे दैनिक जीवन में फूलों की उपयोगिता विभिन्न सजावटी कार्यों में बढ़ती ही जा रही है। साज-सजावट और सौंदर्यीकरण में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गुलाब व गुलाब से निर्मित वस्तुओं के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। किसान फूलों की खेती द्वारा अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज देश के अनेक भागों में कट पलावर व लूज़ दोनों की काफी मांग है। फूलों को बेचने के अलावा गुलाब को विशेष रूप से गुलकंद व इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है जो सौन्दर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रजनीगंधा व ग्लैडिओलस फूलों की खेती करके ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े स्तर पर युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी व कम आमदनी की वजह से रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में फूलों की खेती को रोज़गार के रूप में अपनाया जा सकता है। फूलों की अधिक खपत, उपयोग एवं खरीद शहरों तथा शहरों के समीप अधिक है। इसलिए फूलों को शहरी क्षेत्रों के आसपास उगाने से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।

पशुपालन व डेयरी उद्योग से रोज़गार

आज भारत 18.5 करोड़ टन वार्षिक दूध उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है और दूध के मामले में आत्मनिर्भर

है। पशुपालन व डेयरी उद्योग भारतीय कृषि का अभिन्न अंग हैं। दूध के प्रसंस्करण व परिरक्षण से उसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है जिससे कम पूंजी लगाकर स्वरोज़गार प्राप्त किया जा सकता है। भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों व बेरोज़गार युवाओं के लिए पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय है। देश के डेयरी उद्योग और पशुपालन में महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। ग्रामीण महिलाओं का पशुपालन प्रबन्ध के सभी कार्यों में विशेष योगदान रहता है। दूध के परिरक्षण व पैकिंग के अलावा इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे दुग्ध पाउडर, दही, मक्खन, छाछ, घी, पनीर आदि के निर्माण एवं विपणन में कार्यरत लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। पशुपालन व डेयरी उद्योग के विस्तार से रोज़गार बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा, दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के प्रसंस्करण को व्यावसायिक स्वरूप देकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। पशुपालन व डेयरी उद्योग की शुरुआत के लिए भूमिहीन ग्रामीण बेरोज़गार बैंक से ऋण लेकर कम पूंजी में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

मधुमक्खी पालन से रोज़गार

मधुमक्खी पालन के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शहद का उत्पादन और उससे किसानों को होने वाली आमदनी के साथ-साथ फसल उत्पादन के अन्य लाभ भी होते हैं। आजकल पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं किसानों की आय बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक तकनीक से मधुमक्खी पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि के विविधिकरण के साथ-साथ मधुमक्खी पालन द्वारा किसान कम समय और कम लागत में अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि फूलों का परागण केवल मधुमक्खियों के बल पर होता है। मधुमक्खियों की सक्रियता सुबह के समय अधिक होती है। अतः किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि जहां तक हो सके, दोपहर बाद ही कीटनाशियों का छिड़काव करें। मधुमक्खी पालन कृषि-आधारित व्यवसाय है। शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनता जा रहा है। मधुमक्खी पालन में कम समय, कम लागत व कम पूंजी निवेश की जरूरत होती है।

औषधीय एवं सुगंधीय पौधों से रोज़गार

देश में आजकल दवाइयों के लिए औषधीय पौधों और फल-फूल इत्यादि की खेती कारोबार के लिए की जा रही है। लहसुन, प्याज, अदरक, करेला, पुदीना और चौलाई जैसी सब्जियां पौष्टिक होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी, मैथी, सौंफ आदि से कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियां व खाद्य पदार्थ बनाकर ग्रामीण युवा रोज़गार के साथ-साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए ग्रामीण बेरोज़गार बैंक से ऋण लेकर कम पूंजी से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं तथा औषधीय पौधों की खेती के साथ-साथ उनका प्रसंस्करण करके भी स्वरोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। सुगंधित पादपों के बारे में अधिक जानकारी के

लिए राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान केंद्र, बोरयावी, आनन्द या अपने गृह जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

मछली पालन से रोज़गार

भारत में खारे जल की समुद्री मछलियों के अलावा ताज़े पानी में भी मछली पालन किया जाता है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पारम्परिक तरीके से छोटे-छोटे तालाबों में मछली पालन किया जाता है। भूमि के एक छोटे से टुकड़े में तालाब बनाकर या तालाब को किराए पर लेकर भी व्यावसायिक ढंग से मछली पालन किया जा सकता है। मछली उद्योग से जुड़े अन्य कार्यों जैसे कि मछलियों का श्रेणीकरण एवं पैकिंग करना, उन्हें सुखाना एवं उनका पाउडर बनाना तथा बिक्री करने आदि से काफी लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सकता है। मछली पालन में पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक महत्व होता है। अतः इस उद्योग में लागत की तुलना में आमदनी अधिक होती है।

सुअर पालन से रोज़गार के अवसर

कई विदेशी सुअर की अच्छी नस्लें जैसे यार्कशायर, बर्कशायर एवं हैम्पशायर का उपयोग एकीकृत खेती में कर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। सुअर पालन करने के लिए ज़मीन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। साथ ही, बहुत कम पूंजी में इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। चूंकि एक मादा सुअर एक बार में 10 से 12 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। इसलिए सुअर पालन व्यवसाय का विस्तार बहुत ही शीघ्र किया जा सकता है। सुअरों के राशन हेतु बेकरी एवं होटलों आदि के बचे हुए तथा कुछ खराब खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अन्य पशुओं की अपेक्षा प्रति इकाई राशन से सुअरों का वज़न भी सबसे अधिक बढ़ता है जिससे लागत के अनुपात में आय अधिक होती है। अतः यह एक लाभकारी व्यवसाय है जिसको अपनाकर ग्रामीण युवा स्वरोज़गार के साथ-साथ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

मुर्गीपालन से रोज़गार

ग्रामीण भारत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पोल्ट्री उद्योग भी है। चिकन, मांस व अंडों की उपलब्धता के लिए व्यावसायिक-स्तर पर मुर्गी और बत्तख पालन को कुक्कुट पालन कहा जाता है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी कुक्कुट आबादी है जिसमें अधिकांश कुक्कुट आबादी छोटे, सीमांत और मध्यम वर्ग के किसानों के पास है। भूमिहीन किसानों के लिए मुर्गीपालन रोजी-रोटी का मुख्य आधार है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन से अनेक फायदे हैं जैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी, देश के निर्यात तथा पोषण व खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता आदि। कुक्कुट पालन का उद्देश्य पौष्टिक सुरक्षा में मांस व अंडों का प्रबंधन करना है। मुर्गी पालन बेरोज़गारी घटाने के साथ देश की पौष्टिकता बढ़ाने का भी बेहतर विकल्प है। वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में कुक्कुट उत्पाद उच्च जैविकीय मूल्य के प्राणि प्रोटीन के सबसे सस्ते उत्पाद हैं लेकिन देश में अभी इनका सर्वथा अभाव प्रकट हो रहा है क्योंकि

मांग के अनुपात में इनकी उपलब्धता बहुत कम है। निरंतर बढ़ती आबादी, खाद्यान्न आदतों में परिवर्तन, औसत आय में वृद्धि, बढ़ती स्वास्थ्य सचेतता व तीव्र शहरीकरण कुक्कुट पालन के भविष्य को स्वर्णिम बना रहे हैं। आज के आधुनिक युग में मांसाहारी वर्ग के साथ-साथ शाकाहारी वर्ग भी अंडों का बेहिकक उपयोग करने लगा है जिससे मुर्गी पालन व्यवसाय के बढ़ने की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। इसके अलावा, चिकन प्रसंस्करण को व्यावसायिक स्वरूप देकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। कृषि से प्राप्त उप-उत्पादों को मुर्गियों की खुराक के रूप में उपयोग करके इस व्यवसाय से रोज़गार प्राप्त किया जा सकता है।

भेड़-बकरी पालन से रोज़गार

भेड़-बकरी पालन स्वरोज़गार का एक प्रबल साधन बनता जा रहा है। देश में पाई जाने वाली भेड़-बकरी की विभिन्न नस्लें मांस व ऊन उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं। भूमिहीन बेरोज़गारों के लिए भेड़ व बकरियों का पालन एक अच्छा व्यवसाय है। इस व्यवसाय को कम पूंजी से भी प्रारंभ किया जा सकता है। इसलिए बकरियों को 'गरीब की गाय' कहा जाता है। बकरियों को चराने मात्र से ही उनका पेट भरा जा सकता है। गाय-भैंसों से अलग, बकरी से जब चाहों तब दूध निकाल लो, इसी कारण इसे चलता-फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। भेड़ तथा बकरियों के मांस पर किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध भी नहीं है। इसके अलावा, भेड़ को ऊन उद्योग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मांस, ऊन तथा चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल का स्रोत होने के कारण इस व्यवसाय के द्वारा रोज़गार की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही, वैज्ञानिक ढंग से इनका पालन करने से अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है।

कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन से रोज़गार

भारत में अधिकांश कृषि उत्पाद बिना प्रसंस्करण के उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका बढ़ती जा रही है। यदि इसके द्वारा मूल्य संवर्धित किया जाए तो किसानों को कृषि उत्पाद का अधिक मूल्य मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ज्यादातर श्रम-आधारित होता है। इसे निर्यात का प्रमुख उद्योग बनाकर ग्रामीण कामगारों के लिए रोज़गार के काफी अवसर पैदा किए जा सकते हैं। देश में खाद्य प्रसंस्करण के तकनीकी ज्ञान और दक्षता की कमी है। भारत दुनिया में फलों-सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे देश में हर वर्ष करोड़ों रुपये की फल-सब्जियां नष्ट हो जाती हैं क्योंकि उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इससे छोटे व सीमांत किसान अधिक प्रभावित होते हैं। फसलों से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्करण व परिरक्षण से उनका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है जैसे कि मूंगफली से भुने हुए नमकीन दाने, चिक्की, सोयाबीन से दूध व दही बनाना; फलों से शर्बत, जाम, जैली व स्क्वॉश बनाना, आलू व केले से चिप्स बनाना; गन्ने से गुड़ बनाना, गुड़ के शीरे व अंगूर से शराब व अल्कोहल बनाना, विभिन्न तिलहनों से तेल निकालना, दलहनी उत्पादों से दालें बनाना आदि। इस प्रकार कम

पूँजी लगाकर स्वरोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ आय में भी इज़ाफा किया जा सकता है।

ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों से रोजगार

आज गांवों के लोग ऑर्गेनिक खेती से अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं। दुनियाभर में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोग ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों को अपने खाने में शामिल कर रहे हैं। वैश्विक बाज़ार में भारत के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसका नतीजा है कि इन उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को हुआ। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के आंकड़ों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष 2018-19 में देश से 75.7 करोड़ डॉलर से अधिक के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। जबकि इसके पिछले वर्ष 51.5 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाज़ारों में जिन उत्पादों की सर्वाधिक मांग रही उनमें अलसी, तिल, सोयाबीन, अरहर, चना, चावल, चाय व औषधीय पौधे शामिल हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के अलावा कनाडा, ताइवान व दक्षिण कोरिया से भी इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जर्मनी भी इन उत्पादों का बड़ा आयातक है। भारत में वर्ष 2018-19 में 26.7 लाख टन प्रमाणित ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया गया। इनमें तिलहन, गन्ना, मोटे अनाज, कपास, दलहन, औषधीय पौधे, चाय, फल, मसाले, मेवे, सब्जियां और कॉफी जैसे उत्पाद शामिल हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद केवल खाद्य उत्पादों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कपास के रेशे और फंक्शनल फूड उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। एपीडा के अनुसार ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन तिलहन का होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6.14 लाख टन ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए ऑर्गेनिक खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है।

वर्मी कम्पोस्ट यूनिट से रोजगार

आजकल किसान भाई फार्म पर बायोगैस यूनिट और वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाकर भी कमाई कर रहे हैं। फसल अवशेषों को जलाने की समस्या से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक उपाय सुझाए हैं जिनमें वर्मी कम्पोस्ट या केंचुआ खाद महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में फसल अवशेषों तथा गोबर का सदुपयोग करके वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाता है। इससे एक तरफ वायु प्रदूषण की समस्या को रोका जा सकता है। तो दूसरी तरफ, किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त जैविक खाद उपलब्ध कराई जा सकती है। इस विधि में फसल अवशेषों को एक लंबे ढेर में रखकर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत केंचुए फसल अवशेष व गोबर खाकर अच्छी खाद बना देते हैं जिसे हम वर्मी कम्पोस्ट

या केंचुआ खाद कहते हैं। आज फसल अवशेषों की समस्या बड़ी गंभीर है। अतः फसल अवशेषों को केंचुओं की सहायता से खाद के रूप में परिवर्तित करना अति आवश्यक है ताकि फसल अवशेषों की समस्या से निपटा जा सके। वर्मी कम्पोस्ट विधि में फसल अवशेषों को खाद में परिवर्तित करके पोषक तत्वों को पुनः उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया में केंचुए धीरे-धीरे प्रजननशील होकर संख्या में बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार 1 से डेढ़ माह में अच्छी गुणवत्ता की वर्मी कम्पोस्ट तैयार हो जाती है जिसे छानकर थैलियों या बोरियों में भर लेते हैं। इसके साथ ही वर्मी कम्पोस्ट द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। आज देश के विभिन्न भागों में वर्मी कम्पोस्ट का मूल्य 10 से 15 रुपये प्रति किग्रा. है।

कृषि वानिकी से रोजगार

कृषि वानिकी में एक ही भूखंड पर फसलों के साथ बहु-उद्देशीय पेड़ों के उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन को भी क्रमबद्ध तरीकों से किया जाता है। इससे न केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाता है, बल्कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। कृषि वानिकी से न केवल खाद्यान्नों, चारा, ईंधन, फलों, सब्जियों व लकड़ी उत्पादन बढ़ता है, बल्कि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से होने वाली आय में भी वृद्धि होती है। जो अंततः जैव विविधता को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक सुदृढ़ एवं स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करता है। अतः कृषि वानिकी मिशन के अंतर्गत 'मेड़ पर पेड़' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वृक्ष लगाने से देश के वन आवरण में तो वृद्धि होगी ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध होंगे। क्योंकि कृषि वानिकी में वृक्षों से प्राप्त होने वाले उत्पादों जैसे; फल, ईंधन, टिम्बर, फूल, कत्था रेशा, औषधि आदि से अनेक कुटीर उद्योग आरंभ किए जा सकते हैं।

तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण

आजकल फसल उत्पादन व अन्य व्यवसाय से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए 'किसान काल सेंटर की सुविधा सभी राज्यों में है। इस सेवा के तहत किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं जिनका समाधान 24 घंटे के अंदर कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके अलावा, कई सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाएं, किसान चैनल एवं बैंक किसानों व ग्रामीणों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, आजकल हर ज़िले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों पर कार्यरत वैज्ञानिक समय-समय पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं।

(लेखक जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

ई-मेल : v.kumardhama@gmail.com

बदलती ग्रामीण संरचना का रोज़गार और विकास पर प्रभाव

—डॉ. तनु कथूरिया

ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अनियोजित पलायन को रोकने और देश में अधिकांश आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में रोज़गार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थितियों में सुधार भी प्रति व्यक्ति ग्रामीण और शहरी आय में असमानता को कम करने के लिए आवश्यक है।

“भारत अपने गांवों में बसता है”। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आज भी प्रासंगिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है, जिसमें से 68.84 प्रतिशत (83.31 करोड़) लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और केवल 31.16 प्रतिशत (37.71 करोड़) लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं (महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, 2012)।

2001 से 2011 के बीच, ग्रामीण आबादी में 12.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, भारत की शहरी आबादी में 31.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में शहरी आबादी में पचास प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को गांवों से शहरों को पलायन और शहरों में ग्रामीण बस्तियों के पुनः वर्गीकरण को ज़िम्मेदार ठहराया गया था (प्रधान 2013)। जनसंख्या अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत का स्वरूप मुख्य रूप से वर्ष 2050 तक ग्रामीण रहेगा, जिसके बाद शहरी आबादी के ग्रामीण आबादी से आगे निकलने का अनुमान है (संयुक्त राष्ट्र 2012)।

भारत में ग्रामीण जीवन की विशेषता है— गरीबी, बेरोज़गारी

और साथ ही निम्न-स्तरीय और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जो स्लम व आर्थिक और सामाजिक तनाव उत्पन्न करेगा जिसका व्यापक प्रभाव शहरी केंद्रों पर पड़ेगा। इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में देश में बेरोज़गारी की दशा ग्रामीण पिछड़ेपन और विकास की सभी प्रकार की जरूरतों का पर्याप्त प्रमाण है।

प्रायः यह अनुभव किया गया है कि गांव से शहरों की ओर अनियोजित पलायन विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में, शहरी सुविधाओं पर गंभीर दबाव डाल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से कम वेतन वाले प्रवासियों की एक बड़ी संख्या को अस्वास्थ्यकर और वंचित स्थितियों में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। इस प्रकार, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अनियोजित पलायन को रोकने और देश में अधिकांश आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में रोज़गार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थितियों में सुधार भी





प्रति व्यक्ति ग्रामीण और शहरी आय में असमानता को कम करने के लिए आवश्यक है जो लगातार अधिक बना हुआ है। इसके लिए शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक तेज़ी से वृद्धि की आवश्यकता है।

परंपरागत रूप से, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोज़गार का प्रमुख क्षेत्र है। कृषि से अधिक उत्पादक गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए उत्पादन और व्यवसाय की संरचना में बदलाव को आर्थिक विकास और ग्रामीण और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन के बारे में तथ्यों की अधिक जानकारी नहीं है। ये तथ्य महत्वपूर्ण हैं, यह देखते हुए कि सामाजिक अशांति को दूर करने के लिए भारत को हर साल लगभग एक करोड़ नौकरियों का सृजन करना होगा।

रमेश चंद, एस. के. श्रीवास्तव और जसपाल सिंह द्वारा नीति आयोग के लिए लिखा गया एक लेख ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आधे से अधिक भारतीय औद्योगिक उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। देश में समस्त निर्माण गतिविधि का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण का है। ग्रामीण सेवाओं का मूल्य कुल सेवाओं के उत्पादन का लगभग एक चौथाई है। शताब्दी के आरंभ से कुल ग्रामीण उत्पादन का आधे से कुछ कम भाग कृषि का है।

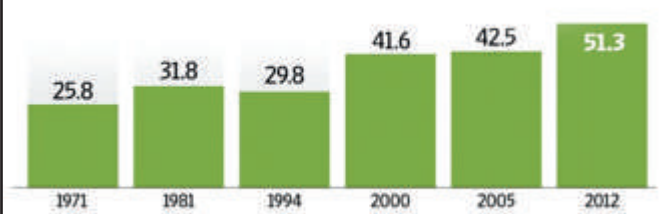
ग्रामीण औद्योगिकीकरण की स्पष्टतः लंबी कहानी है। ग्रामीण कारखानों का उत्पादन 1971 में देश में कुल औद्योगिक उत्पादन का एक चौथाई था। 2012 तक यह हिस्सा दोगुना हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कुल औद्योगिक रोज़गार में ग्रामीण औद्योगिक रोज़गार का हिस्सा उन चार दशकों में लगभग एक-सा ही रहा है। इन तीन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि ग्रामीण उद्योग अपने शहरी समकक्षों की तुलना में पूंजी के अधिक गहन उपयोगकर्ता हैं, हालांकि उनके लेख में इस विरोधाभास की विस्तार से जांच-पड़ताल नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्रामीण उत्पादन की संख्या में कुछ तोड़-मरोड़ है, क्योंकि इसमें जनगणना शहरों के आंकड़े शामिल हैं।

ग्रामीण उद्योगों की उच्च पूंजी गहनता अचंभित करती है चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कम है और शहरी उद्योगों की तुलना में ग्रामीण उद्योगों के सामने ऋण प्राप्ति की कठिनाई है। ग्रामीण उद्योगों द्वारा पर्याप्त रोज़गार सृजन की कमी रोज़गार के आंकड़ों में ग्रामीण निर्माण कार्यों की बढ़ती हिस्सेदारी से संतुलित है। इस सदी के पहले दशक में ग्रामीण आवास निर्माण में अपार वृद्धि ने लाखों श्रमिकों को रोज़गार प्रदान किया।

रमेश चंद, एस.के. श्रीवास्तव और जसपाल सिंह ने बताया कि आने वाले दशकों में भारतीय लोक नीति की प्रमुख चुनौती क्या हो सकती है। ग्रामीण रोज़गार 2005 के बाद घट गया है जबकि शहरी क्षेत्र उन लाखों लोगों को खपा नहीं पाए हैं जो कृषि को

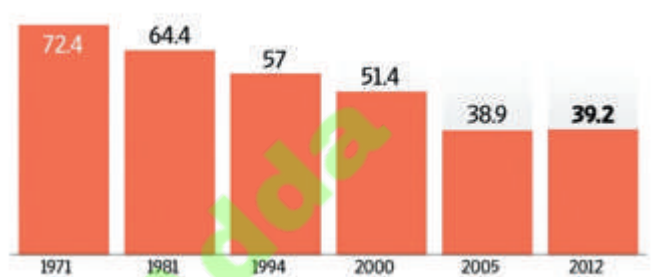
ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन

कुल औद्योगिक उत्पादन में ग्रामीण औद्योगिक उत्पादन का भाग (प्रतिशत में)



ग्रामीण विविधिकरण

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का भाग (प्रतिशत में)



स्रोत: नीति आयोग

छोड़ रहे हैं।

यह बात नहीं है कि जिन सभी ने कृषि कार्य छोड़ा, वे शहरों में चले गए, बल्कि ग्रामीण भारत में नए प्रकार के गैर-कृषि आय के अवसर पैदा हुए— मोबाइल टॉपअप से लेकर कृषि उपकरणों की सर्विसिंग तक। शिक्षा क्षेत्र में 14 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं को थाम सकने की बड़ी क्षमता थी और उस सीमा तक श्रमबल का विस्तार अस्थायी रूप से अवरुद्ध हुआ, जो बाद में पूर्णतया बदल गया। हालांकि इसका प्रमाण है कि नौकरियों या स्वरोज़गार के रूप में आय के अवसरों ने उस गति के साथ तालमेल नहीं रखा है जिस गति से कुछ शिक्षित युवा जन कार्यबल में शामिल हुए, और संभावित रूप से शामिल होंगे।

मोदी सरकार ने समस्या का हल लिया है। समस्या से निपटने के लिए दो कार्यनीतियों की कल्पना की गई है यानी कि क्या अप्रत्यक्ष रूप से शहरी विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोज़गार की समस्या से निपटना फायदेमंद है या प्रत्यक्ष रूप से गांवों में नौकरियों के निर्माण के माध्यम से इस समस्या से निपटा जा सकता है।

ग्रामीण विकास और रोज़गार सृजन की योजनाएं

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग के समन्वय से विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं को ग्रामीण भारत के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए तैयार किया गया है जो आगे जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ बन सकते हैं। ग्रामीण विकास के

लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़क संपर्क को बढ़ाना है। इस योजना के तहत ऐसी बस्तियां, जिनका सड़क के साथ संपर्क कम या बिल्कुल नहीं है, उन्हें संपर्क प्रदान करना है और आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है। यह लंबे समय में गरीबी को स्थाई रूप से घटाना सुनिश्चित करती है क्योंकि लोगों को बाकी दुनिया से जुड़ने का मौका मिलता है। यह योजना अनेक ग्रामवासियों को लाभान्वित कर रही है और उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद कर रही है। दिसंबर 2017 तक लगभग 82 प्रतिशत सड़कों का निर्माण किया गया है जिन्होंने कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से सफलतापूर्वक जोड़ा है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना : यह राष्ट्रीय आजीविका मिशन का एक भाग है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की आजीविका की आकांक्षाओं को पूरा करना और ग्रामीण परिवारों की आय में विविधता लाना है। इस योजना के केंद्र में 15 से 35 आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब परिवारों के युवा जन हैं। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है जो रोजगार बढ़ाने में मदद करेगी। यह योजना 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 568 जिलों और 6215 ब्लॉकों में युवाओं के जीवन को बदल रही है। 300 सहभागियों द्वारा लगभग 690 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, अब तक 2.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 1.34 लाख उम्मीदवार नौकरियां पा चुके हैं।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्चना की गई है, 2011 में शुरू की गई थी। इस योजना को 'आजीविका' के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्देश्य देशभर में महिला स्वयंसहायता मॉडल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, सरकार 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये का ऋण प्रदान करती है जिसे पुनर्भुगतान के समय घटाकर 4 प्रतिशत किया जा सकता है। यह योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त थी और इसका उद्देश्य गरीब लोगों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना था। इसने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके घरेलू आय बढ़ाने में भी मदद की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबों की क्षमताओं का दोहन करने में भी मदद करता है ताकि वे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भाग ले सकें।

प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फैलोशिप योजना (पीएमआरडीएफ): यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया गया है। इसके तहत देश के अविकसित और दूरदराज के क्षेत्रों में जिला प्रशासन

को अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के लिए और सक्षम तथा प्रतिबद्ध नेताओं और समन्वयकों को विकसित करने के दोहरे लक्ष्य हैं, जो लंबे समय तक एक संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): इस योजना के अनुसार, किसी भी ग्रामीण घरेलू वयस्क को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष में अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है। अधिनियम में काम करने वाले लोगों को और सम्मान के साथ जीवन जीने के उनके मौलिक अधिकार को संबोधित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर नौकरी नहीं मिलती है, तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र है। मनरेगा काम करने के मूल अधिकार के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई): यह योजना गरीबों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में, जहां लोग गरीबी-रेखा से नीचे रहते हैं, भोजन उपलब्ध कराना और उनके पोषण-स्तर में सुधार लाना भी है। इस योजना के अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्ति प्रदान करना शामिल था। इस योजना में ठेकेदारों या बिचौलियों का रोजगार शामिल नहीं था।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई): यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ग्रामीण विकास परियोजना है जिसमें प्रत्येक संसद सदस्य तीन गांवों की जिम्मेदारी लेगा और गांवों के व्यक्तिगत, मानवीय, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक विकास की देखरेख करेगा। इससे गांवों में जीवन-स्तर के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में भी काफी हद तक सुधार होगा। इस परियोजना को कोई धन मुहैया नहीं कराया गया है क्योंकि मौजूदा योजनाओं के माध्यम से इसके लिए धनराशि जुटाई जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए): यह भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक कार्यनीति है जिसे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक 'टारगेट 3 बिलियन' में प्रस्तावित किया था। योजना के तहत यह प्रस्ताव है कि शहरों के बाहर अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के पलायन को भी रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार 2004 में इसकी शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम चला रही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए स्वरोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना



(पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को मिलाकर बनाई गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (एनआरईपी): इसका आरंभ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए बेरोज़गार और अल्प-रोज़गार प्राप्त श्रमिकों का उपयोग करने के लिए किया गया था।

रोज़गार आश्वासन योजना (ईएएस): इस योजना को कृषि मंदी अवधि के दौरान रोज़गार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ईएएस का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए शारीरिक श्रम के माध्यम से वेतन रोज़गार की बेहद कमी की अवधि के दौरान अतिरिक्त वेतन रोज़गार के अवसर पैदा करना है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई): यह योजना ग्रामीण-स्तर पर मांग-आधारित सामुदायिक ग्रामीण बुनियादी ढांचा, जिसमें स्थाई परिसंपत्तियां और ग्रामीण गरीबों के लिए निरंतर रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए कौशल शामिल हैं, के लिए शुरू की गई थी।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना एक समग्र पैकेज है जिसमें स्वरोज़गार के सभी पहलू जैसेकि गरीबों को स्वयंसहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, बुनियादी ढांचा और विपणन शामिल हैं। यह एक क्रेडिट एवं सब्सिडी कार्यक्रम है जिसके तहत लाभार्थियों को 'स्वरोज़गारी' कहा जाता है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 3:1 लागत अनुपात पर लागू की जा रही है।

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना: इस योजना का आरम्भ 150 चिन्हित पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य अतिरिक्त अनुपूरक वेतन, रोज़गार और परिसंपत्ति उत्पन्न करना था।

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान: ये संस्थान राज्य के अधिकांश जिलों में अग्रणी जिला बैंकों के सहयोग से गरीबी-रेखा

से नीचे आने वाले ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार संबंधित अग्रणी बैंकों को इन संस्थानों के लिए भूमि मुफ्त प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना (2012): इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों में श्रमिकों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है जैसाकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित है।

यह वर्तमान भारत सरकार की रोज़गार सृजन की आवश्यकता की गंभीरता के प्रति अभूतपूर्व प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह देश में पूर्ण रोज़गार पैदा करने के लिए कार्यनीतियों को लागू करने का एक अनुकूल अवसर है। यह लेख श्रमबल में सभी नए प्रवेशकों के लिए पर्याप्त रोज़गार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ बेरोज़गारों और अल्प-रोज़गार में संलग्न लोगों की वर्तमान संख्या को खपाने की क्षमता की पुष्टि करता है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन 10 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा।

हालांकि भारत के औपचारिक निजी क्षेत्र में विकास और रोज़गार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए कई विधिवत अध्ययन तैयार किए गए हैं लेकिन ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हालातों और कार्यनीतियों पर कम ध्यान दिया गया है। इस लेख में भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने की कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है विशेष रूप से कृषि, कृषि उद्योग, ग्रामीण सेवाओं और संबंधित व्यवसायों पर।

पिछले चार दशकों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन पर अनुभव सिद्ध प्रमाण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। राष्ट्रीय आय का लगभग आधा और कुल रोज़गार का दो तिहाई से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, लेकिन साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र श्रमिक उत्पादकता में निम्न-स्तर और व्यापक असमानता के लिए जाने जाते हैं। कुल रोज़गार में अपने हिस्से में गिरावट के



बिना राष्ट्रीय उत्पादन में ग्रामीण हिस्सेदारी में गिरावट का अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में पूंजी गहन क्षेत्रों में बहुत तेज वृद्धि ने ग्रामीण श्रम को खपाने के लिए पर्याप्त रोज़गार उत्पन्न नहीं किया।

2004-05 और 2011-12 के बीच ग्रामीण रोज़गार में गिरावट का कारण कृषि क्षेत्र से श्रमबल की वापसी थी, जिनमें से अधिकांश गैर-कृषि क्षेत्रों में शामिल नहीं हुए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के प्रति असंवेदनशील वृद्धि गैर-कृषि क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से बढ़ती आबादी और कृषि छोड़ने वाली श्रमशक्ति को रोज़गार प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान ले जाती है।

एक आम धारणा के विपरीत, उपलब्ध प्रमाण समान समय अवधि के बीच कार्यबल के पुरुष-बहुल होने को इंगित करते हैं। महिला श्रमबल में संपूर्ण कमी का लगभग एक तिहाई भाग शिक्षा और कौशल हासिल करने में संलग्न हो गया। इसलिए उन शिक्षित युवाओं के लिए गैर-कृषि क्षेत्रों में उत्पादक रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए अधिक से अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी जो निकट भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्रमबल में शामिल हो जाएंगे।

विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से संबद्ध कई सरकारी पहलों ने ग्रामीण रोज़गार बढ़ाने की दिशा में बहुत हद तक योगदान दिया है। साथ ही, श्रमिक सघन मध्यम, लघु और सूक्ष्म (एमएसएमई) उद्यमों की स्थापना के लिए सुगम औपचारिकताएं ग्रामीण रोज़गार सृजन के लिए एक उपयुक्त विकल्प लगती हैं। समय के साथ प्रति श्रमिक आय के पूर्ण स्तर में वृद्धि दर मामूली

हैं, और हाल के वर्षों में श्रमिक उत्पादकता में असमानता में गिरावट देखी गई है।

विभिन्न श्रमिक श्रेणियों के बीच असमानता को कम करने के प्रयासों के लिए अनुकूल ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए रोज़गार विविधीकरण में तेज़ी लाने और बड़े पैमाने पर अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने और कृषि उत्पादन में वृद्धि को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में रोज़गार सृजन और पारंपरिक कृषि गतिविधियों से श्रमिकों को स्थानांतरित करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल होना चाहिए। जानकारी और कौशल पर आधारित कृषि और फसल-उपरांत कृषि मूल्य-संवर्धन के आधार पर नए फार्म मॉडल विकसित करने और बढ़ावा देने से इनका दोहन किया जा सकता है। पीएमकेवीवाई आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्राथमिक प्रसंस्करण में आवश्यक कौशल को प्रदान करके और बढ़ावा देकर इसमें एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के भुखमरी से ग्रस्त गरीबों की क्षुधापूर्ति के लिए हमारे देश में कृषि और उद्योग में रोज़गार उत्पन्न करना अनिवार्य है। कृषि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है और इसे अधिक विकासक्षम और लाभदायक बनाने की आवश्यकता निर्विवाद है।

(लेखिका नीति आयोग में आर्थिक अधिकारी हैं।)

ई-मेल : tanu.kathuria@gov.in

ग्रामीण भारत में परंपरागत कला-कौशल से रोज़गार

—हेना नकवी

ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत कलाओं एवं कौशलों के माध्यम से रोज़गार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनवरत एवं अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से प्रयास किए जा रहे हैं। कौशल का प्रशिक्षण लेकर हस्तशिल्पियों की कला में न केवल निखार आ रहा है, बल्कि कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में हस्तशिल्पियों को उत्पादन से लेकर विपणन तक के सभी गुर सिखाए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों के परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं।

पटना के गांधी मैदान में दिसंबर 2019 में आयोजित सरस मेले में देशभर से आए उद्यमियों तथा शिल्पकारों द्वारा लगाए सैकड़ों स्टॉलों के बीच एक स्टॉल श्रीमती राजकुमारी देवी उर्फ 'किसान चाची' के अचार, पापड़ और मुरब्बों का भी था। सरस मेले के विशालकाय प्रांगण में उनके पापड़, अचार और मुरब्बे हाथों-हाथ बिक गए। 62 वर्षीय राजकुमारी देवी ने पूरे राज्य में छोटे एवं सीमांत कृषकों को उन्नत कृषि की तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें रोज़गार का एक सतत साधन प्रदान किया है। आज उनके बनाए अचार एवं अन्य उत्पाद बहुत सराहे जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में वर्ष में दो बार सरस मेलों के आयोजन से किसान चाची जैसे असंख्य ग्रामीण उद्यमियों तथा शिल्पकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने तथा अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक विशाल धरातल मिल जाता है और खरीददारों को एक ही प्रांगण में सैकड़ों अनूठे उत्पाद मिल जाते हैं। सरकार के इस प्रयास से न केवल इन उत्पादों की सुगम बिक्री के रास्ते खुलते हैं बल्कि हस्त-आधारित दुर्लभ कलाओं एवं कौशलों के प्रचार-प्रसार तथा उनके संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलता है। सरस मेला भारत सरकार द्वारा देश की ग्रामीण कलाओं तथा कौशलों के माध्यम से ग्रामीण रोज़गार सृजन के अनगिनत प्रयासों में से एक है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोज़गार सृजन में कृषि के बाद गैर-कृषि उपक्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इस उपक्षेत्र में हस्तशिल्प उत्पादों तथा कौशल-आधारित उत्पादों तथा सेवाओं की गणना की जा सकती है। ग्रामीण समुदायों में शौक या मनोरंजन के साधनों के रूप में पुरखों से प्राप्त कलाएं या परंपरागत हुनर आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोज़गार के द्वितीयक स्रोत के रूप में उभरे हैं। इस उपक्षेत्र से जुड़ी रोज़गारपरक गतिविधियों की गणना आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में की जाती है। कलाओं एवं परंपरागत/समकालीन कौशलों के सामंजस्य से बना यह असंगठित क्षेत्र अपने-आप में अत्यंत विशाल है। छोटे-बड़े हस्तशिल्पकार/उद्यमी, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, आदि इस क्षेत्र के अंग हैं और अपने-अपने स्तर से रोज़गार के अवसरों का सृजन कर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार देश की कुल अनुमानित 48 करोड़ 70 लाख श्रमशक्ति में से गैर-कृषि क्षेत्र

का योगदान 57 प्रतिशत है। उक्त नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र में लगभग 1.77 करोड़ लोगों के लिए रोज़गार सृजन की संभावना है। हस्तशिल्प तथा हथकरघा, दोनों ही क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, अतः रोज़गार के नए अवसर ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित करेंगे।

कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति द्वारा प्रस्तुत इन संभावनाओं के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोज़गार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक सुव्यवस्थित एवं कारगर रणनीति अपनाई गई है जिसके तहत विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम अपने-अपने स्तर से इस क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए प्रयासरत हैं। इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है, 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' जिसे 'आजीविका' के नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के समुदाय-आधारित संगठनों जैसे स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म बचत, ऋण एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निर्धन ग्रामीण परिवारों का वित्तीय समावेशन, उन तक विपणन सेवाओं की सुलभ पहुंच तथा सतत रोज़गार के लिए लक्षित परिवारों की क्षमता वृद्धि जैसे तत्व कुल मिलाकर इस



‘किसान चाची’: प्रेरणादायक ग्रामीण उद्यमी



राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयंसहायता समूहों हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन

योजना को ग्रामीण रोजगार की एक अत्यंत कारगर योजना के रूप में सामने लाते हैं। विभिन्न राज्यों में 'राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' (एसआरएलएम) राष्ट्र-स्तरीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। आजीविका मिशन के गैर-कृषि क्षेत्र में मधुमक्खी पालन, डेयरी, पोल्ट्री, स्थानीय दस्तकारी, लघु वनोपज, अगरबत्ती निर्माण, कपड़ों की स्थानीय किस्मों पर आधारित उद्यमों जैसे विविध रोजगारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

योजना के तहत स्वयंसहायता समूहों के उत्पादों को बाजार संबंधी सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरस मेला एक बेहद उपयोगी मंच सिद्ध हुआ है। स्वयंसहायता समूहों के उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण हाटों का आयोजन भी किया जाता है। सरस मेले और ग्रामीण हाट दोनों ही धरातल स्वयंसहायता समूहों एवं अन्य ग्रामीण उत्पादकों के लिए बिक्री का एक सशक्त माध्यम होने के साथ-साथ बिचौलियों को दूर रखने का उपाय भी हैं। इन प्रयासों से ग्रामीण उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है और खरीददारों को उचित मूल्य पर उत्पाद। विपणन का यह तरीका ग्रामीण रोजगार को प्रश्रय देने का अप्रत्यक्ष प्रयास है।

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन करने तथा ग्रामीण समुदाय की निर्धनता दूर करने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है, 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना' (डीडीयू-जीकेवाई)। आजीविका मिशन के एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में संचालित डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं के कौशल विकास के पश्चात प्लेसमेंट अर्थात् नियोजन पर आधारित योजना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार योजना द्वारा अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 लाख युवाओं

का कौशल विकास किया जा चुका है, 5 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवाओं का प्लेसमेंट किया जा चुका है तथा लगभग 5 लाख युवाओं को प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। आजीविका मिशन के तहत राज्य सरकारों तथा बैंकों के सहयोग से देश के हर जिले में ग्रामीण स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित करने के लिए सहयोग दिया जाता है। इन संस्थानों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगारपरक गतिविधियों की शुरुआत करने में सहयोग देना है। वर्तमान में देश के 28 राज्यों और 04 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 586 है जिनके द्वारा आरंभिक वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर वित्तीय वर्ष 2017-18 तक लगभग 17 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह भी एक उत्साहवर्धक तथ्य है कि इन केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं हैं।

ग्रामीण उद्यमियों विशेषकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2015-16 में आजीविका मिशन के तहत स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) की शुरुआत भी की गई है। योजना के तहत उद्यमिता विकास के लिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस नामक समुदाय-आधारित केंद्र के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों के कौशल विकास का प्रावधान है। आजीविका मिशन के आंकड़ों के अनुसार मई 2019 तक एसवीईपी कार्यक्रम की सहायता से 50 हजार से अधिक सूक्ष्म उद्यमों की शुरुआत की जा चुकी है। प्रशिक्षण पश्चात् रोजगार शुरू करने में सहयोग प्रदान करने के लिए इन संस्थानों समेत अन्य कौशल विकास योजनाओं को 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' से जोड़ा गया है। इस योजना का लक्ष्य स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत लघु/सूक्ष्म उद्यमों तथा वैयक्तिक उद्यमों को उनके व्यापार के विस्तार के लिए



स्थानीय संसाधनों एवं परंपरागत कौशलों पर आधारित रोजगार सृजन के प्रयास



दीनदयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम



शिल्पकारों एवं उद्यमियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

हुनर का सही मोल मिले, और बिचौलिये दूर रहें, इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक सशक्त साधन बनकर उभरा है। स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों ने सरस मेलों में उत्पाद बेचने के अलावा ई-मार्केटिंग अपनाकर अपने उत्पाद बेहतर मूल्य पर बेचने के लिए ई-प्लेटफॉर्म भी बड़ी संख्या में अपनाया है। राष्ट्रीय-स्तर पर लगने वाले सरस मेलों में खरीदार जब इन दस्तकारों से संपर्क करते हैं तो उनसे उनके ई-प्लेटफॉर्म की जानकारी भी लेते हैं। बड़े स्वयंसहायता समूह न सिर्फ अपनी वेबसाइट बना रहे हैं बल्कि बैंकों और दूसरे पेमेंट गेट-वे के साथ मिलकर ई-कॉमर्स के मंच पर अपनी उपस्थिति बना रहे हैं।

10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य एक निश्चित अवधि में एक करोड़ युवाओं का कौशल विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आकांक्षी युवाओं (बीपीएल परिवारों के युवाओं समेत) के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही उनके पास पहले से मौजूद कौशलों की भी पहचान की जाती है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विभिन्न घटकों के तहत लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों को कौशल विकास प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन किया जा चुका है। इन योजनाओं के अतिरिक्त 'नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम' तथा 'नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम' की चर्चा भी आवश्यक है। उक्त कार्यक्रम क्रमशः हरकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए समर्पित हैं।

ग्रामीण कलाओं तथा कौशलों के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु किए जा रहे विविध प्रयासों के परिणामों पर संपूर्ण आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन देश के विभिन्न राज्यों के गांवों में क्रमिक बदलाव लाभार्थी परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तथ्य का एक छोटा-सा प्रमाण है, जनवरी-मार्च 2017 में आजीविका मिशन से जुड़े 746 गांवों के 4500 परिवारों में आजीविका मिशन के प्रभावों का प्रतिनिधि मूल्यांकन। एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा किए गए इस मूल्यांकन के द्वारा अनेक उत्साहवर्धक तथ्य सामने आए। इनमें से एक तथ्य था, गैर-हस्तक्षेप क्षेत्र की तुलना में हस्तक्षेप क्षेत्र के गांवों की शुद्ध आय में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि। उक्त मूल्यांकन के अनुसार आजीविका मिशन से जुड़े प्रत्येक गांव में गैर-हस्तक्षेप गांवों की

तुलना में 11 अतिरिक्त उद्यम संचालित किए जा रहे थे। स्वाभाविक रूप से इन बदलावों को रोजगार सृजन एवं रोजगार विविधिकरण के प्रयासों का ही फल माना जाएगा। यदि उक्त मूल्यांकन से प्राप्त इन आंकड़ों को प्रतिनिधि आंकड़ों के रूप में देखा जाए तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन से इन क्षेत्रों की बेहतर एवं सुखद तस्वीर की कल्पना की जा सकती है। इन सबमें सबसे सुखद सूचक है, उद्यमियों तथा उत्पादकों के रूप में महिलाओं की निरंतर बढ़ती सहभागिता।

गांवों में रोजगार की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन रोकेंगी; साथ ही, बेहतर आय की मदद से ग्रामीण परिवारों की निर्धनता भी कम कर सकेंगी जिससे इन परिवारों के जीवन में गुणवत्ता आएगी तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। रोजगार सृजन के इन प्रयासों को यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा



अंगीकृत विकास के सतत 17 लक्ष्यों (सस्टेनेबल गोल्स) में से तीन लक्ष्यों- 'निर्धनता से मुक्ति' (लक्ष्य संख्या-1), 'भूख से मुक्ति' (लक्ष्य संख्या-2) तथा सम्मानजनक काम एवं आर्थिक विकास (लक्ष्य संख्या-8) से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के बेहतर अवसरों से बहुत हद तक देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा और देश सही समय से इन लक्ष्यों तक पहुंच सकेगा।

भारत सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों के लिए सामग्रियों की खरीद के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म जेम (gem.gov.in) पर भी अनेक स्वयंसहायता समूहों और हस्तशिल्पियों के उत्पाद मौजूद हैं, जो इस ई-प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद की आपूर्ति सीधे सरकारी कार्यालयों को करते हैं। सरकारी कार्यालयों में जूट बैग, फोल्डर और फाइल कवर जैसे उत्पादों की अधिक मांग होने के कारण हस्तशिल्पी समूहों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है।

जेम के अलावा, हस्तशिल्प विकास आयुक्त की वेबसाइट <http://handicrafts.nic.in> पर भी ई-कॉमर्स के लिए हस्तशिल्पी व्यक्तिगत रूप से या स्वयंसहायता समूह के रूप में ई-व्यापार करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

(लेखिका पीसीआई नामक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी में वरिष्ठ संचार प्रबंधक हैं।)

ई-मेल : hena.naqvipti@gmail.com

स्वच्छ भारत मिशन ने खोले गांवों में रोज़गार के द्वार

—आशुतोष कुमार सिंह

2 अक्टूबर, 2014 को जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तब शायद ही किसी को अंदाज़ा होगा कि यह योजना रोज़गार की दृष्टि से भी इतनी बड़ी होगी। इस योजना ने ग्रामीण भारत में रोज़गार के नए द्वार खोले हैं। एक अनुमान के हिसाब से देश के लगभग 45 लाख लोगों को इस योजना से रोज़गार मिला है।

भारत एक बहुसंख्यक आबादी वाला देश है। मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। वैश्विक-स्तर पर बहुत तेज़ी से भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत हो रही है। बावजूद इसके रोज़गार एक प्रमुख समस्या के रूप में भारत में विद्यमान है। सबको रोज़गार मिले, सबको काम मिले, इस दिशा में देश की सरकारें आज़ादी के समय से ही प्रयासरत रही हैं। इस कड़ी में भारत का स्वास्थ्य सेक्टर भी रोज़गार देने के मामले में एक प्रमुख घटक के रूप में उभर कर सामने आया है। रोज़गार की संभावनाएं इस सेक्टर में प्रबल हुई हैं। निजी एवं सरकारी दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य सेक्टर में रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने देश के गांव-गांव में रोज़गार सृजन को बढ़ाया है।

2 अक्टूबर, 2014 को जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तब शायद ही किसी को अंदाज़ा होगा कि यह योजना रोज़गार के दृष्टि से भी इतनी बड़ी होगी। खासतौर से ग्रामीण रोज़गार की दृष्टि से इस योजना से लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। पिछले दिनों अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री खुद इस योजना की चर्चा करते हुए कह रहे थे कि, इस योजना ने ग्रामीण भारत में रोज़गार के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अनुमान के हिसाब से देश के लगभग 45 लाख लोगों को इस योजना से रोज़गार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने शौचालय निर्माण में राजमिस्त्री के संग-संग रानी मिस्त्री का भी जिक्र करते हुए कहा कि शौचालय निर्माण का काम रानी मिस्त्रियों ने बढ़-चढ़ कर किया। इससे उनका मनोबल बढ़ा है। अब वे सरकारी आवास योजना के अंतर्गत बन रहे घरों का निर्माण भी कर रही हैं। इससे गांव में रोज़गार के अवसर बढ़े हैं।

स्वच्छ भारत अभियान से 5,98,000 प्रशिक्षित ग्रासरूट स्वच्छता एम्बेसेडर जुड़े हैं। इनको भी इस अभियान ने रोज़गार का अवसर प्रदान किया है। ज्यादा नहीं, एक शौचालय बनाने के अर्थशास्त्र को समझा जाए तो सरकार द्वारा एक शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं जिसमें 7200 रुपये केंद्र सरकार और 4800 रुपये राज्य सरकार का शेयर है। 2 अक्टूबर, 2014 को जब सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, उस समय इस देश

में महज 38.74 फीसदी घरों में शौचालय का निर्माण हुआ था। इस अभियान के कारण 31 मार्च, 2019 तक 99.4 फीसदी घरों में शौचालय की सुविधा हो गई। और यह सब सिर्फ कहने से नहीं हुआ बल्कि करने से हुआ। और इसे करने में सरकार ने अर्थ-बल का भी सदुपयोग किया। वर्ष 2017-18 में 12,227.70 करोड़ रुपये और 2018-19 में 13,931.75 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जिसका नतीजा यह हुआ कि इसी अवधि में 556282 गांव, 247577 ग्राम पंचायत, 6026 प्रखंड और 616 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया। इस पूरी प्रक्रिया ने ग्रामीण भारत में रोज़गार के लिए नई राह को सृजित किया है।

सरकार ने लोगों को घर-घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भी (एनआरडीडब्ल्यूपी) शुरू किया है। इससे भी न केवल गांवों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम तेज़ी से हो रहा है बल्कि गांवों में बड़े पैमाने पर रोज़गार भी पैदा हो रहे हैं।

आयुष्मान भारत योजना

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) को लागू करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को दी गई है। इसके तहत एक ओर जहां 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दिए जाने की योजना पर काम हो रहा है वहीं दूसरी तरफ, स्वास्थ्य मंत्रालय देशभर में 1 लाख 50 हजार प्राथमिक



स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत देश के निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्डधारक का परिवार 5 लाख रुपये तक का सालाना इलाज निःशुल्क करा सकता है। लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले और इसमें उन्हें किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जन आरोग्य मित्र की बहाली की जा रही है। देश भर के सभी निजी अस्पतालों में, जो 'आयुष्मान भारत' से जुड़े हैं, को प्रधानमंत्री जन आरोग्य मित्र बहाल करना है। इस तरह देखा जाए तो इस समय तकरीबन 15 हजार से ज्यादा निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। इस प्रकार कम से कम 15 हजार अस्पतालों में जनआरोग्य मित्र के रूप में नव रोजगार का सृजन हुआ है। दिल्ली के एम्स में तो 5 जन आरोग्य मित्र काम कर रहे हैं। इसी तरह जब 1 लाख 50 हजार वेलनेस सेंटर बनाने की योजना पर काम हो रहा है तो इस क्षेत्र में भी लाखों रोजगार सृजन की संभावना है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

देश के लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू हुई इस योजना से विगत 2 वर्षों में 5 हजार से ज्यादा रोजगार सृजन हुआ है। वर्तमान समय में पूरे देश में 6200 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुल चुके हैं। इन केंद्रों पर गर एक फार्मासिस्ट एवं एक असिस्टेंट यानी दो पदों की भी बात की जाए तो इस योजना से 10 हजार लोगों को रोजगार मिला है। और अब इस योजना को प्रखंड-स्तर तक ले जाने की योजना है। इससे सिर्फ इस वर्ष 1200 और जनऔषधि केंद्र खुलने वाले हैं।

स्वास्थ्य उपकेंद्रों में महिलाओं को भी मिला है रोजगार

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के 31 मार्च, 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1,98,356 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा एएनएम की तैनाती की जा चुकी थी। यदि उन पांच राज्यों की चर्चा करें जहां उपकेंद्रों पर सबसे ज्यादा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, तो वे हैं—उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। 28,250 महिलाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में जबकि बिहार में 20,151, पश्चिम बंगाल में 18,253, राजस्थान में 14,271 एवं आंध्र प्रदेश में 12,073 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती हुई है। देखा जाए तो शीर्ष के इन पांच राज्यों में देश के कुल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 46.88 फीसदी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रही हैं।

कोरोना से बचाने में साफ-सफाई और स्वच्छता ही कारगर

आज जब पूरा विश्व कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है भारत भी उससे अछूता नहीं है, उसमें

सबसे आग्रह इसी बात का है कि वो स्वच्छ रहें, स्वच्छता के मानकों को मानें। पहले भी अस्वच्छता—जनित बीमारियों के फैलने से हजारों लोग मरते रहे हैं। लेकिन आज के समय में देश के पास बेहतर सूचना—तंत्र हैं साथ ही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले बेहतर मानव संसाधन हैं। 2014 से शुरू स्वच्छ भारत अभियान ने भारतीयों में स्वच्छता के प्रति एक नया नज़रिया विकसित किया है। और हमें उम्मीद है कि यह नज़रिया आज कोरोना को हराने में भी मददगार होगा।

निष्कर्ष

भारत में स्वास्थ्य का विस्तार बहुत है। चिकित्सा सेवा, औषधीय निर्माण, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन से लेकर पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थागत मानव संसाधन की जरूरत इस क्षेत्र में है। इन तमाम अवसरों के बीच स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण भारत में रोजगार की तस्वीर को बेहतर बनाने में एक क्रांतिकारी काम किया है।

(लेखक समाचार-विचार पोर्टल 'स्वस्थ भारत' के संस्थापक हैं।)

ई-मेल : ashutoshinmedia@gmail.com



— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित —

क्या करें ✓ क्या करें और क्या ना करें



हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नं.

+91-11-2397 8046 पर कॉल करें या

ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in @MoHFWIndia @MoHFW_JNDIA mohfwindia

हम अपने पाठकों को सूचित करना चाहते हैं कि इस अंक में प्रकाशित लेखों में लेखकों ने ग्रामीण रोजगार परिदृश्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, वह कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले के हैं।